

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण
**SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES**

तृतीय माला

Third Series

खंड 39, 1965/1886 (शक)

Volume, XXXIX, 1965/1886 (Saka)

[3 से 16 मार्च, 1965/12 से 25 फाल्गुन, 1886 (शक)]

[March 3 to 16, 1965/Phalgun 12 to 25, 1886 (Saka)]



ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)

Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं]
[Vol. XXXIX contains Nos. 11-20]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 18, शुक्रवार, 12 मार्च, 1965/21 फाल्गुन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
402	ब्रिटेन को निर्यात	16 13-15
403	ढलाईघरों को कच्चे लोहे का सम्भरण	16 15-18
404	रेलवे कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	16 18-20
405	ट्रकों का उत्पादन	16 21
406	मदुरै के निकट दुर्घटना	16 22-23
407	माल डिब्बों का निर्यात	16 24-26
408	रेत की ढुलाई	16 26-27
409	दुर्गापुर में प्रदर्शनी	16 27-29
410	रबड़ की खेती	16 30-32
411	बंगाल की खाड़ी में फासफेट	16 33
412	जापान के छोटे संयंत्रों की खरीद	16 34-35
413	नये इस्पात कारखाने	16 35-37
414	विद्युत् चालित करधे	16 37-39

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या 2

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम 16 39-40

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या

415	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	16 40-41
416	दो मालगाड़ियों की आपस में टक्कर	6 41
417	पश्चिमी एशिया को कपड़े का निर्यात	16 41-42
418	कार्ड पंचिंग	16 42
419	मद्रास राज्य में धान का लदान	16 42-43

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 18—Friday, March 12, 1965/Phalguna 21, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

<i>Starred Question Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
402	Exports to U.K. . . .	1613-15
403	Supply of Pig Iron to Foundries . . .	1615-18
404	Wage Board for Railway Employees	1618-20
405	Production of Trucks	1621
406	Accident near Madurai . . .	1622-23
407	Export of Railway Wagons . . .	1624-26
408	Transport of Sand . . .	1626-27
409	Exhibition at Durgapur . . .	1627-29
410	Rubber Cultivation	1630-32
411	Phosphate in Bay of Bengal . . .	1633
412	Purchase of small plants from Japan . . .	1634-35
413	New Steel Plants . . .	1635-37
414	Powerlooms	1637-39
	Short Notice Question No. 2.	1639-40

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

<i>Starred Question Nos.</i>		
415	Heavy Engineering Corporation, Ranchi . . .	1640-41
416	Collision between two Goods Trains . . .	1641
417	Export of Textiles to West Asia . . .	1641-42
418	Card Punching . . .	1642
419	Loading of Paddy in Madras State	1642-43

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
420	भारत-लंका चाय आयोग	1643
421	उद्योगों के लिये उत्पादन लक्ष्य	1643-44
422	ट्रेक्टर परियोजना	1644
423	निर्यात-आयात सलाहकार परिषद्	1644-45
424	एशियाई विकास बैंक	1645

अतारंकित

प्रश्न संख्या

1042	रेलवे ट्रेक्शन	1645-46
1043	बीकानेर तथा जोधपुर में भारी उद्योग	1646
1044	उर्वरकों का आयात	1646
1045	उद्योग निदेशालय, दिल्ली	1646-47
1046	राजस्थान को इस्पात आवंटन	1647
1047	ननमन्दा (कालीकट) में लौह अयस्क निक्षेप	1647
1048	नारनौल में कच्चे लोहे का भण्डार	1648
1049	विदेशी सहयोग	1648
1050	इट निर्माताओं के लिये विदेशी मुद्रा	1649
1051	ब्रिटेन की सस्ती पुस्तकें	1649
1052	रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	1649-50
1053	बस्तर में लौह अयस्क निक्षेप	1650
1054	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कच्चा माल	1650-51
1055	भारी प्लेटों का निर्माण	1651
1056	राज्य विधान-मण्डलों के सदस्यों के लिये रेलवे सुविधायें	1651
1057	फिश प्लेटों की चोरी	1651-52
1058	जालन्धर-फिरोजपुर सेक्शन के स्टेशन	1652
1059	उत्तर रेलवे का दिल्ली डिवीजन	1653
1060	पठानकोट और फिरोजपुर के बीच एक गाड़ी	1653
1061	वाणिज्य मंत्रालय में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	1653
1062	फोटोग्राफी का कागज	1654
1063	खतरे की जंजीर का खींचा जाना	1654

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Starred

<i>Question Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
420	Indo-Ceylon Tea Commission	1643
421	Production targets for Industries	1643-44
422	Tractor Project	1644
423	Export-Import Advisory Council	1644-45
424	Asian Development Bank	1645

Unstarred

Question Nos.

1042	Railway Traction	1645-46
1043	Heavy Industries in Bikaner and Jodhpur	1646
1044	Import of Fertilizers	1646
1045	Directorate of Industries, Delhi	1646-47
1046	Steel Allocation to Rajasthan	1647
1047	Iron Ore Deposit at Nanmanda (Calicut)	1647
1048	Iron Ore Deposits at Narnaul	1648
1049	Foreign Collaborations	1648
1050	Foreign Exchange for Brick Manufactures	1649
1051	Britain's Low-Priced Books	1649
1052	Corruption Cases on Railways	1649-50
1053	Iron Ore Deposits in Bastar	1650
1054	Raw Materials for Small Scale Industries	1650-51
1055	Manufacture of Heavy Plates'	1651
1056	Railway facilities to Members of State Legislatures	1651
1057	Tampering of Fish Plates	1651-52
1058	Stations on Jullundur-Ferozepur Section	1652
1059	Delhi Division of Northern Railway'	1653
1060	Mail Train between Pathankot and Ferozepur	1653
1061	Scheduled Caste Employees in the Ministry of Commerce	1653
1062	Photographic Papers	1654
1063	Alarm Chain Pulling	1654

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या

विषय

पृष्ठ

1064	बोकारो के पास "वाशरी रिजैक्शनस" में आग	. . .	1654-55
1065	बुलगारिया को कच्चे लोहे का निर्यात	. . .	1655
1066	मैसूर में इस्पात कारखाना	. . .	1655-56
1067	अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार	. . .	1656
1068	इस्पात की लागत	. . .	1656-57
1069	खनिजों की खोज	. . .	1657
1070	रेलवे दुर्घटनाएं	. . .	1658-60
1071	चंडीगढ़ को मिलाने वाली रेलवे लाइन	. . .	1660
1072	लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्लांट	. . .	1660
1073	रांची-रूरकेला रेल सम्पर्क	. . .	1661
1074	दिल्ली और फिरोजपुर के बीच पंजाब मेल	. . .	1661-62
1075	भारी ढांचे बनाने का कारखाना	. . .	1662
1076	मद्रास और हैदराबाद के बीच एक्सप्रेस गाड़ी	. . .	1662
1077	गोदावरी पर रेल तथा सड़क का पुल	. . .	1663
1078	चौथी योजना में कोयला उत्पादन	. . .	1668
1079	लोह अयस्क का बुल्गेरिया को निर्यात	. . .	1664
1080	नाजूक वस्तुओं की भाड़ा दर	. . .	1664
1081	पुल और पुलियां	. . .	1664-65
1082	चाय-उद्योग	. . .	1665
1083	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	. . .	1665-66
1084	पंजाब में अखबारी कागज का कारखाना	. . .	1666
1085	दिल्ली-फिरोजपुर डिवीजन में वस्तु-विक्रय ठेकेदार	. . .	1666-68
1086	रेलवे स्टेशनों पर किताबों की दुकानें	. . .	1668-69
1087	मसाला निर्यात प्रोत्साहन परिषद्	. . .	1669
1088	रूरकेला	. . .	1669
1089	सीमेन्ट बनाने का उद्योग	. . .	1670
1090	लोह अयस्क का निर्यात	. . .	1670
1091	500 श्रमिकों वाली कोयला खानें	. . .	1670-71
1092	कोट कपूरा-फाजिलका लाइन पर रेलगाड़ी में डकैती	. . .	1681
1093	फ्लुओर-स्पार राक	. . .	1671

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred

Question

Nos.

Subject

PAGES

1064	Fire in Washery Rejections near Bokaro	1654-55
1065	Export of Pig-Iron to Bulgaria	1655
1066	Steel Plant in Mysore	1655-56
1067	International Coffee Agreement	1656
1068	Cost of Steel	1656-57
1069	Exploration of Minerals	1657
1070	Railway Accidents	1658-60
1071	Railway Line connecting Chandigarh	1660
1072	Low Temperature Carbonisation Plant	1660
1073	Ranchi Rourkela Rail Link	1661
1074	Punjab Mail between Delhi and Ferozepur	1661-62
1075	Heavy Structural Fabrication Plant	1662
1076	Express Train between Madras and Hyderabad	1662
1077	Rail-cum-Road Bridge on Godavari	1663
1078	Coal Production in Fourth Plan	1663
1079	Export of Iron Ore to Bulgaria	1664
1080	Freight Rates Sensitive Commodities	1664
1081	Bridges and culverts	1664-65
1082	Tea Industry	1665
1083	Central Silk Board	1665-66
1084	Newsprint Plant in Punjab	1666
1085	Vending Contractors on Delhi Ferozepur Division	1666-68
1086	Book Stalls on Railway Stations	1668-69
1087	Spices Export Promotion Council.	1669
1088	Rourkela	1669
1089	Cement manufacturing Industry	1670
1090	Export of Iron Ore	1670
1091	Collieries with 500 Workers	1670-71
1092	Dacoity in Train on Kotkapura-Fazilka Line	1671
1093	Fluorspar Rock	1671

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारंकित
प्रश्न संख्या !

	विषय	पृष्ठ
1094	गुजरात म खनिज सर्वेक्षण .	1672
1095	उड़ीसा को अलौह धातुओं का आवंटन	1673
1096	उड़ीसा में औद्योगिक लाइसेंस	1673-74
1097	प्लेटफार्म शैड	1674
1098	दक्षिण-पूर्व रेलवे वर्कशापों में चौरियां .	1674
1099	दक्षिण-पूर्व रेलवे की चन्द्रपुरा मुरी रेलवे लाइन	1674-75
1100	दक्षिण रेलवे पर रेलगाड़ियों के चलने में देरी	1675
1101	मथुरा-अलीगढ़ बड़ी रेलवे लाइन	1675-76
1102	कोयले का उत्पादन	1676
1103	पश्चिम बंगाल में मशीनी औजार कारखाना	1676
1104	सूडान से रुई का आयात	1677
1105	केन्द्रीय रेशम कीट पालन अनुसन्धान संस्था .	1677
1106	व्यापार मण्डल	1677-78
1107	पूर्वोत्तर रेलवे पर नये स्टेशन	1678
1108	स्वीडन की व्यापार संस्था के साथ करार	1678
1109	हैदराबाद में विजली का सामान बनाने का कारखाना .	1679
1110	झांसी और सवाई माधोपुर के बीच रेलवे लाइन	1679
1111	रेलवे विद्युतिकरण परियोजना	1679-80
1112	कुंजरू समिति	1680
1113	दिल्ली में औद्योगिक इकाइयां	1680-81
1114	दिल्ली जंक्शन पर चोरी के मामले	1681
1115	लिपजिग मेला	1681-82
1116	कोयले की ढुलाई	1682
1117	रूरकेला इस्पात कारखाना	1682-83
1118	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रोजगार	1683-84
1119	मोर के पंखों का निर्यात	1684
1120	औद्योगिक बस्तियां	1684-85
1121	मशीनें खरीदने के लिये ऋण	1685
1122	मध्य प्रदेश में ट्रेक्टर और विद्युत् चालित हल बनाने वाला कारखाना	1686

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd*

<i>Unstarred Question Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
1094	Mineral Survey of Gujarat	1672
1095	Allotment of Non-Ferrous Metals to Orissa	1673
1096	Industrial Licences in Orissa	1673-74
1097	Platform Shelters	1674
1098	Thefts in S.E. Railway Workshops	1674
1099	Chandrapura-Muri Track of S.E. Railway	1674-75
1100	Delay in Running of Trains on S. Railway	1675
1101	Mathura Aligarh B.G. Rail Line	1675-76
1102	Coal Production	1676
1103	Machine Tools Plant in W. Bengal	1676
1104	Import of Cotton from Sudan	1677
1105	Central Sericultural Research Institute	1677
1106	Board of Trade	1677-78
1107	New Railway Stations on N.E. Railway.	1678
1108	Agreement with Trade Association of Sweden	1678
1109	Electrical Equipment Plant at Hyderabad	1679
1110	Jhansi-Sawai Madhopur Rail Line	1679
1111	Railway Electrification Projects	1679-80
1112	Kunzru Committee	1680
1113	Industrial Units in Delhi	1680-81
1114	Theft cases at Delhi Junction	1681
1115	Leipzig Fair	1681-82
1116	Movement of Coal	1682
1117	Rourkela Steel Plant	1682-83
1118	Employment to S.Cs. and S. Ts.	1683-84
1119	Export of Peacock Feathers	1684
1120	Industrial Estates'	1684-85
1121	Loans for Purchase of Machinery	1685
1122	Tractor and Power Tiller Unit in M.P.	1686

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

लगभग 1700 नागा विद्रोहियों द्वारा पूर्वी-पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने के प्रयास का समाचार

1686--88

श्री यशपाल सिंह

1686

श्री स्वर्ण सिंह

1686—88

सभा पटल पर रखे गये पत्र

1688

लोक लेखा समिति

1688—90

तेतीसवां प्रतिवेदन

1690

सभा का कार्य

1690—93

विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1965—पुरःस्थापित

1693

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में

1693—94

चीन समर्थक साम्यवादियों की राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों पर गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

1694—99

श्री नन्दा

1694—99

श्री प्र० के० देव

1699

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1964-65

1699--1702

डा० राम सुभग सिंह

1700—02

श्री बड़े

1700

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

1700

श्री प्रियगुप्त

1700

श्री क० ना० पांडे

1700—01

श्री प्रकाशवीर शास्त्री

1701

श्री किशन पटनायक

1701

श्री शिव नारायण

1701

सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव

1702—03

श्री स्वर्ण सिंह

1702—03

श्री दाजी

1703

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी सामति--

अट्ठावनवां प्रतिवेदन

1703

अनुसूचित जातियों के उत्थान के बारे में संकल्प वापिस लिया गया

1703--14

श्री बाल्मीकी

1704, 1713—14

<i>Subject</i>	PAGES
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—	
Reported attempt by about 1700 Nagas hostiles to enter India from Pakistan	1686—88
Shri Yashpal Singh	1686
Shri Swaran Singh	1686—88
Papers laid on the Table	1688
Public Accounts Committee	1688—90
Thirty-third Report	1690
Business of the House	1690—93
Appropriation (Railways) Bill, 1965—introduced	1693
<i>Re</i> Point of Order	1693-94
Motion <i>re</i> Statement of Home Minister on Anti-national activities of pro-Peking Communists	1694—99
Shri Nanda	1694—99
Shri P. K. Deo	1699
Demands for Supplementary Grants (Railways), 1964-65	1699—1702
Dr. Ram Subhag Singh	1700—02
Shri Bade	1700
Shrimati Renu Chakravartty	1700
Shri Priya Gupta	1700
Shri K. N. Pandey	1700-01
Shri Prakash Vir Shastri	1701
Shri Kishen Pattnayak	1701
Shri Sheo Narain	1701
Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill—	
Motion to consider	1702-03
Shri Swaran Singh	1702-03
Shri Daji	1703
Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
Fifty-eighth Report	1703
Resolution <i>re</i> . Uplift of Scheduled Castes— <i>withdrawn</i>	1703—14
Shri Balmiki	1704, 1713-14

अनुसूचित जातियों के उत्थान के बारे में संकल्प वापिस लिया गया—जारी

विषय	पृष्ठ
डा० रानेन सेन	1704-05
श्री गुल्लशन	1705
श्री बालकृष्ण वासनिक	1705-06
श्री मोहन नायक	1706
श्री गणपति राम	1707
श्री हुकूम चन्द कछवाय	1707-08
श्री मं० रं० कृष्ण	1708-09
श्री प० ला० बारूपाल	1709-10
डा० राम मनोहर लोहिया	1710
श्री सिद्धय्या	1710-11
श्री कांबले	1711
श्री ओंकार लाल बेरवा	1711-12
श्री वीरप्पा	1712-13
श्रीमती चन्द्र शेखर	1713
शिक्षा के ढांचे के बारे में संकल्प—	
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	1714-15
बंगलौर अथवा हैदराबाद में संसद्-अधिवेशन के बारे में संकल्प—	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	1715

Resolution *re*. Uplift of Scheduled Castes—*contd.*

	<i>Subject</i>	PAGES
Dr. Ranen Sen	1704-05
Shri Gulshan	1705
Shri Balkrishna Wasnik	1705-06
Shri Mohan Nayak	1706
Shri Ganpat Ram	1707
Shri Hukam Chand Kachhavaia	1707-08
Shri M. R. Krishna	1708-09
Shri P L. Barupal	1709-10
Dr. Ram Manohar Lohia	1710
Shri Siddiah	1710-11
Shri Kamble	1711
Shri Onkar Lal Berwa	1711-12
Shri Veerappa	1712-13
Shrimati Chandrasekhar	1713
 Resolution <i>re</i> Structure of education—		
Dr. L. M. Singhvi	1714-15
 Resolution <i>re</i> Session of Parliament at Bangalore or Hyderabad—		
Shri Prakash Vir Shastri	1715

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 12 मार्च, 1965/21 फाल्गुन, 1886 (शक)
Friday, March 12, 1965/Phalgun 21, 1886(Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

+

ब्रिटेन को निर्यात

- * 402. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री कोया :
श्रीरामपुरे :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री हिम्मत्सिंहका :
श्री रामेश्वर टांडिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार तथा प्रशुल्क सामान्य समझौता परिषद् के हाल के संकल्प के अनुसार ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय माल पर आयात शुल्क में कुछ रियायत देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में ब्रिटेन की सरकार ने क्या रियायतें दी हैं और क्या भारत सरकार इनसे सन्तुष्ट है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) 22 फरवरी, 1965 को ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया कि ब्रिटेन में होने वाले आयात पर लिया जाने वाला अधिभार 27 अप्रैल, 1965 से 15 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया जायेगा। यह प्रस्तावित कमी भारत से आयात होने वाले उन सभी उत्पादों पर लागू होगी जिन पर अधिभार लिया जाता है।

गाट की परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा अभी ऐसे कदम उठाये जाने शेष हैं जिनसे उन उत्पादों के आयात के अधिभार में रियायत दी जा सकें जिनमें भारत तथा अन्य विकासशील देश दिलचस्पी रखते हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : ब्रिटेन में भारत से आयात पर इस नये शुल्क के फलस्वरूप, हमारे पटसन तथा पटसन की वस्तुओं के निर्यात को बड़ा आघात पहुंचा है क्योंकि उन पर दुगुना शुल्क लग गया है, जैसा कि मंत्री महोदय को पता है और क्या हम जान सकते हैं कि क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार को कम से कम पटसन की वस्तुओं पर एक बार के आयात शुल्क को हटाने के लिए कोई प्रयत्न किए हैं ?

श्री मनुभाई शाह : हम भी पटसन और पटसन की वस्तुओं के बारे में अन्य विकासोन्मुख देशों के साथ मिल कर ब्रिटिश सरकार को अभ्यावेदन करने पर विचार कर रहे हैं। "गैट" परिषद् ने ब्रिटिश सरकार पर हमारी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए दबाव डाला है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस नव-निर्मित राष्ट्रमण्डल निर्यात परिषद् का क्या स्वरूप है और इसके कृत्य क्या हैं और इसका सदस्य होने के नाते हमें ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ अपना निर्यात व्यापार बढ़ाने में किस प्रकार सहायता मिलेगी ?

श्री मनुभाई शाह : मेरा यह विचार था कि यह परिषद् समूचे राष्ट्रमण्डल के लिये होगी लेकिन जब मैं व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, श्री डगलस जे० से मिला तो उन्होंने यह बताया कि यह परिषद् केवल ब्रिटेन का निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिए, अर्थात् ब्रिटेन में बनी वस्तुओं की अन्य राष्ट्रमण्डलीय और अन्य देशों में बिक्री के लिए है। अतः इसमें हमारी रुचि बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है।

श्री स० च० सामन्त : क्या ब्रिटेन और कोई अन्य देश भी हमसे ऐसी ही रियायत चाहते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यह एक प्रभुतासम्पन्न देश द्वारा उनकी मण्डी में आने वाले सामान पर अधिशुल्क है। इसके प्रत्युत्तर में वैसी ही कार्रवाई करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री प्र० च० बरुआ : ऐसे समय जब कि ब्रिटेन कुछ भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क पूर्ण रूप से हटाने पर विचार कर रहा है, हमने 10 प्रतिशत का सीमा-शुल्क लगा दिया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इसका उस देश को हमारे निर्यात पर असर पड़ेगा ?

श्री मनुभाई शाह : इस बारे में सभा बड़ी चिन्तित नजर आती है। मैंने ब्रिटिश सरकार के सभी नेताओं से कहा था कि हाथ से बनी वस्तुओं को जैसे हथकरघा कपड़े गलीचे और नारियल जटा वस्तुएं, जिन पर इस देश में काफी श्रमिक काम करते हैं, ब्रिटेन के अधिशुल्क से, चाहे वह 15 प्रतिशत हो या 10 प्रतिशत, पूरी छूट दी जाए। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा है लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

Shri Rameshwar Tantia : Have you written for exemption in surcharge on handloom cloth and other handicraft products?

Shri Manubhai Shah : We have written but so far no satisfactory reply is received.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ब्रिटिश सरकार से भारतीय श्रमिकों के बुलाने पर भी ऐसा ही रियायती रवैया अपनाने के लिये कहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, हम इसका उत्तर चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूँ ।

+ **ढलाईघरों को कच्चे लोहे का संभरण**

* 403 { श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दे० जी० नायक :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढलाईघरों को कच्चा लोहा देने तथा उसका उचित उपयोग करने से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिये सरकार ने एक तालिका बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तालिका के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इसका प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) नामिका में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :—

1. श्री के० प्रसाद, चेयरमैन, (अध्यक्ष)

इन्डियन फाउन्ड्री एसोसियेशन, कलकत्ता ।

2. श्री बी० एन० राय,

इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कं०, लि० कलकत्ता ।

3. श्री आर० एम० कृष्णन,

सहायक निदेशक, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर ।

4. श्री ए० वासवानी,

इन्डियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन, कलकत्ता ।

5. श्री बी० पी० सिन्हा, (सचिव)
विकास अधिकारी, तकनीकी विकास का महा-निदेशालय ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का एक प्रतिनिधि भी सदस्य नियुक्त किया गया था जिसकी अब मृत्यु हो गई है । यह रिक्त स्थान जल्दी ही भर दिया जायेगा ।

(ग) नामिका को अपना प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 1965 तक प्रस्तुत कर देना था । काम के विस्तार को ध्यान में रखते हुए नामिका ने समय को बढ़ा देने के लिये कहा है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Yashpal Singh : In this respectable House, most brains reach, selected brains react. Why a representative of this House not kept in this?

Mr. Speaker: If they go there, who would criticise here.

Shri Yashpal Singh : May I know whether a representative of small foundaries is there and whether some action has been taken to supply pig iron to them ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : छोटी फाउंड्रियों के बारे में ठीक आंकड़े बताना कठिन है । लेकिन कुछ अनुमान लगाया गया है । जहां तक छोटे पैमाने की फाउंड्रियों का सम्बन्ध है, उनकी संख्या 2000 से कम नहीं है । यह समिति उनके मामले पर भी विचार करेगी ।

कुछ माननीय सदस्य—उठे

अध्यक्ष महोदय : श्री स० मो० बनर्जी । जिन माननीय सदस्यों के नाम प्रश्न में हैं, उन्हें भी कुछ इस प्रकार का संकेत देना चाहिये कि वे अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं । जब मैं उनके नाम पुकारता हूं तो कुछ माननीय सदस्य खड़े नहीं होते । इस बात का कोई संकेत होना चाहिए कि वे वास्तव में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस समस्या पर सभी पहलुओं से विचार किए जाने के अतिरिक्त क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह समिति छोटी फाउंड्रियों को कच्चे लोहे की कमी के कारण कच्चा लोहा प्राप्त होने में होने वाली कठिनाई पर भी विचार करेगी और क्या यह समिति इस कमी की समस्या पर भी विचार करेगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इस समिति का एक निर्देश पद देश के विभिन्न भागों का दौरा करना और यह पता लगाना है कि इन फाउंड्रियों के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इनको किस किस का कच्चा लोहा दिया जाए और इनकी कठिनाइयां क्या हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : देश में कच्चे लोहे की कितनी मांग है, देश में कच्चे लोहे का मौजूदा संभरण कितना है, उन दोनों में कितना अन्तर है और आयात द्वारा यह कमी किस हद तक पूरी की जाएगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : अनुमान है कि मांग प्रति वर्ष 20 लाख टन है और उपलब्धता इस समय 12 लाख टन है । 1962-63 में कोई आयात नहीं किया गया । 1964 में 15 लाख टन का आयात किया गया है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि शिकायतें कहां आयीं जिस के कारण यह नामिका बनानी पड़ी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मुख्यतः शिकायत उपभोक्ताओं की थी कि संभरित कच्चे लोहे की किस्म स्तर की नहीं है अथवा यह इन्डेन्ट के अनुसार नहीं है। अतः इंजीनियरी संघ और इस्पात विभाग ने इस बारे में एक बैठक की और यह फैसला किया कि एक समिति स्थापित की जाए।

श्री भंडे : इस अध्ययन दल के निर्देश पद क्या हैं और क्या यह अध्ययन दल विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले 'कोटे' के बारे में भी विचार करेगा क्योंकि ऐसी शिकायत है कि कुछ राज्यों का पक्ष लिया जाता है और कुछ का नहीं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : निर्देश-पद दो हैं। एक तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उनकी किस्म को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन करने वाली फाउंड्रियों की कच्चे लोहे की आवश्यकता की जांच करना। दूसरा देश के विभिन्न भागों में फाउंड्रियों का निरक्षण करना और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की किस्म को ध्यान में रखते हुए इन फाउंड्रियों को दिए जाने वाले कच्चे लोहे की किस्म के बारे में सिफारिश करना।

श्री द० च० शर्मा : केवल मेरे ही राज्य में नहीं बल्कि देश भर में यह शिकायत है कि छोटे पैमाने के उद्योगों यह कच्चा लोहा नहीं मिल रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या छोटे पैमाने के उद्योगों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा और क्या उनके साथ उदात्ता दिखाई जाएगी। क्योंकि उनसे देश में रोजगार की संभावना बढ़ रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि सरकार छोटे पैमाने के उद्योगों को भरसक सहायता देने को तैयार है। हाल ही में हमने छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए प्रथम श्रेणी के कच्चे लोहे के आवंटन में वृद्धि की है।

Shri Vishram Prasad : I want to know the total loss suffered due to the non-availability of pig iron. Will this Committee consider this aspect also ?

Shri T. N. Singh : This is very difficult to assess at this moment.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने इस नामिका के समक्ष यह बात रखी है कि लुधियाना में कच्चा लोहा बिल्कुल नहीं मिल रहा है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं लुधियाना के लोगों का उनकी साधन जुटाने की क्षमता और कार्य करने के साहस की सराहना करता हूँ। यह ठीक है कि उनको कठिनाई है लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इन कठिनाइयों के बावजूद वे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यह गलत है कि उन्हें कच्चा लोहा बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है।

श्री रंगा : उनकी स्थिति सुधारने के लिये क्या किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : वे कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन जब तक उन्हें कच्चा माल ही नहीं मिलेगा, वे कैसे कर सकते हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं मानता हूँ कि कच्चे माल की कुछ कमी है।

श्री कपूर सिंह : क्या मंत्री महोदय को लुधियाना में कच्चे लोहे की चोरबाजारी मूल्य का पता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा प्रश्न है ।

Shri Sheo Narain : For the proper utilisation of this pig iron and the development of small scale industries, have you had some blacksmith from the village into this Committee ?

श्री दाजी : मंत्री महोदय के इस उत्तर को देखते हुए कि अपर्याप्त संभरण के बावजूद लुधियाना के लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्या वह यह समझते हैं कि वे कम संभरण की दिशा में चोर-बाजारी से कच्चा लोहा खरीदते रहे ?

श्री त्रि० ना० सिंह : न मेरा ऐसा मतलब है और न ही मैंने ऐसा कहा है । मैंने यह कहा है कि वे बड़ी अच्छी किस्म का माल तैयार करते हैं और इंजीनियर और इंजीनियरी कम्पनियों के रूप में वे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : वह अलग बात है । मेरा प्रश्न यह नहीं है । वह लुधियाना के इंजीनियरों के उत्पादन की किस्म को सराहना प्रमाणपत्र दे रहे हैं । क्या वह यह जानते हैं कि लुधियाना को कच्चा लोहा मांग से बहुत कम दिया जा रहा है ? लुधियाना में कच्चे लोहे का चालू चोर-बाजारी मूल्य क्या है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मुझे चोर-बाजारी मूल्य का पता नहीं है क्योंकि इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : इसका पता लगाइये ।

श्री शिकरे : चोर-बाजारी से कौन से मंत्रालय का सम्बन्ध है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जैसा मैंने बताया है, लुधियाना में स्थिति बड़ी कठिन है और मैं यह महसूस करता हूँ कि इस बारे में कुछ जरूर किया जाना चाहिए ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

+

* 404. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
डा० रानेन सेन :
श्री अ० प्र० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे कर्मचारियों की इस मांग पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए एक पृथक मजूरी बोर्ड बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक गठित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल कर्मचारियों के लिए पृथक मजूरी बोर्ड बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

श्री स० मो० बनर्जी : उत्तर यह है कि कोई पृथक मजूरी बोर्ड बनाया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है । क्या इसका यह मतलब है कि रेलवे मंत्रालय सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये एक नये वेतन आयोग के लिये सुझावों का स्वागत करेगा और इसीलिए वे एक पृथक मजूरी बोर्ड बनाना नहीं चाहते ?

डा० राम सुभग सिंह : कल तक हमने जब रेलवे बजट पर बहस की थी कि उसमें कर्मचारियों के बारे में सभी मामले उठे थे । आज कोई नई बात नहीं हुई है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या दोनों फेडरेशनों ने यह मांग की है और यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस बारे में दोनों फेडरेशनों के प्रतिनिधियों से कोई बातचीत की है ?

डा० राम सुभग सिंह : जी, हां । यह सच है कि दोनों अखिल भारत फेडरेशनों ने यह मांग की है । दोनों फेडरेशनों में एक के वार्षिक सम्मेलन में मैं उपस्थित था । हमें उनकी मांगों का पता है । हमारा फैसला यह है कि मजूरी बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : May I know the action being taken by the Government to treat the deputationists, who went the Hon. Minister, as running staff?

Dr. Ram Subhag Singh : This does not arise but it is a fact that a deputation met me. We have also received certain representations. They will be discussed on their merit.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या निकट भविष्य में एक मजूरी बोर्ड बनाने की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा ? यदि नहीं, तो रेलवे कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड न बनाए जाने के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में वह तर्क न करें ।

रेलवे मंत्री(श्री स० का० पाटिल) : यह बड़ा अच्छा प्रश्न है । आज रेलवे कर्मचारियों को जो सुविधाएं प्राप्त हैं, उन पर करोड़ों रुपया खर्च होता है । ये सुविधाएं मजूरी बोर्ड में तो शामिल नहीं हो सकेंगी । जो कुछ मजूरी बोर्ड उनको देगा, आज वे उससे बहुत अच्छे हैं । अतः इन सब बातों को देखते हुए यह आवश्यक नहीं समझा गया (अन्तर्बाधा)

Shri A. S. Saigal : May I know if you consider their demand for a wage board or the recommendations of pay commission in respect of their demands ?

Dr. Ram Subhag Singh : The recommendations of pay commission were received long back. As regards their other demands, I have already said they would be considered on merit.

श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या यह सच है कि कुछ ही दिन पहले श्रम मंत्री ने रेलवे कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से कहा था कि एक मजूरी बोर्ड स्थापित किया जाएगा ? क्या रेलवे मंत्रालय की नीति श्रम मंत्रालय की नीति से भिन्न है जो कि सरकार सामान्यतः स्वीकार करती है ताकि सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में भेद न रहे ?

श्री स० का० पाटिल : मैंने बताया कि हम उनको जो सुविधाएं दे रहे हैं, यदि वे न दी जाएं, तो मजूरी बोर्ड उनको ये सुविधाएं नहीं दे सकेगा। आप दोनों ओर से लाभ कैसे उठा सकते हैं।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या रेलवे मंत्रालय की नीति सरकार की सामान्य नीति से भिन्न है ?

श्री स० का० पाटिल : मजूरी बोर्ड कोई खिलोना नहीं है। इसका उन अच्छाइयों से सम्बन्ध रखना है जो यह लोगों के लिये करता है। मैं यह बता रहा हूं कि लोगों के साथ जो अच्छाई की गई है वह कोई भी मजूरी बोर्ड नहीं कर सकता।

श्री शिंकरे : रेलवे मंत्री महोदय ने बताया कि यदि मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाए तो रेलवे कर्मचारियों को उन बहुत सी सुविधाओं से, जो उनको अब मिल रही हैं, हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन सब यह है कि दोनों फेडरेशन मजूरी बोर्ड के लिये आन्दोलन कर रही हैं। क्या मंत्री महोदय यह समझते हैं कि आन्दोलन फेडरेशनों के नेताओं द्वारा किया जाता है और रेलवे कर्मचारियों को यह तक पता नहीं होता कि वे क्या चाहते हैं ?

श्री स० का० पाटिल : आन्दोलन में तो माननीय सदस्य को योग्यता प्राप्त है, मुझे नहीं।

श्री अ० प्र० शर्मा : मेरा प्रश्न लगभग यही है लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यही है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : बिल्कुल यही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : फिर वह यह क्यों कहते हैं कि वह वैसा ही प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री अ० प्र० शर्मा : मंत्री महोदय का कहना है कि रेलवे कर्मचारियों को आज उससे अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं जो कोई भी मजूरी बोर्ड उनको दे सकता हो। इस बात का निर्णय कौन करेगा, रेलवे मंत्रालय या कर्मचारी, कि उनको अधिक सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं ?

श्री स० का० पाटिल : मैं समझता हूं कि श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में माननीय सदस्य और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री एक साथ बैठ कर निर्णय कर लें।

डा० रानेन सेन : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि श्रमिक और मंत्री मिल कर इस पर फैसला करेंगे। यदि ऐसा है, तो क्या रेलवे मंत्रालय इस बारे में तत्काल कदम उठाएगा कि दोनों रेलवे फेडरेशन और मंत्री मिल कर इस बारे में अन्तिम रूप से फैसला करें ?

श्री स० का० पाटिल : मैं नहीं समझता कि पहल मंत्री को करनी चाहिए। अपने हितों की रक्षा के लिए वे बड़े सावधान हैं।

Shri Bibhuti Mishra : Will the Hon. Railway Minister see to it that the wages of railway men are not increased to the extent that it might have its repercussions on the agricultural labour and they leave their profession of agriculture and seek jobs elsewhere ?

Shri S. K. Patil : This is another question. I think he has replied on my behalf.

+ ट्रकों का उत्पादन

*405. { श्री ओंकार लाल बेरवा :
 श्री प्र० घं० बरुआ :
 श्री हिम्मतसिंहका :
 श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक ट्रकों के उत्पादन के लिए टेलको का विस्तार करने के लिए अमरीका की सरकार से 118 लाख डालर का ऋण प्राप्त किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि० वम्बई (टेलको) ने अभी हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजेन्सी से अपने ट्रक विस्तार कार्यक्रम के वास्तु मशीनों का आयात करने के लिए 118 लाख डालर का ऋण सीधे ही प्राप्त किया है ।

इस ऋण की आदायगी कम्पनी द्वारा 17 अर्ध-वार्षिक किश्तों में की जाएगी जो प्रथम परिव्यय के 18 माह बाद शुरू होगी । पहले परिव्यय से 3/4 प्रतिशत की ऋण फीस तथा 4 3/4 प्रतिशत के हिसाब से बिना भुगतान हुई रकम पर विशेष प्रभार देना होगा । कम्पनी इसका भुगतान भारत सरकार को करने के बाद उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगी तथा भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी को विशेष ऋण आदायगी प्रक्रिया समझौते के अर्न्तगत इसका भुगतान करेगी । यह समझौता भारत सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के बीच होगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : What amount has so far been spent out of the loan of 118 dollars received from America and how much has been given to the Private Sector ?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : The whole of it is for the Private Sector. The whole of the 118 dollar loan to which hon. Member is referring, pertains to TELCO which is a Private Sector Concern.

Shri Onkar Lal Berwa : Will this loan suffice for whole of the expansion work or further loans will have to be taken ?

Shri T. N. Singh : Their's is a very big programme. They have reached a target of 45000 trucks whereas present capacity is only of 22,000 trucks.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether more loan will have to be given for that ?

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि देश में ट्रकों की भारी कमी है, विशेषतः मरसी-डस-बेन्स जैसे अच्छी किस्म के ट्रकों की, यदि हां, तो क्या सरकार छोटी कार के साथ साथ ट्रकों के निर्माण पर भी विचार करेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : योजना आयोग ने 60,000 का लक्ष्य रखा था और हमने 78,000 तक की क्षमता के लिये लाइसेंस दिया हुआ है जिसमें 15,000 हिन्दुस्तान मोटर्स के लिये ; 15,000

प्रीमियर आटोमोबाइल्स के लिये, 24,000 टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कम्पनी के लिये ; 7,400 अशोक लीलैंड के लिये ; 1,500 मैसर्स स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड के लिये; 12,000 मैसर्स सिम्पसन एंड कम्पनी आदि के लिये शामिल है। इसका अभिप्राय टूकों की मांगों को ही पूरा करना है ।

श्री मान सिंह पृ० पटेल : टेलको को दी गई सहायत को देखते हुए—प्रतीक्षा की अवधि इस समय लगभग एक वर्ष है अथवा दो वर्ष है—टेलको का उत्पादन कब इतना हो जायेगा कि वह देश की मांग को पूरा करने लगेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : आशा है कि वह 24,000 तक बनाने लगेगा और उस समय तक मैं समझता हूँ कि उस समय तक वह मांग का बड़ा भाग पूरा करने लगेगा ।

+ मदुरै के निकट दुर्घटना

- *406 { श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री रामनाथन चेट्टियार :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 दिसम्बर, 1964 को मदुरै से 22 मील दूर पल्लपट्टी पर मद्रास जाने वाली त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने घायल हुए ;

(ग) उनको कितना मुआवजा तथा मुफ्त अर्थ सहायता दी गई ; और

(घ) क्या कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना के फलस्वरूप 4 आदमी मर गये और 23 घायल हुए, जिनमें से 5 को गम्भीर चोटें आयीं ।

(ग) अभी तक क्षतिपूर्ति के किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन जो यात्री मारे गये उनके निकटतम सम्बन्धियों और घायलों को अनुग्रह के रूप में 5,100 रुपये की रकम दी गयी है ।

(घ) रेलवे संरक्षा के अपर आयुक्त (Additional Commissioner of Railway Safety) बेंगलूरु ने इस दुर्घटना की जांच की थी । अभी उनकी रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा रेलवे दुर्घटनाएं कम हो गई हैं और यदि हां, तो क्या ऐसा मंत्री द्वारा किये गये अच्छे कार्य के कारण है अथवा किन्हीं उपायों के कारण

अध्यक्ष महोदय : हम केवल इस दुर्घटना से सम्बन्धित हैं ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा ब्योरे देने पर दिया जायेगा अथवा मुआवजा देने के लिये कोई कसौटी रखी गई है ?

श्री शामनाथ : दावे करने के लिये प्रक्रिया विहित है । इस मामले में हमें दावों के लिये 9 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर मदुरै के जिला न्यायाधीश विचार करेंगे ।

Shri Bade : Is it a fact that the *exgratia* compensation of Rs. 5,000 is very small and whether complainants have been received that Government have paid no attention for giving compensation to the relatives of the deceased persons and the injured persons ?

Shri Sham Nath : The amount of Rs. 5,100 which has been given is *exgratia* Compensation. As I said Distt. and Sessions Judge Madurai are the claims Commissioners and they have already received 9 applications regarding claims which will be decided by them.

Shri Bade : What is the amount of the claims ?

Shri Sham Nath : This I do not know.

Shri Bade : Those people have complained that they have not been given any compensation.

Mr. Speaker : Distt. and Sessions Judge have received the applications. They have to decide.

Shri Hukam Chand Kachhavaia : Is it a fact that no on the spot aid was given to the persons injured in this accident. This accident took place on 23rd December. May I know the reasons for delay in holding the enquiry ?

Shri Sham Nath : So far as the *exgratia* compensation is concerned it was rendered immediately. This compensation was given to the relatives of the 4 deceased persons and to 5 others who were injured. Eleven other passengers who had received minor injuries were given Rs. 100 each. The District and Sessions judge has received the applications after the press notification had been given the persons concerned sent their applications.

Shri Hukam Chand Kachhavaia : The Minister has not mentioned the reasons for not holding the enquiry for 3 months.

Mr. Speaker : Till now only the applications have been received and Distt. and Sessions Judge has to make investigation. Where lies the delay ?

Shri Hukam Chand Kachhavaia : The Minister has given the wrong statement . Rupees thirty each have been given for the burial of the deceased persons. None else has been given any thing.

Mr. Speaker : If there is any misstatement by a Minister, the Members have got a remedy for that. I cannot force any one to say the right thing.

Shri Vishwa Nath Pandey : Has the initial investigation revealed that the accident took place due to the defect in the railway line ?

Shri Sham Nath : The train was pouring heavily on that day which resulted in a breach in the embankment. It is presumed that the accident took place on account of that.

श्री अ० ब० राघवन : जो व्यक्ति मारे गये हैं क्या उन मेंसे सब की पहिचान कर ली गई है और उनके परिवारों से मुआवजे के लिये प्रार्थनापत्र प्राप्त हो गये हैं ?

श्री शाम नाथ : जी हां मुआवजे के लिये अब तक 9 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं, परन्तु पदेन कलेम्स कमिशनर ने अभी तक कोई पंचाट नहीं दिया है।

माल डिब्बों का निर्यात

* 407 { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामचन्द्र रुलिक :
श्री बाल्मीकी :
श्री महेश्वर नायक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का विचार माल-डिब्बों का निर्यात करने का है ;
- (ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को इनका निर्यात किया जायेगा ; और
- (ग) किस प्रकार के माल डिब्बों का निर्यात किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत में बने मालडिब्बों की खपत एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में होने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इन मालडिब्बों का निर्यात पूर्वी यूरोप के देशों को भी किये जाने की गुंजाइश है। यदि कीमतों, डिलेवरी आदि के सम्बन्ध में हम दूसरों का मुकाबला कर पाये तो भारतीय मालडिब्बों के लिए विदेशी बाजारों की संख्या में वृद्धि करना संभव हो सकेगा।

भारत में मालडिब्बे बनाने का उद्योग अब सुदृढ़ हो गया है और इस उद्योग के द्वारा बोगी तथा चौपहिये, दोनों तरह के मालडिब्बे बनाये जा रहे हैं। विदेशी खरीदारों द्वारा अपेक्षित मालडिब्बे बनाने की क्षमता इसमें आ गयी है। यद्यपि, अतीत में, कुछ भारतीय फर्मों ने मालडिब्बों के लिए विदेशों द्वारा मांगी गयी जानकारी के सिलसिले में अपने भाव बताये थे, लेकिन अभी तक निर्यात के लिये कोई आर्डर नहीं मिला है।

फिर भी, भारतीय मालडिब्बों के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रयास जारी है।

श्री स० चं० सामन्त : भारत में इन मालडिब्बों की उपलब्धता के सम्बन्ध में विदेशों में किस किसका प्रचार किया गया है ?

डा० राम सुभग सिंह : इस सम्बन्ध में हमने अपने राजनयिक प्रतिनिधिमण्डलों को सूचित कर दिया है और एक सूची परिचालित कर दी गई है उस में सभी चीजों के नाम दिये गये हैं जो यहां से निर्यात की जा सकती हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या भारतीय मालडिब्बों की किस्म और मूल्य की विदेशी मालडिब्बों की किस्म और मूल्य से तुलना की गई है और यदि हां, तो हमारे मालडिब्बे विदेशी मालडिब्बों की तुलना में कैसे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : किस्म काफी मिलती जुलती है और मूल्य भी अधिक नहीं है। परन्तु अभी तक उन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया है क्योंकि यद्यपि जापान और जर्मनी आदि के मूल्य हमारे मूल्यों से कुछ अधिक हैं, वे उनके ऋणों से बन्धे हुए हैं, और इसलिये उनके टेन्डर स्वीकार किये गये हैं और हमारे स्वीकार नहीं किये गये हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों में मण्डियों का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : कुछ एशियाई और अफ्रीकी देश ऐसी प्रमुख मण्डियां हैं जहां पर इन डिब्बों को निर्यात किया जा सकता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह देखते हुए कि पूर्व यूरोपीय देशों के साथ हमारे रुपये भुगतान कार हैं और कुछ एशियाई और अफ्रीकी देशों को सहायता भी दे रहे हैं, क्या हम एशियाई और अफ्रीकी देशों में रहने वाले लोगों को रुपये में भुगतान के स्थान पर ऋणों के रूप में इन वस्तुओं को देकर हम अपने निर्यात को नहीं बढ़ा सकते ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि विवरण में दिया गया है इन रेलवे उपकरणों के लिये पूर्वी यूरोप के देश अच्छी मण्डियां बन सकती हैं और हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं क्या इनको ऋणों के स्थान पर भेजा जा सकता है।

डा० राम सुभग सिंह : यह एक बड़ा प्रश्न है और वित्त मंत्रालय के अधीन आता है।

Shri R. S. Tiwary : Are we manufacturing wagons in such a number as leaves something for export after sufficing for the home consumption ?

Dr. Ram Subhag Singh : As regards wagons we are nearly self sufficient.

Shri Sarjoo Pandey : Minister says that we are self sufficient in wagons. But it has been seen that wagons are generally not available. May I know what is our production of wagons ?

Dr. Sam Subhag Singh : About 30,000 wagons are manufactured. If the hon. Member is facing difficulties in getting wagons, we will arrange for that.

Shri Vishram Prasad : Sometime back India supplied some railway coaches to Africa. May I know thier performance and what number is being supplied ?

Dr. Ram Subhag Singh : About performance I cannot say anything until I have received the information. But the wagons have not so far reached Africa.

श्री त्रिय गुप्त : क्या सरकार ने इस चीज पर विचार किया है कि परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के द्वाये वैगनों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने को पूर्वता देनी

चाहिये। देश की परिवहन आवश्यकताओं को पहले पूरा कहने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह बिलकुल स्वभाविक है, क्योंकि जो हमारी आवश्यकताओं हैं उनको सर्वप्राथमिकता देनी चाहिये। परन्तु यदि किसी निर्माणकारी कारखाने में निर्माण की गई वस्तुये आवश्यकता से अधिक है, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में यह स्वभाविक है कि हमें उनके निर्यात के लिये प्रयास करना पड़ेगा।

श्री मं० रं० कृष्ण : माननीय मंत्री ने कहा कि मालडिब्बों का उत्पादन हमारी आवश्यकता से अधिक होता है। यदि ऐसा है, तो क्या मालडिब्बे बनाने वाले इन कारखानों में काम घट गया है और उनको क्या अन्य काम दिया गया है ?

डा० राम सुभग सिंह : केवल मालडिब्बे ही नहीं बनाये जाते हैं। रेलवे उपकरणों के अन्तर्गत अनेक वस्तुएं आती हैं। यदि एक वस्तु का उत्पादन फालतू होता है तो तुरन्त ही उस के स्थान पर दूसरी वस्तुओं को लिया जा सकता है।

रेत की ढुलाई

+

* 408. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला बोर्ड के चेयरमैन ने पूर्व रेलवे के अधिकारियों को लिखा है कि वे ऐसे उपायों पर विचार करें जिनसे संग्रह करने के लिये दूर्गापुर के निकट दामोदर नदी के क्षेत्र से 1970 तक 90 लाख मीट्रिक टन रेत की ढुलाई की जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान रेलवे लाइनों से यह कार्य पूरा किया जा सकेगा अथवा एक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने का विचार है ;

(ग) क्या कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो अध्ययन कब आरंभ किया जायेगा तथा निर्णय कब तक हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेल-प्रशासन संयुक्त रूप से विचार कर रहे हैं।

(ग) और (घ) : अपेक्षित मात्रा में संग्रह के लिये समान और उसके लिए परिवहन की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अभी हाल में कोयला बोर्ड से एक विवेचनात्मक रिपोर्ट मिली है और उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री स० चं० सामन्त : रेलवे सुविधाओं की कमी के कारण क्या खान मालिकों से भी इस प्रकार की मांगें प्राप्त हुई हैं।

श्री शाम नाथ : मुझे इसप्रकार की मांगों के मिलने का पता नहीं है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि खान लालिक रज्जू पथों के बारे में विचार कर रहे हैं क्योंकि उनको ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं ?

श्री शामनाथ : मैं बिना पूर्व सूचना के इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूं ।

Shri Yashpal Singh : Will it not be advisable to start our industries on the banks of rivers rather than transporting the sand in view of the fact that neither we have railway engines nor we have got so much of capacity ?

Mr. Speaker : It will also be considered.

डा०. रानेन सेन : क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा कोयला नगर बारोकर का भूमितल उचित संग्रह के न होने के कारण नीचे जा रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री शाम नाथ : यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है । इस संबंध में किसी विशेष कोयला खान अथवा कोयला क्षेत्र अथवा इसकी स्थिति के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं ।

दुर्गापुर में प्रदर्शनी

+

*409. { श्री दाजी :
श्री सुरन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री वारियर :
डा० सारादीश राय :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा कुछ अन्य सरकारी उपक्रमों को दुर्गापुर में पिछले कांग्रेस अधिवेशन के दौरान प्रदर्शनी लगाने के लिए कहा था ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय हुआ और उस प्रयोजना के लिए दुर्गापुर अधिवेशन आयोजकों से ली गई भूमि के लिए विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा कितना भूमि किराया दिया गया; और

(ग) क्या दुर्गापुर कांग्रेस अधिवेशन के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाने ने बिजली तथा जल की सुविधाएं दी थीं और इस पर क्या व्यय हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जहां तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा बोकारो स्टील लिमिटेड का सम्बन्ध है पिछले कांग्रेस अधिवेशन में प्रदर्शनी लगाने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए गये थे । पश्चिमी बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति का अनुरोध कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने उनकी प्रदर्शनी में भाग लें, इन दोनों कम्पनियों को सूचना एवं विचारार्थ भेज दिया गया था । भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने प्रदर्शनी में माडल, इस्पात कारखानों के चित्र और अपने उत्पादन के परिक्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए एक मण्डप लिया था । इस पर हुए कुल व्यय का अनुमान लगभग 3 लाख रुपये है । इसमें 55,650 रुपये जमीन का किराया भी शामिल है । भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रखा जायेगा ।

(घ) जी, नहीं ।

श्री दाजो : इस्पात संयंत्र द्वारा दुर्गापुर में की गई प्रदर्शनी पर खर्च किए गये 3 लाख रुपये से सरकार के विचार में वास्तव में क्या फायदा हुआ है ? हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के व्यापार में सरकार के विचार से क्या फायदा पहुंचेगा ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : जैसा कि उत्तर में बताया गया था कि यह निर्णय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने किया था, और यह 3 लाख रुपया ढांचे के लिए तथा अन्य कई मदों के लिए है । भूमि का किराया केवल 55,000 रु० है जबकि ढांचों की लागत लगभग 1,17,000 रु० है और स्वभावतः दूसरे भी खर्च हैं जैसे कि टेलीफोन, बिजली आदि । फायदा यह है कि जिन लाखों व्यक्तियों ने निर्मित वस्तुओं को देखा है वे स्वभावतः हिन्दुस्तान स्टील के लोगों का साहस बढ़ायेंगे और जनता को भी सूचित रखेंगे ।

श्री शिंकरे : जब आप मांग पूरी नहीं कर सकते

श्री संजीव रेड्डी : केवल मांग का ही प्रश्न नहीं है । अन्ततोगत्वा यह सामान्य रूप से बहुत उपयोगी होगी ।

श्री दाजो : क्या सरकार को राष्ट्रीय एकीकरण समिति द्वारा स्वीकृत इस 'खण्ड' का पता था जिस पर कि कांग्रेस दल और अन्य दल सहमत थे, कि किसी दल के हितों के लिए सरकारी व्यवस्था को इस्तेमाल नहीं किया जायेगा और इसलिये इसको देखते हुए क्या सरकार यह नहीं समझती कि केवल एक विशेष दल के हितों के लिए यह राज्य के खजाने पर बोझ डाला गया है ।

श्री संजीव रेड्डी : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूँ । ऐसी बड़ी प्रदर्शनी में जहां कि लाखों व्यक्ति जमा होते हैं, स्वभावतः केवल सरकारी क्षेत्र अपितु गर-सरकारी क्षेत्र के भी सभी उद्योग प्रचार पर कुछ न कुछ खर्च करते हैं आप इस को बड़ी राशि नहीं कह सकते ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि मैं ने उन को ठीक सुना है, तो प्रदर्शनी में प्रवेश के लिये अथवा वहां पर एक स्टाल लगाने के लिये पश्चिमी बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति ने भारत सरकार को पत्र भेजा था और भारत सरकार ने इस को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को भेज दिया था । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा दुर्गापुर के अधिवेशन में अपनी प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये कहते समय भारत सरकार ने मौखिक अथवा लिखित रूप में क्या सिफारिशें की थीं ? क्या ऐसा इसी मामले में किया गया है अथवा किसी अन्य मामले में भी किया गया है ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं केवल इस के बारे में कह सकता हूँ, पत्र विचार के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को भेजा गया । दूसरों के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । पत्र विचार के लिये भेज दिये गये थे ।

श्री हेम बरुआ : उस भूमि का क्षेत्रफल क्या है जिस के लिये 55,000 रु० किराया दिया गया और कांग्रेस दल द्वारा यह भूमि सरकार को कितने दिन के लिये किराये पर दी गई थी ?

श्री संजीव रेड्डी : कांग्रेस दल से नहीं, एक प्रदर्शनी समिति है जिस से भूमि किराये पर ली गई थी। लगभग 200 — 100 वर्ग फुट पट्टे पर ली गई थी और लगभग 1 मास के लिये ली गई थी। इस के लिये निर्धारित दरें हैं। ऐसा केवल हिन्दुस्तान स्टील के लिये ही नहीं है। सैंकड़ों और स्टालें वहां पर थीं। भूमि के लिये दरें निश्चित थीं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसे स्थानों पर अपनी वस्तुयें प्रदर्शित करने के लिये प्रोत्साहन नहीं देती है जहां पर कि लोग बड़ी संख्या में जमा होते हैं और यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने कांग्रेस के दुर्गापुर अधिवेशन में यह प्रदर्शनी लगाने में गलती की है, और क्या इस अधिवेशन में लोग बड़ी संख्या में नहीं आये ?

श्री संजीव रेड्डी : कोई गलती नहीं है। हम अनुभव करते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्य को देख सकते थे और उस की प्रशंसा कर सकते थे।

श्री हेम बरुआ : कांग्रेस के दुर्गापुर अधिवेशन में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या कोई बड़ी नहीं थी। (अन्तर्बाधायें)

श्री संजीव रेड्डी : कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या चाहे कुछ भी हो; प्रदर्शनी में यह संख्या बड़ी थी : मैं स्वयं वहां पर था।

श्री दाजी : कांग्रेस अधिवेशन से भी अधिक ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं कांग्रेस अधिवेशन संबंधी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूं।

Shri Bade : Just now the hon. Minister in reply to Shri Daji's question said that he does not consider the expenditure of Rs. 3 lakhs as unjustified. May I know whether similar expenditures are incurred in opening stalls of H.S.C. in Jan Sangh and Communist parties sessions ?

श्री संजीव रेड्डी : निर्माण पर व्यय किये गये इन 3 लाख रुपयों में से, मैं समझता हूं कि हम कुछरुपया वसूल कर लेंगे, यह कुल व्यय नहीं है . . . (अन्तर्बाधाएं) मैं दूसरे भाग को भी ले रहा हूं। जरा संतोष रखिये। दुर्भाग्य है कि मैं इतना योग्य नहीं हूं जितने कि माननीय सदस्य। यदि संबंधित अधिकारी यह समझते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे, तो वे इसी प्रकार की कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या स्टाल कांग्रेस अधिवेशन को अधिक महत्व देने के लिये लगाई गई थी अथवा यह निर्मित माल की प्रदर्शनी के लिये लगाई गई थी ?

श्री संजीव रेड्डी : कांग्रेस का अपना महत्व है : एक स्टाल द्वारा इस का महत्व नहीं बढ़ जाता है। इस का महत्व तो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है।

रबड़ की खेती

+

* 410. { श्री दे० द० पुरी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में रबड़ की खेती के विकास के लिये अग्रिम परियोजना चालू हो गई है; और

(ख) इस द्वीप समूह में रबड़ की खेती से देश की रबड़ की मांग के कहां तक पूरा होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० बे० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) रबड़ बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के अनुसार अण्डमान और निकोबार द्वीपों में लगभग 15,000 एकड़ भूमि रबड़ की खेती के उपयुक्त हो सकती है। इस क्षेत्र में खेती होने पर प्रतिवर्ष लगभग 10,000 मी० टन प्राकृतिक रबड़ पदा होने की आशा है। यह वर्तमान खपत की गति के अनुसार देश की प्राकृतिक रबड़ सम्बन्धी अनुमानित आवश्यकता की लगभग 16 प्रतिशत होगी।

श्री दे० द० पुरी : क्या इस प्रयोग से एकत्रित हुए आंकड़ों के अनुसार सरकार प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन के मूल्य का पता लगा सकी है और इस मूल्य का संश्लेषित रबड़ के मूल्य से क्या अनुपात है ?

श्री सें० बे० रामस्वामी : अभी तो हम अग्रिम परियोजना तैयार कर रहे हैं। हम ने मूल्य का अनुमान अभी नहीं लगाया है।

श्री दे० द० पुरी : क्या देश के अन्य भागों में भी अग्रिम परियोजनाएं आरम्भ करने का भी सरकार का विचार है ?

श्री सें० बे० रामस्वामी : अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में भूमि उपलब्ध है तथा वहां की ऋतु भी अनुकूल है और यह केरल की ऋतु से मिलती है इसलिये यहां अग्रिम परियोजनाएं आरम्भ करना ठीक समझा गया।

श्री रामेश्वर टांटिया : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन का यहां अभाव है। यदि हां, तो क्या सरकार रबड़ की उपज में कर अथवा अन्य रियायतें देने पर विचार करेगी जैसे चाय बागान के मामले में किया गया है ताकि रबड़ का उत्पादन उन्नति कर सके ?

श्री सें० बे० रामस्वामी : ऐसे उपायों की आवश्यकता नहीं है। हम कई परियोजनाओं को राजसहायता तथा ऋण सहायता दे रहे हैं और उत्पादन बढ़ा रहे हैं। 1950 में उत्पादन लगभग 15,000 टन था और निरन्तर बढ़ कर 1964 में 44,000 टन हो गया है और अब भी बढ़ रहा है।

श्री मणियंगांउन : क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में रबड़ के वृक्ष लगाने लिये कोई निगम बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : कोई सरकारी क्षेत्रीय निगम बनाने का कोई विचार नहीं है। राज्य सरकार द्वारा संचालित केरल रबड़ निगम वहां है और उन का कार्यक्रम 20,000 एकड़ तक विस्तार करने का है। वह 12,000 एकड़ तक विस्तार कर चुके हैं।

श्री केप्पन : क्या उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में वृद्धि के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : इस का प्रश्न ही नहीं उठता। हाल ही में मूल्यों में वृद्धि की गई थी। यह एक लाभ वाला व्यापार है। मूल्यों पर पुनर्विचार करने का कोई मामला समक्ष नहीं आया।

श्रीमती अकम्मा देवी : केरल में रबड़ उत्पादकों को अवक्षयण छूट दी जा रही है। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस के कारण उत्पादन में कहां तक वृद्धि हुई है और क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में रबड़ उत्पादकों को भी यह भत्ता दिया जाएगा ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हम इस योजना के अधीन केरल में यह ऋण दे रहे हैं। जहां तक अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का सम्बन्ध है—क्योंकि यह एक नई योजना है—अब तक तो वहां इमारती लकड़ी ही होती थी परन्तु अब हम रबड़ का विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री अ० व० राघवन : क्या केरल के अनुभवी रबड़ निर्माताओं को अन्दमान में रबड़ उत्पादन करने की आज्ञा दी जाएगी ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : सब से पहले हमें अपनी अग्रिम परियोजना का प्रयोग कर के देखना है अन्दमान द्वीप समूह प्रशासन, रबड़ बोर्ड की सहायता तथा मार्गदर्शन से इस परियोजना पर कार्य कर रहा है। हमें इस अग्रिम परियोजना की प्रगति को देखने के लिये प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री कपूर सिंह : क्या हमारे देश में संश्लेषित रबड़ का काफी बड़ा उद्योग है, और, यदि हां, तो उत्पादकता, मूल्य तथा प्रयुक्ति आदि के सम्बन्ध में इस प्रकार के रबड़ की प्राकृतिक रबड़ से किस प्रकार तुलना की जा सकती है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : उत्तर प्रदेश में बरेली स्थित एक संयंत्र है। इस समय इस का उत्पादन 11,800 टन है। इस का मूल्य प्राकृतिक रबड़ से थोड़ा अधिक है।

श्री कपूर सिंह : उन्होंने मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय ।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : I want to know the total amount spent by Government on this project so far and the amount likely to be spent in future and whether the increase in production will be able to fulfil the requirement of consumers and what was the short fall before ?

Mr. Speaker : He has said that 16% of the demands will be met.

श्री सें० वें० रामस्वामी : आयोजना 11 वर्षों में लगभग 35 लाख रुपये खर्च करने का है। पहले ही लगभग 50,000 रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

Mr. Speaker : What percentage of requirements will be fulfilled ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जैसा मैंने कहा है हमारी खपत का 16 प्रतिशत पूरा होगा ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : जहां तक रबड़ उगाने के संसाधनों का सम्बन्ध है क्या सरकार एक पूरा सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव कर रही है ।

श्री सें० वें० रामस्वामी : हमने परियोजनाएं बना रखी हैं । हमने त्रिपुरा, असम में, महाराष्ट्र तथा मैसूर में भी सर्वेक्षण किया है । वास्तव में त्रिपुरा तथा असम में प्रीक्षार्थ प्रयोग सफल रहे हैं ।

श्री पु० र० पटेल : संश्लिषत रबड़ का उत्पादन करने वाले कारखाने मांग न होने के कारण, पूरी क्षमता में से भी अधिक उत्पादन करने योग्य नहीं है । मैं जानना चाहता हूं रबड़ आधीन भूमि चावल तथा अन्य फसलों को उगाने के काम क्यों नहीं लाई जाती ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : बात यह है कि केवल प्राकृतिक अथवा संश्लिषत रबड़ ही पहिये तथा रबड़ की दूसरी वस्तुएं बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता । 'एस-बी-आर' रबड़ तथा 'आइसेक्रीम' रबड़, प्राकृतिक रबड़ के साथ मिला कर ही रबड़-निर्मित वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है । इसलिये, संश्लिषत रबड़ भी प्राकृतिक रबड़ के साथ साथ आवश्यक हो गया है ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस सम्बन्ध में अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों तथा मुख्य संस्थाओं की बार बार प्रार्थना के बावजूद भी सरकार ने एक योजना बनाने तथा उसे अन्तिम रूप देने में इतनी देर क्यों लगा दी है ? मैं जानना चाहती हूं कि सरकार इस योजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लेगी और रबड़ का उत्पादन आरम्भ करने में कितना समय लगेगा ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : तीन समितियां बन चुकी हैं : पहली 1957 में, दूसरी 1959 में तथा तीसरी 1962 में । हम अन्तिम रिपोर्ट के पश्चात् ही अन्तिम परियोजना को अन्तिम रूप दे सके हैं । जहां तक उपज का सम्बन्ध है, पेड़ लगाने के सात वर्ष पश्चात् ही इसकी प्राप्ति हो सकेगी ।

श्री प्र० के० देव : परिवार नियोजन के बड़े पैमाने पर किये जाने वाले उपायों की दृष्टि से और क्योंकि इस सम्बन्ध में बहुत सी रबड़ से बनी वस्तुओं की आवश्यकता होगी, क्या मैं जान सकता हूं कि देश में रबड़ के लिये बड़े पैमाने पर प्रचार करने के लिये क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri K.N. Tiwary : Taking into consideration the (sparse) population of Andman & Nicobar Island, whether enough labour will be available for rubber ? If not, whether arrangements are being made to import labour from the mainland ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : इन सभी बातों पर विचार किया चुका है । अग्रिम परियोजना पर अब कार्य आरम्भ हो चुका है ।

बंगाल की खाड़ी में फासफेट

+

- * 411 { श्री यशपाल सिंह :
 महाराजकुमार विजय आनन्द :
 श्री अ० ना० विशालंकार :
 श्री सुबोध हंसदा :
 श्री स० चं० सामन्त :
 श्री म० ला० द्विवेदी :
 श्री हुकमचन्द कछवाय :
 श्री ओंकार लाल बेरवा :
 श्री प्र० चं० बरुआ :
 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
 श्री रामेश्वर टांटिया :
 श्री हिम्मतसिंह का :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल की खाड़ी तथा भारत के पश्चिमी घाट पर फासफेट मिट्टी के काफी निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों के कितने होने का अनुमान है ; और

(ग) इनको निकालने तथा उर्वरक बनाने के लिए प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं इसके क्या परिणाम निकले ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines Shri P. C. Sethi (a) No such deposits have been located.

(b) and (c). Do not arise.

Shri Yashpal Singh : What would be the cost of the fertilisers produced from phosphate in comparison to the cost of imported fertilisers ?

Shri P. C. Sethi : The question was that whether phosphate deposits have been found out and if so, whether these have been utilised towards fertiliser production. Since no phosphate deposits have been located the questions of their utilisation towards fertiliser production and their cost do not arise.

Shri Onkar Lal Berwa : How many tests have been carried out for this purpose ?

Shri P. C. Sethi : Tests were carried out near Kakinada, in the Bay of Bengal and at Kozikode. A test has also been carried out by a Foreign Agency namely the Russian Research Vessel vityaz but no satisfactory result has come out.

जापान से छोटे संयंत्रों की खरीद

+

- * 412 { श्री रामेश्वर टांटिया :
 श्री शिवमूर्ति स्वामी :
 श्री विभूति मिश्र :
 श्री ओंकार लाल बेरवा :
 श्री तन सिंह :
 श्री रवीन्द्र वर्मा :
 श्रीमती रणुका बड़कटकी :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में जापान से छोटे संयंत्रों की खरीद के लिए भारत तथा जापान की सरकारों, के बीच करार हो गया है ;
 (ख) यदि हां तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ;
 (ग) जापान किस प्रकार के संयंत्र देगा ; और
 (घ) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र):(क) से(घ) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम नई दिल्ली, जो एक सरकारी संस्थान है तथा जापान स्माल प्लांट कमेटी के बीच हुआ समझौता क्रियाविधि विषयक है जिसके अनुसार चौथे येन ऋण के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को जापानी मशीनों और उपकरणों का सम्भरण किया जाएगा ।

(ख) इस समझौते की मुख्य बातें संक्षेप में निम्न प्रकार हैं ।

- (I) जापान स्माल प्लांट कमेटी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की उन उचित निर्यातकों—उत्पादकों की सिफारिश करके सहायता देगी जो निगम जो आवश्यक मशीनों का संभरण करने की स्थिति में है । सभी व्यापारिक सूचनायें जापान स्माल प्लांट कमेटी की मार्फत भेजी जाएगी ।
- (II) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा जापानी निर्यातकों-उत्पादकों को जो आर्डर दे दिए गए हैं उनकी पुष्टि समझौता पत्र में जापान स्माल प्लांट कमेटी द्वारा बतलाई गई विधि से की जाएगी ।
- (III) समझौता शीटें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा जापान के आयात-निर्यात बैंक को वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) की मार्फत भेजी जाती है और जैसे ही यह आयात-निर्यात बैंक द्वारा स्वीकृत होती है वैसे ही राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को “स्वीकृति सूचना” दे दी जाती है ।

(IV) 'स्वीकृति सूचना' प्राप्त होते ही राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आवश्यक ऋण पत्र दे कर मशीनों के आयात के लिए आगे कार्यवाही करता है ।

(ग) जापान से मशीनों की किस्मों के आयात के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है यह उन लघु उद्योगों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है जिनके प्रार्थनापत्रों को किराया—खरीद के आधार पर जापानी मशीन देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ।

(घ) चौथे येन ऋण के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए 10 लाख डालर की राशि नियत की गई है जिसके द्वारा वह अपनी किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों को मशीनों का संभरण करेगा ।

श्री रामेश्वर टांटिया : जब हमारे देश में हिन्दुस्तान मशीन टूलज़ और सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में अन्य मशीन निर्माण संयंत्र हैं, तो जापान से इन छोटे संयंत्रोंको आयात करने के क्या कारण हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि क्या हमने इनको देश में बनाने की सम्भावनाओं की जांच कर ली है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जब भी आयात करने के लिये कोई आवेदन पत्र राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को प्राप्त होता है, तो वे इन इन सभी बातों पर विचार करते हैं जैसे संयंत्र की उपयोगिता तथा क्या यह देश में उपलब्ध है अथवा नहीं । यदि यह देश में मिलता हो तो आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है । ऐसे कई संयंत्र हैं जो लघु उद्योगों के लिये आवश्यक हैं परन्तु वे देश में उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या उनका आयात नियति प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है अथवा अन्यथा ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : नियत की गई दस लाख डालर की राशि में से यह आयात केवल एक विशेष प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा रहा है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : जापानी मशीनों की किन विशेष लघु उद्योगों में अधिक मांग है और किन के लिये यह उपयुक्त पाई गई है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं । इन की गणना करना बहुत कठिन है ।

नये इस्पात कारखाने

+

*413 { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ-होसपेट तथा बेलाडिला-विशाखापत्तनम क्षेत्र में इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) चौथी योजना अवधि में बोकारो के अतिरिक्त कम से कम एक और नया इस्पात कारखाना लगाने का विचार है। ब्रिटिश अमेरिकन स्टील वर्क्स फार इंडिया कन्सार्टियम से गोआ-होसपेट, ब्रेलाडिला—विशाखापत्तनम और नेवेली-सेलम क्षेत्रों का अध्ययन करने और नये इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिए स्थानों के बारे में सिफारिशें देने को कहा गया है। इन सिफारिशों के मई 1965 तक मिलने की संभावना है। कुछ ब्लाट्स फर्नेस कम्पलेक्स स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के शक्यता अध्ययन भी करवाये जा रहे हैं। इनमें से एक कम्पलेक्स को बाद में विस्तार करके शायद इस्पात कारखाने में बदल दिया जाये। इन अध्ययनों के अगले कुछ महीनों में पूरे हो जाने की संभावना है तदोपरान्त इनके स्थान निर्धारण और निर्माण कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

श्रीमती सावित्री निगम : इस इस्पात संयंत्र से कुल कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस संयंत्र से कुल 10 लाख से 15 लाख टन तक उत्पादन होने की सम्भावना है।

श्रीमती सावित्री निगम : इसमें कौनसी विशेष किस्मों का उत्पादन किया जायेगा ? क्या इसमें कच्चे लोहे अथवा किसी अन्य उपयोगी किस्म का, जिस की कमी है, उत्पादन किया जायेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : उत्पादों सम्बन्धी इन सभी बातों का निर्णय बाद में किया जायेगा।

Shri Yashpal Singh : Can the Government tell us what would be the cost of the scheme.

Shri P.C. Sethi : Since the project report of the scheme has not yet been received, it is very difficult to give the requisite information.

श्री हेडा : क्या सरकार इन दो पहलुओं : (1) इस्पात की बढ़ती हुई खपत और (2) चौथी योजना में केवल राक ही संयंत्र स्थापित करने से उत्पन्न होने वाली राजनैतिक समस्या पर विचार कर ही है; और इसलिये अपने दृष्टिकोण पर पुनः विचार कर रही है और क्या चौथी योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र के अतिरिक्त एक से अधिक संयंत्र स्थापित किये जायेंगे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : इस्पात संयंत्रों को स्थापित करना इतना सुगम नहीं है। ऐसा करने में कई समस्याएँ हैं। राजनैतिक समस्याओं को हल करने के लिये अत्यधिक इस्पात संयंत्र लगाना बहुत कठिन है।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पूर्व विशेषज्ञों तथा मंत्रियों ने थोड़ी क्षमता वाले संयंत्र—एक लाख से 5 लाख टन तक—स्थापित करना उचित समझा था, अब सरकार ने ऐसे 3 अथवा 4 छोटे संयंत्र स्थापित करने का, और फिर यथा समय में उनकी क्षमता को बढ़ाने का, जैसा दुर्गापुर, रूरकेला तथा भिलाई के बारे में किया गया है, विचार क्यों छोड़ दिया है ?

श्री संजीव रेड्डी : स्पष्टतया मेरे माननीय मित्र कच्चे लोहे के संयंत्र के सम्बन्ध में गलत समझ रहे हैं। सरकार का विचार कई कच्चे लोहे के संयंत्र स्थापित करने का है जिनको अन्ततः इस्पात संयंत्रों में परिवर्तित किया जा सके। अभी हम आठ स्थानों के बारे में सोच रहे हैं। आरम्भ में विस्फोट भट्टियों के साथ कच्चे लोहे के संयंत्र होंगे। यदि और जब वित्त तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध होंगी तो उनका विकास इस्पात संयंत्रों में किया जायेगा जोकि एक अलग प्रावस्था है। उस के लिये दल

काकीनाडा, उड़ीसा तथा अन्य स्थानों का दौरा कर रहा है। पांचवें इस्पात संयंत्र की क्षमता 10 लाख टन होगी।

श्री टे० सुब्रह्मण्यम् : क्या ब्रिटिश-अमेरिकन स्टील वर्क्स कन्सॉर्टियम फार इण्डिया के विशेषज्ञों ने गोआ-होसपेट तथा बेलाडिला क्षेत्रों का दौरा किया है ?

श्री संजीव रेड्डी : क्योंकि मेरे माननीय मित्र मैसूर के हैं, इसलिए वह अच्छी तरह जानते हैं कि इस दल ने होसपेट का दौरा किया है। अब वे अन्य स्थानों का दौरा कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट मई के अन्त तक मिल जायेगी।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या अमरीकी-ब्रिटिश सार्थ-संघ के तकनीकी विशेषज्ञों ने हाल में सलेम का दौरा किया है और यदि हां, तो क्या सलेम में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने की संभावना के बारे में उनकी रिपोर्ट इसके पक्ष में है ?

श्री संजीव रेड्डी : उनसे अभी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। वे अभी स्थानों का दौरा कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट केवल मई के अन्त में मिलेगी।

श्री प्र० के० देव : जब भारत में परामर्शदाता इंजीनियर, सर्वश्री दस्तूर एण्ड कं० है तो स्थान के चुनाव करने तथा परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने में उनकी सेवाओं का लाभ क्यों नहीं उठाया गया ?

श्री संजीव रेड्डी : सर्वश्री दस्तूर एण्ड कं० के होसपेट क्षेत्र के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे दी है। हिन्दुस्तान स्टील ने विशाखापटनम-बेलाडिला क्षेत्र के बारे में विचार किया। कंसॉर्टियम अन्य स्थानों के बारे में भी उपयोगिता के सम्बन्ध में भी सरकार को मंत्रणा देनी है।

श्री शिंकरे : यदि मैंने मंत्री जी से ठीक सुना है कि कि चौथी योजना में इस्पात संयंत्र के लिये स्थान के बारे में निर्णय लेने में राजनैतिक समस्याएँ हैं। क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि उसके मंत्रालय अथवा सरकार पर किसी प्रकार के राजनैतिक दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्रत्येक मामले की जांच उसके गुणदोषानुसार की जायेगी और उसी आधार पर निर्णय किया जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं इस सदन में कई बार बता चुका हूँ कि यह केवल गुणदोषानुसार ही किया जायेगा। इसीलिये तो मैंने कहा कि निर्णय राजनैतिक विचारों के अनुसार नहीं किया जा सकता।

विद्युत चालित करघे

+

* 414 { श्री मि० सू० मूत्ति :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में विद्युत करघे चालू करने सम्बन्धी योजना को समाप्त करने के लिये कोई आदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी (क) और (ख) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : पुरानी योजना को समाप्त इसलिये किया गया, क्योंकि यह पाया गया था कि :-

(1) बहुत से राज्यों में योजना सन्तोषजनक रूप में नहीं चल रही थी और इस खाते में आंशिक बड़ी राशियां अप्रयुक्त पड़ी रह गई थीं ।

(2) कुछ राज्यों में शक्तिचालित करघा निगमों का गठन करने के लिये हथकरघा बुनकरों के निगम प्राप्त नहीं हो सके ।

ऊपर बतायी गयी कठिनायियों के कारण, स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में शक्तिचालित करघा समिति का गठन किया गया ।

श्री सें० वें० रामस्वामी : जारी विवरण में कारण संख्या (2) में शुद्धि करना चाहूंगा । अब इस को इस प्रकार पढ़ा जाये :—

“कुछ राज्यों में विद्युच्चालित करघा सहकारी समितियों का गठन करने के लिये हथकरघा बुनकरों के लिये कोई गुंजाइश नहीं है ।

श्री रंगा : क्या सरकार को आल इण्डिया हैंडलूम वीवर्ज कांग्रेस तथा दक्षिण भारत में वीवर्ज कांग्रेस से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यह सच नहीं है कि आंध्र तथा मद्रास सरकार ने शक्तिचालित हथकरघों के लिये तथाकथित सहकारी समितियों का गठन करने से इन्कार कर दिया है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : उन्होंने इन्कार नहीं किया है । उन्होंने अभ्यावेदन किया है कि अशोक मेहता समिति की इस सिफारिश को न माना जाये कि निर्बाध लाइसेंस दिये जायें । परन्तु मद्रास सरकार तो सहकारी समितियों का गठन करने के पक्ष में है ।

श्री रंगा : उन अभ्यावेदनों के बारे में क्या है जो उन्हें राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : वे सभी विचाराधीन हैं ।

Shri Sarjoo Pandey : It has been mentioned in the statement that in some states powerloom corporations for handloom weavers could not be found, I want to pointout that a number of applications are lying pending and the societies have not been registered, may I know whether the central government have received any information in this onvention from the states and which are the places where their socities have not been registered.

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह विशेष तौर से उस भाग (2) के सम्बन्ध में है जिस मैं ने नहीं की है । यह “नियम” नहीं परन्तु “सहकारी समितियां” हैं । अतः प्रश्न में संशोधन करना पड़ेगा ।

Shri Sarjoo Pandey : I said that cooperative societies are not being registered in many States. May I know the number of such states ?

Shri Manubhai Shah : If the hon. Member will give us the name of some specific registered, cooperative society, we will recognise it. So far no registered cooperative society has asked for our recognition.

Shri Hukam Chand Kachhavaia : May I know the number of such States that have refused to set up powerlooms in handloom sector and the number of those that have asked for it ?

Shri Manubhai Shah : The question of refusal does not arise. My colleague has just pointed out that when this schemes was started in the Third Five year Plan, no state except Madras and Andhra Pradesh, has submitted any scheme for setting up powerloom on co-opratives in handloom sector. The scheme has, therefore, been done away with. The Government of India have set up powerloom committee under the chairmanship of Shri Ashoka Mehta to go into this whole subject.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2 { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या इस्पत और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के रांची कार्यालय के विकेन्द्रीकरण के आदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा कितने कर्मचारियों को विभिन्न ज़ोनो में स्थानान्तरण के आदेश जारी किये गये हैं;

(ग) क्या निदेशकों से रांची के बाहर विभिन्न ज़ोनो में अपने कार्यालयों को ले जाने के लिये कहा गया है; और

(घ) क्या निदेशक अन्य कर्मचारियों को रांची से बाहर न जाने के लिये भड़का रहे हैं जिसके लिये कि कर्मचारियों ने हड़ताल करने की सूचना दे दी है ?

इस्पत और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठौ): (क) और (ख) अगस्त, 1963 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के संचालक मंडल ने निर्णय किया कि निगम के सारे कार्यालयों को नहीं बल्कि केवल लेखा कार्यालय का क्षेत्रवार आधार पर विकेन्द्रीकरण किया जाय। इन आदेशों के अधीन, 1964 की तीसरी तिमाही में 94 कर्मचारियों (जिसमें छः अधिकारी शामिल हैं) का तबादला किया गया। 257 कर्मचारियों (जिसमें 7 अधिकारी भी हैं) के दूसरे दल का तबादला मार्च, 1965 को किया गया।

(ग) सम्भवतः प्रसंग उन संचालकों का नहीं है जो संचालक मण्डल में हैं बल्कि उन अधिकारियों से है जो संस्था में अपने विभागों में संचालक के नाम से सम्बोधित हैं। इनमें से केवल एक अधिकारी को अभी हाल ही में रांची से बाहर तबादला करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश बाद में रद्द कर दिया गया था।

(घ) संचालकों द्वारा की गई ऐसी आरोपित कार्यवाही की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है। कर्मचारियों के संघ ने नोटिस दिया है कि यदि प्रबन्धकों ने उन की मांगें स्वीकार न की, जिसमें तबादले रोकने की मांग भी शामिल हैं, तो वे 12-3-65 से हड़ताल करदेंगे।

श्री स० च० सामन्त : क्या यह सच है—यह इस मास की 3 तारीख के समाचारपत्रों में छपा है—कि प्रबन्ध संचालक तथा संचालक आपस में झगड़ा कर रहे हैं जिससे पिछले तीन अथवा चार महीनों में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

श्री प्र० च० सेठी : जी, नहीं, वास्तव में प्रबन्ध संचालक ने उत्पादन निदेशक को बदली करने का निर्णय किया था परन्तु बाद में प्रबन्धक उत्पादन निदेशक की नौकरी खत्म करने का निर्णय किया। उन्होंने उस को तीन महीने का नोटिस दिया है। उस दृष्टि से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री स० च० सामन्त : समाचारपत्रों से पता चलता है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन कोई घटना तथा अफवाह न हो और कि कर्मचारी काम नहीं करते। क्या यह सच है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम संगठन का मुख्यालय इतना बड़ गया है कि उसको काबू में नहीं रखा जा सकता, और मेरे विचार में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा किया गया निर्णय सही है। उनको अलग अलग स्थानों पर रखा जाये। अतः वे यह सब कदम उठा रहे हैं; वहां पर कुछ बेअरामी होना स्वाभाविक ही है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि विकेन्द्रीयकरण अथवा अलग अलग रखने की योजना से 3 और 4 श्रेणी के कर्मचारियों को, जिनके पास रहने के लिये स्थान नहीं होगा और उनके बच्चों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें नहीं होंगी, कठिनाई होगी और, यदि हां, तो यह देखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है जिस से उन के परिवारों के सदस्यों को न छेड़ा जाये, उनके बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दी जायें और उनको कार्यस्थल के निकट मकान दिये जायें।

श्री संजीव रेड्डी : जब उनकी बदली किसी दूसरी खान अथवा भिन्न कार्य क्षेत्र में की जायेगी तो स्वभावतः उनको वहां पर सुविधायें भी दी जायेंगी। परन्तु सभी को रांची में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उससे समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : उन स्थानों पर ?

श्री संजीव रेड्डी : उन्हें वहां पर सुविधायें दी जायेंगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

*415 { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामग्री के आवश्यक आर्डरों के अभाव के कारण रांची में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की संस्थापित उपयोग नहीं किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी हां, जहां तक भारी मशीनें बनाने वाले संयंत्र तथा कोयला खोदने की मशीनें बनाने के संयंत्र का संबंध है।

(ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने भावी खरीदारों से सम्पर्क स्थापित करके आर्डर प्राप्त करने के लिये कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। सरकार को इस मामले की जानकारी है और वह उपभोक्ता मंत्रालयों के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

दो मालगाड़ियों की आपस में टक्कर

*416. श्री अ० प्र० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाली मारूप और सिनी जंक्शन के बीच 24 जनवरी, 1965 को एक मालगाड़ी की दूसरी मालगाड़ी के साथ टक्कर होने के कारणों की जांच कर ली गई है जिसके फलस्वरूप एक गाड़ी के गार्ड की मृत्यु हो गई;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) रेलवे सम्पत्ति की कितनी हानि हुई; और

(घ) क्या गार्ड के परिवार को क्षति पूर्ति दे दी गई है, और यदि हां, तो उस की राशि क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती से हुई है।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 1,33,500 रुपये के नुकसान का अनुमान है।

(घ) मृत गार्ड की विधवा को 250 रुपये अनुग्रह के रूप में दे दिये गये हैं। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम (Workmen's Compensation Act) के अन्तर्गत दावे की अदायगी की व्यवस्था की जा रही है।

पश्चिमी एशिया को कपड़े का निर्यात

*417. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी एशिया में भारत के सूती कपड़े की मांग तेजी से गिर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। सूती कपड़े का कुल निर्यात पश्चिमी एशिया और विश्व बाजार का इस प्रकार रहा है :—

निर्यात किये गये सूती कपड़े का मूल्य

	पश्चिमी एशिया बाजार को करोड़ रुपये	विश्व बाजार को करोड़ रुपये
1962	3.175	50.00
1963	3.037	55.50
1964	3.064	61.90

Card Punching

*418. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any industrial dispute has been raised by the employees of Electrical Repairs Department of Matunga Workshop (Bombay) on the question of card punching ; and

(b) if so, whether Government propose to refer this dispute to Industrial Tribunal for decision ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Government do not consider that there is any industrial dispute as such, though certain employees of this workshop have been adopting dilatory tactics in punching their gate attendance cards in the punching clocks in the afternoon sessions for sometime past on the plea that the time for punching is inadequate, and have been making representations in this behalf.

(b) Does not arise.

मद्रास राज्य में धान का लदान

*419 { श्री मलाई छामी :
श्री थेन गौंडर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा मद्रास राज्य में जिला तंजौर में एकत्र किये गये धान का रेलवे डिब्बों की कमी के कारण लदान रुका हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह लदान कितनी देर से रुका हुआ है और उस के तत्काल लदान के लिये रेल माल डिब्बों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) तंजौर जिले से रेल द्वारा चावल की ढलाई के लिए आमतौर पर जितने माल डिब्बों की मांग की जाती है, उन की पर्याप्त

सप्लाई करने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन, हाल में मद्रास राज्य में जो नागरिक उपद्रव हुए उनकी वजह से माल डिब्बों की सप्लाई नियंत्रित करनी पड़ी और अभी भी नियंत्रित करना पड़ रहा है क्योंकि मद्रास क्षेत्र में आने वाले लदे माल डिब्बे, मद्रास सरकार द्वारा सीमित संख्या में खाली किये जा रहे हैं।

जैसे ही, मद्रास सरकार, जिसके साथ इस मामले में लिखा-पढ़ी की गयी है, लदे आगत माल डिब्बों का अधिक तादाद में खाली करने में समर्थ होगी, वैसे ही अधिक माल डिब्बों की सप्लाई की जा सकेगी।

भारत-लंका चाय आयोग

* 420. { श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हिंमत्सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वाणिज्य मंत्री, 27 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 251 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संयुक्त भारत-लंका चाय आयोग स्थापित करने के सम्बन्ध में लंका सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सं० बें० रामस्वामी) : (क) अभी प्राप्त नहीं हुई है, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योगों के लिये उत्पादन लक्ष्य

* 421. { श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री हिंमत्सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ उद्योगों के लिये निर्धारित किये गये उत्पादन लक्ष्यों के तीसरी योजना की अवधि में प्राप्त होने की संभावना नहीं है ;

- (ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं ;
 (ग) इसके क्या कारण हैं ; और
 (घ) लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) से (घ) सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3981/65]

ट्रेक्टर परियोजना

- *422 { श्री रामेश्वर टाटिया :
 श्री महेश्वर नायक :
 श्री विश्वनाथ राय :
 श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
 श्री समनानी :
 श्री प्र० चं० बरुआ :
 श्री द० जी० नप्यक :
 श्री प० ह० भील :
 श्री रामपुरे

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चैकोस्लावाकिया के सहयोग से एक ट्रेक्टर कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो चेकोस्लावाकिया सरकार ने किस रूप में सहायता देने का आश्वासन दिया है ; और

(ग) क्या प्रस्तावित कारखाने के स्थान के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) कृषि-ट्रेक्टर के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है । चकोस्लावाकिया उन देशों में से एक है जिनका सहयोग इस कारखाने के लिए मांगा गया है ।

(ख) पिछले वर्ष भारत सरकार तथा चैकोस्लोवाक समाजवादी गणतंत्र के बीच आर्थिक सहयोग के लिए जो दूसरा समझौता हुआ उसके अन्तर्गत यह उन प्रायोजनाओं में से एक है जिनके लिए चैकोस्लोवाकिया ने सहायता देना स्वीकार किया है ।

(ग) क्योंकि यह प्रायोजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है अतः उसके स्थान के बारे में अभी प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्यात-आयात सलाहकार परिषद्

*423. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में निर्यात और आयात करने का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने के लिए इस वर्ष फरवरी के तीसरे सप्ताह में आयात-निर्यात सलाहकार परिषद् की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् ने इस बैठक में क्या सिफारिश की ; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां। निर्यात-आयात सलाहकार परिषद की एक बैठक 15 और 16 फरवरी 1965 को हुई थी जिसमें आयात और निर्यात नीति तथा प्रणालियों सम्बन्धी समस्याओं पर, निर्यात संवर्द्धन को विशेषतः ध्यान में रखते हुए सामान्य रूप से विचार किया गया था।

(ख) बैठक के कार्य विवरण की एक प्रति संसद पुस्तकालय में पहले ही रखी जा चुकी है।

(ग) परिषद की सिफारिशों विभिन्न स्थितियों में विचाराधीन हैं।

एशियाई विकास बैंक

*424. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया और सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग (इकाफे) ने सदस्य देशों से एक एशियाई विकास बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सभी सदस्य देश इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) एशिया और सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग (इकाफे) द्वारा इकाफे क्षेत्र में आर्थिक सहयोग के लिये अंगीकार किये गये संकल्प के अन्तर्गत, इकाफे सचिवालय द्वारा नियुक्त हुए विशेषज्ञ दल ने समस्या का अध्ययन किया और अपने प्रतिवेदन में अन्य सुझावों के साथ एशियाई विकास बैंक की स्थापना करने का सुझाव भी दिया है।

(ख) प्रतिवेदन की अभी जांच की जा रही है।

(ग) मालूम होता है कि अन्य सदस्य देश भी इस प्रस्ताव की अभी जांच कर रहे हैं।

रेलवे ट्रैक्शन

1042. { श्री राम हरेख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कालका-शिमला तथा कांगड़ा घाटी सैक्शनों पर डीजल ट्रैक्शन चालू करने में क्या सफलता मिली है ; और

(ख) क्या पुराने ट्रैक्शन के स्थान पर डीजल ट्रैक्शन रखे जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) उत्तर रेलवे के कालका-शिमला पर छोटी लाइन के 5 डीजल रेल इंजन पहले से ही चल रहे हैं। इन रेल इंजनों के अलावा, जिन 25 डीजल रेल इंजनों को पश्चिमी जर्मनी से मंगाया जा रहा है उनमें से 10 उत्तर रेलवे को इस खण्ड के लिए देने का फैसला किया जा चुका है। बाकी 15 दक्षिण पूर्व रेलवे को दिये जायेंगे।

उत्तर रेलवे को जो 10 रेल इंजन देने का फैसला किया गया है उन में से 5 पुराने गतायु इंजनों के स्थान पर चलाने और 5 यातायात की अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए हैं।

उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी खण्ड के लिए विशेष रूप से डीजल रेल इंजन देने के प्रश्न पर तकनीकी दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है।

बीकानेर तथा जोधपुर में भारी उद्योग

1043. श्री कर्णो सिंहजी : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर तथा जोधपुर जिलों में भारी उद्योगों की स्थापना के लिये राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वहां कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) राजस्थान की सरकार से बीकानेर और जोधपुर में भारी उद्योगों की स्थापना करने के लिये अभी तक कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है। फिर भी बीकानेर में ऊनी कपड़े की एक मिल लगाने का प्रस्ताव मिला है, जिसकी जांच की जा रही है।

उर्वरकों का आयात

1044. श्री हिम्मतीसिंहका : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि उर्वरकों के आयात को कुछ निर्यात प्रोत्साहनों से सम्बन्ध कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योग निदेशालय, दिल्ली

1045. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के नगर क्षेत्र को चार खंडों में विभाजित कर के उद्योग निदेशालय का विकेन्द्रीकरण करने से क्या लाभ है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : दिल्ली के सारे औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों की बढ़ती हुई संख्या के साथ साथ पंच वर्षीय योजनाओं में सम्मिलित प्रायोजनाओं के सुनियोजित विकास और पर्यवेक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग निदेशक के कार्यालय

में समुचित फील्ड स्टाफ हो तथा उसे क्षेत्रीय आधार पर पुनर्गठित किया जाए। अनुभव से यह विदित हुआ है कि दिल्ली में औद्योगिक विकास उस स्थिति तक पहुंच चुका है जहां इस प्रकार के विकेन्द्रीकरण के बिना भावी विकास को क्षति पहुंचेगी।

राजस्थान को इस्पात आबंटन

1046. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में राजस्थान के लिये लोहे और इस्पात की कितनी मात्रा नियत की गई थी ; और

(ख) 1965-66 में उस राज्य के लिए कितनी मात्रा नियत करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 1964-65 में राजस्थान को लोहे तथा इस्पात के आबंटन की मात्रा निम्न प्रकार है :

*इस्पात	1832 टन
कच्चा लोहा	4245 टन

*यह मात्रा नियंत्रित वर्गों के अधिकतम आबंटित कोटे को ही जाहिर करती है। इस्पात की अन्य किस्मों पर नियंत्रण नहीं है और इन्डेंट-कर्ता बिना किसी रोक के इन वस्तुओं के लिए आर्डर भेज सकते हैं।

(ख) 1965-66 के वर्ष के लिए लोहे और इस्पात के आबंटन अभी तक निश्चित नहीं किये गये हैं।

ननमन्दा (कालीकट) में लोह अयस्क निक्षेप

1047. { श्री पोट्टेकाट्टु :
श्री अ० व० राघवन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कालीकट जिले में ननमन्दा में लौह अयस्क निक्षेपों का अनुमान लगाने के लिये कोई विस्तृत जांच-पड़ताल की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक की गई जांच-पड़ताल का क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा विस्तृत अन्वेषण कार्य हो रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Iron Ore Deposits at Narnaul

1048. { **Shri Hukam Chand Kachhavaia :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that deposits of iron ore have been discovered at Narnaul in Punjab ; and

(b) if so, when the mining work is likely to be started in that area ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) and (b) Iron ore deposits have been known in this area for a long time. The Government of Punjab propose to exploit these deposits by about the end of 1966.

विदेशी सहयोग

1049. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ज० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1948 के बाद (उद्योगवार) विदेशी सहयोग के कितने समझौते स्वीकार किये हैं ;

(ख) इन समझौतों के द्वारा भारत में कुल कितनी गैर-सरकारी विदेशी पूंजी लगाई गई है ;

(ग) विदेशी सहयोगकर्ताओं द्वारा अब तक लाभ स्वामिस्व तथा तकनीकी शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि विदेशों को भेजी गई है ;

(घ) क्या सरकार ने इन समझौतों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय उसे सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

ईट निर्माताओं के लिए विदेशी मुद्रा

1050. { श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईट निर्माताओं को इस शर्त पर कि कीमत प्रतिशत कम कर दी जाये उनके संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए विदेशी मुद्रा देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ब्रिटेन की सस्ती पुस्तकें

1051. { श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सस्ती पुस्तक योजना के अन्तर्गत भारत को पाठ पुस्तकों और सामान्य पुस्तकों की तीस लाख से अधिक संक्षिप्त प्रतियां प्राप्त हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये किताबें किन विषयों पर होंगी ; और

(ग) उनका वितरण किस आधार पर होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की असंक्षिप्त कम मूल्य वाली पाठ्य पुस्तकों का ब्रिटेन से आयात किया जाता है और ब्रिटेन की कम मूल्य वाली पुस्तक योजना के अन्तर्गत साधारण व्यापारिक साधनों से उनका वितरण किया जाता है । इस प्रकार आयात की जाने वाली पुस्तकों के आंकड़े नहीं रखे जाते परन्तु 1963-64 में इसके लिये दिये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य रु 12.47 लाख था जब कि 1962-63 में यह रु 14.87 लाख था ।

रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

1052. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में रेलवे के विभिन्न खंडों में भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज किये गये, कितने मामले विभागीय स्तर पर निबटारे गये और कितने मामलों में न्यायालयों में अभियोग चलाये गये ; और

(ख) क्या इस अवधि में भ्रष्टाचार के मामले बढ़ गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० 3982/65]

(ख) 1963 के आंकड़ों से तुलना करने पर 1964 के वर्ष में दर्ज किये गये मामलों की संख्या में मामूली बढ़ती हुई थी, जैसा कि नीचे बताया गया है :—

1963 में दर्ज किये गये मामलों की संख्या	1964 में दर्ज किये गये मामलों की संख्या
2382	2400

बस्तर में लौह अयस्क निक्षेप

1053. { श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लौह अयस्क के लिये बस्तर जिले में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कच्चे लोहे के भण्डारों का लगाया गया अनुमान निम्न प्रकार है :—

	मिलियन मीटर टन
बेलादिला शिखा	1135
रीघाट	740
पारेकारो	26

अयस्क में औसतन 60 से 66 प्रतिशत लोहा है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कच्चा माल

1054. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये उपयुक्त कच्चे माल का पता लगाने के लिये एक अनुसंधान संस्था स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारी प्लेटों का निर्माण

1055. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भारी प्लेटों, जहाजों तथा भारी ढांचों के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). भारत में भारी प्लेटों, जहाजों तथा भारी ढांचों का निर्माण करने के लिये एक संयंत्र स्थापना करने के बारे में सोवियत सहयोग प्राप्त करने का इस समय कोई भी प्रस्ताव नहीं है ।

Railway facilities to Members of State Legislatures

1056. { Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some State Governments have approached the Centre for providing facilities to the Members of State Legislatures for free Railway journeys ; and

(b) if so, the names of the States and the nature of facilities asked for ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) U.P. and West Bengal. The requests from these States were for the grant of Passes to the Members of State Legislatures like those issued to Members of Parliament.

Tampering of Fish Plates

1057. Shri Hukam Chand Kachhavaia : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ?

(a) whether it is a fact that some fish plates were removed from the railway track near Nagri Railway Station at a distance of 70 miles from Nagpur on the 28th December, 1964 ;

(b) whether it is also a fact that signal wire near Barkhera had also been cut off; and

(c) whether any investigation has been made into this and, if so, the outcome thereof and the steps to be taken to prevent such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) The correct position is that on 25th December, 1964, two bolts of a joint and keys of a pair of rails at Km 825/16-15, near UP Home Signal of Nagri Station, were found removed and lying by the side of the track.

(b) No.

(c) Yes. Police investigation is in progress. The findings of the Officers' Enquiry Committee appointed by the Railway Administration to investigate into the case referred to in part (a) of the question, reveal that the case was not one of sabotage but mischief by some unknown person or persons. The following preventive measures already exist :—

- (i) close liaison and coordination between Railway Protection Force, Distt. Police and Railway Police at all levels with regard to safety of track. Holding periodical meetings for exchange of information ;
- (ii) patrol of vulnerable sections by the Distt. Police, Government Railway Police, Railway Police and Railway Protection Force ;
- (iii) deployment of Special Intelligence Units to collect information about the intending offenders for taking preventive action ;
- (iv) seeking the assistance of the District/Railway Police to impress upon the villagers residing nearby the track on the serious consequences involved by indulging in such mischievous activities and the tragic consequences of meddling with the railway track.

जलन्धर-फिरोजपुर सेक्शन के स्टेशन

1058. { श्री गुलशन :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री अंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के जलन्धर-फिरोजपुर सेक्शन के ऐसे कितने स्टेशन हैं जिनका दर्जा द्वितीय महायुद्ध की अवधि में क्रासिंग स्टेशन से घटा कर झंडी स्टेशन कर दिया गया था ; और

(ख) क्या इस सेक्शन में भारी यातायात को देखते हुए इन में से किसी का दर्जा ऊंचा करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या गन्ने तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में उस क्षेत्र के विकास को देखते हुए उन स्टेशनों पर माल बुक करने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि वहां (विशेषतः माखू और फिरोजपुर के बीच) सड़क परिवहन की सुविधायें नहीं हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) पाजियां और महालम इन दो स्टेशनों को फ्लैग स्टेशन बना दिया गया था । इन स्टेशनों को फिर से पार स्टेशनों में बदलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

(ग) पाजियां स्टेशन पर माल बुक करने की सुविधाएं पहले से मौजूद हैं । महालम स्टेशन पर माल बुक करने की सुविधाएं देने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि वहां इसके लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है ।

उत्तर रेलवे का दिल्ली डिवीजन

1059. { श्री बूटा सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन तथा हैडक्वार्टर्स आफिस, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली में काम करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के विद्युत् चार्जमैन, सहायक चार्जमैन, और मिस्त्रियों की संख्या क्या है; और

(ख) उन को 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर भी नौकरी में रखने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) एक इलेक्ट्रिक चार्जमैन, जिसका अधिकृत वेतनमान 250-380 रुपये है ।

(ख) सार्वजनिक हित में ।

पठानकोट और फिरोजपुर के बीच डाक गाड़ी

1060. { श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहिया खास से होती हुई पठानकोट और फिरोजपुर के बीच डाक गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं । यातायात की दृष्टि से इसका कोई औचित्य नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Scheduled Caste Employees in Ministry of Commerce

1061. **Shri Naval Prabhakar** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of Class I and Class II employees belonging to Scheduled Castes in the Ministry of Commerce ; and

(b) how this number compares with the number of reserved vacancies for these two classes ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b). Four persons belonging to Scheduled Castes have been appointed in Class I and Class II posts against five vacancies reserved for them.

फोटोग्राफी का कागज

1062. डा० लक्ष्मीमल्ल सिधवी : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सन् 1965 और 1966 में कुल कितने वर्ग मीटर फोटोग्राफी के कागज की आवश्यकता होगी और इसका भार कितना होगा ; और

(ख) इसका देशीय उत्पादन भिन्न-भिन्न ब्रांड के अनुसार कुल कितने वर्ग मीटर होने की आशा है और इसका भार कितना है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) 1965 तथा 1966 में फोटोग्राफी के कागज की आवश्यकताएं लगभग 30 लाख वर्ग मीटर की होंगी। वजन में इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 1964 के उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर अनुमान है कि विभिन्न किस्मों, जैसे ब्रोवीरा, ल्यूपैक्स, एग्फा स्टैट, एड्रोस, लिपी तथा मैक्स फोटो का 1965-66 में स्वदेशी उत्पादन कम से कम 15 लाख वर्ग मीटर होगा। वजन में इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

खतरे की जंजीर का खींचा जाना

1063. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेमराज :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्षेत्र में व्यवस्थित रूप में खतरे की जंजीर खींचे जाने का कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन इस समय इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उन्हें संगठित रूप में जंजीर खींचने की कार्रवाई नहीं माना जा सकता।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3983/65]

बोकारो के पास "वाशरी रिजेक्शन्स" में आग

1064. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1964 में बोकारो नदी के किनारे पड़े हुए "वाशरी रिजेक्शन्स" के ढेर में आग लगने का पता चला था और इससे बड़िया किस्म के कोयले की अन्य खानों तथा कोयला धोने के कारखाने के लिए खतरा पैदा हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी क्षति हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो आग की प्रगति कम करने और उसे फैलने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां । यह आग दूसरी कोयला खानों को खतरा उपस्थित नहीं करती तथा पश्चिम बोकारो कोयला खान के भूगर्भ में कार्य करने, अथवा धावन-शाला को भी कोई तत्कालिक खतरा नहीं है ।

(ख) कोयला खानों को अथवा दूसरी अधिष्ठापनाओं को कोई हानि नहीं हुई है । अस्वीकृत वस्तुएं बाजार में बेचने योग्य नहीं हैं ।

(ग) आग को बढ़ने से रोकने के लिये, अस्वीकृत पदार्थ के ढेर पर पानी डाला गया तथा जिस भाग को आग लगी है वह ढेर अलग कर दिया गया है ।

Export of Pig Iron to Bulgaria

1065. { **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaia :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India is likely to export 10,000 tons of pig iron to Bulgaria ; and

(b) if so, the terms and conditions of the agreement ?

The Minister of Commerce (Shri Manu Bhai Shah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Steel Plant in Mysore

1066. { **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaia :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some loan has been obtained from Germany to set up a steel plant in Mysore ;

(b) if so, the amount and the rate of interest thereof ;

(c) whether it is also a fact that a team of 17 Engineers of the Mysore Iron and Steel Ltd., Bhadravati has left for Austria to undergo training in a firm there; and

(d) when this team is likely to return ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) K.F.W., the West German Bank has given a loan to the Mysore Iron and Steel Ltd. for converting the existing unit into a plant for the production of Alloy and Special Steel.

(b) DM 60 million. The loan carries interest at the rate of 6 % per annum on outstanding amounts.

(c) 12 engineers of Mysore Iron & Steel Ltd. have gone to Austria for training with Bohlers.

(d) December 1965.

अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार

1067. { श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन का टेक्नीकल मिशन जनवरी, 1965 में भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) वे किसके कहने पर भारत आये थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन का टेक्नीकल मिशन, भारत के कहने पर, 18 जनवरी, 1965 से 29 जनवरी, 1965 तक की अवधि में भारत आया था । इसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार के अन्तर्गत भारत के लिये नियत किये गये निर्यात कोटे में वृद्धि कराने के मामले का अध्ययन करना था ।

इस्पात की लागत

1068. श्री मुहम्मद इलियास : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर, भिलाई तथा रूरकेला इस्पात कारखानों में से प्रत्येक के बारे में कब योजना बनाई गई थी, प्रति मैट्रिक टन इस्पात के उत्पादन की अनुमानित लागत क्या थी और वास्तविक लागत की तुलना में वह कैसी है ;

(ख) यदि अनुमानित लागत तथा वास्तविक लागत में कोई अन्तर हो तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) लगातार घाटे पर चल रहे इन कारखानों की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए इनके सभी क्षेत्रों में मितव्ययिता लागू करके उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों के 10 लाख टन के कारखानों के प्रायोजनों प्रतिवेदनों में एक मीटरी टन

इस्पात पिण्ड की अनुमानित वर्कस लागत और 1963-64 की वास्तविक वर्कस लागत निम्नलिखित है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की इस प्रकार की तुलना करना सम्भव नहीं है क्योंकि 10 लाख टन कारखाने के लिए कोई विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था :--

कारखाना	प्रायोजना प्रतिवेदन के अनुसार वर्कस लागत	1963-64 में वास्तविक लागत
राउरकेला	(क) ओ० एच० इनगाट 184.43 रु०	257.95 रु०
	(ख) एल० डी० इनगाट 137.81 रु०	233.81 रु०
भिलाई	113.32 रु०	214.20 रु०

(ख) भिलाई और राउरकेला दोनों में प्रायोजना प्रतिवेदन की अनुमानित लागत से वास्तविक लागत अधिक होने का कारण प्रमुख कच्चे माल जैसे कोयले, खनिज लोहे चूने के पत्थर आदि की कीमतों में वृद्धि सप्लाईस, स्टोर्स और फालतू पुर्जों की आपरेंटिंग लागत में वृद्धि है।

(ग) उत्पादन लागत पर सतत निगरानी रखी जाती है और इसके लिए कारखानों में मासिक बैठकों में नियमित रूप से लागत का पुनरीक्षण किया जाता है। उत्तम परिचालन प्रविधियों के प्रयोग, अधिक ये अधिक उत्पादन, रद्दी माल के अच्छे पुनर्लाभ से जिससे इस्पात पिघलाने के कारखानों में इस्तेमाल करने के लिए रद्दी माल के क्रय में कमी करने, धमन भट्टियों में कोक की दर में कमी करने के लिए विशेष प्रयत्नों, पुनर्वलेन मिलों में पुनर्वलेन के समय का अधिकतम उपयोग करके उत्पादन लागत में कमी की जा रही है।

Exploration of Minerals

1069. { **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K.N. Tiwary :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared any detailed scheme for the exploration of minerals during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) and (b). Tentative proposals for undertaking exploration for various minerals during the Fourth Five Year Plan period have been drawn up according to certain priorities. Broad outlines of this programme are indicated in the attached statement. [Placed in Library See No. L. T. 3984/65]. These proposals are now under discussion and will be finalised along with the Fourth Five Year Plan programmes.

रेलवे दुर्घटनाएं

श्री बलजीत सिंह :
 1070. { श्री रामचन्द्र उलाका :
 { श्री धुलश्वर मीना :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 1 अक्टूबर, 1964 से (खण्डवार) हुई रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या क्या है ;
 (ख) दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं ;
 (ग) रेलवे को (खण्डवार) जान व माल की कितनी हानि हुई ; और
 (घ) रेलवे द्वारा (खण्डवार) कितना मुआवजा दिया गया ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 1-10-1964 से 31-1-65 तक की अवधि में भारत की सरकारी रेलों के विभिन्न क्षेत्रों पर 451 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई, जो गाड़ियों की टक्कर, गाड़ियों के पटरी से उतर जाने, समपारों पर सड़क यातायात से गाड़ियों की टक्कर और गाड़ियों में आग लगने की कोटि की हैं। इनका ब्योरा इस प्रकार है :—

रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या
मध्य	47
पूर्व	25
उत्तर	50
पूर्वोत्तर	60
पूर्वोत्तर सीमा	74
दक्षिण	91
दक्षिण-पूर्व	48
पश्चिम	56
जोड़	451

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण नीचे बताये गये हैं :—

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
रेल कर्मचारियों की गलती	215
रेल कर्मचारियों को छोड़कर दूसरों की गलती	36

रेलवे कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
उपस्करणों में खराबी—	
यांत्रिक	44
रेलपथ	27
रेलपथ से छेड़-छाड़	3
आकस्मिक	31
कारण सिद्ध न किया जा सका	4
अभी तक अन्तिम रूप से नहीं निपटाये गये मामले	91
	451

(ग) रेलवे	जनहानि	रेल सम्पत्ति को हानि की लागत
मध्य	3	1,50,897 रु०
पूर्व	5	11,86,571 रु०
उत्तर	3	3,89,934 रु०
पूर्वोत्तर	37	1,20,191 रु०
पूर्वोत्तर-सीमा	1	45,196 रु०
दक्षिण	122	5,46,433 रु०
दक्षिण-पूर्व	3	13,37,994 रु०
पश्चिम	4	1,43,531 रु०
जोड़	178	39,20,747 रु०

(घ) कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत पश्चिम रेलवे के एक मामले में 7,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये गये। इसके अलावा और कोई भुगतान नहीं किया गया।

जो दूसरे दावे मिले हैं, उन पर विचार किया जा रहा है।

फिर भी, अनुग्रह रूप में विभिन्न रेलों द्वारा किये गये भुगतान का व्यौरा इस प्रकार है :—

रेलवे	दी गयी रकम
	रुपये
मध्य	900
पूर्व	6,050

रेलवे	दी गयी रकम
	रूपये
उत्तर	50
पूर्वोत्तर	6,300
पूर्वोत्तर-सीमा	3,700
दक्षिण	17,850
दक्षिण-पूर्व	250
पश्चिम	2,000

जोड़	37,100

चण्डीगढ़ को मिलाने वाली रेलवे लाइन

1071. श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ को अन्य बड़े शहरों से मिलाने वाली नई रेलवे लाइन का कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) चण्डीगढ़ को एक ओर लुधियाना और दूसरी ओर जगाधरी से जोड़ने के लिए 1957 में केवल यातायात सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण से पता चला कि आर्थिक दृष्टि से इस प्रायोजना (जगाधरी-चण्डीगढ़-लुधियाना, लगभग 171 कि० मी०-बड़ी लाइन) का कोई औचित्य-नहीं है । उस समय इस प्रायोजना पर लगभग 10.18 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था । आजकल इस पर इस से कहीं अधिक लागत आयगी ।

लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्लांट

1072. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या इस्पात और खान मंत्री 20 नवम्बर, 1964 के अतारंकित प्रश्न संख्या 228 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंगरौली कोयले पर आधारित लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्लांट स्थापित करने की संभावना की इस बीच जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) विषय अब भी विचाराधीन है । क्योंकि प्रयोगशाला में परीक्षाएँ होनी हैं इसलिये जांच में कुछ अधिक समय लगेगा ।

रांची-रूरकेला रेल सम्पर्क

1073. { श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
 श्री सोलंकी :
 श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची को रूरकेला के साथ मिलाने वाली रेलवे लाइन पर, जो हाल में यात्री यातायात के लिये चालू की गई है, कुल कितनी लागत आई ;

(ख) यह कार्य कब आरम्भ किया गया था ; और

(ग) क्या यह कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूरा हो गया था ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) रांची-बोंडामुण्डा (राउरकेला) लाइन की कुल अनुमानित लागत 18.39 करोड़ रुपये है ।

(ख) और (ग) इस लाइन की मंजूरी कई चरणों में दी गयी और इसे कई चरणों में पूरा किया गया । एक विवरण, जिसमें विभिन्न खण्डों के निर्माण की मंजूरी की तारीख और उन्हें पूरा करने की तारीख दिखायी गयी है, सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3985/65] लगभग पूर्वानुमान के अनुसार ही काम पूरा हुआ ।

दिल्ली और फिरोजपुर के बीच पंजाब मेल

1074. { श्री हुकम चन्द कछवाय :
 श्री श्रींकार लाल बेरवा :
 श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और फिरोजपुर के बीच पंजाब मेल में भारी भीड़ के कारण सरकार का विचार हिसार के रास्ते से दिल्ली और भटिंडा के बीच छोटी लाइन पर कोई अन्य डाक गाड़ी या कोई तेज चलने वाली गाड़ी चलाने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों को भी पास और पी० टी० ओ० द्वारा इस गाड़ी से यात्रा करने की अनुमति है जिससे इस गाड़ी से यात्रा करने वाली भीड़ में वृद्धि होती है ; और

(ग) नई रेलगाड़ी के कब तक चलाये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 37 अप/38 डाउन पंजाब डाक गाड़ियों में दिल्ली और फिरोजपुर छावनी के बीच कुछ भीड़-भाड़ होती है, लेकिन इतनी भीड़-भाड़ नहीं होती कि दिल्ली और भटिंडा के बीच रैवाड़ी और हिसार के रास्ते या रोहतक और जींद के रास्ते एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने की जरूरत हो ।

अतिरिक्त लाइन क्षमता उपलब्ध न होने के कारण यह भी संभव नहीं है कि रेवाड़ी और हिसार के रास्ते या बड़ी लाइन मार्ग पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलायी जाय ।

चूंकि पंजाब डाकगाड़ियों में अधिक से अधिक जितने डिब्बे लगाये जा सकते हैं, उतने डिब्बे इस समय लगाये जाते हैं इसलिए इन गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाना भी सम्भव नहीं है ।

(ख) जी हां, केवल राजपत्रित रेलवे अफसर और निर्धारित वेतनमान में 450 रुपये और इससे अधिक (अधिकृत वेतनमान में 525 रुपये और इससे अधिक) वेतन पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारी पास और पी० टी० ओ० पर डाकगाड़ियों से सफ़र करने के हकदार है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अधिक भीड़-भाड़ नहीं होती ।

(ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

भारी ढांचे बनाने का कारखाना

1075. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री बी० च० शर्मा :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग के लिये सरकारी क्षेत्र में भारी ढांचे बनाने का कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) क्या इस कार्य के लिये कोई विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : भारत सरकार ने आस्ट्रिया की मैसर्स वाएस्ट के सहयोग से उनके द्वारा दी गई विस्तृत प्रायोजन रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद में सरकारी क्षेत्र में भारी ढांचे बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है ।

मद्रास और हैदराबाद के बीच एक्सप्रेस गाड़ी

1076. { श्री कोल्ला वैक्या :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या रेलवे मंत्री 25 दिसम्बर, 1964 के अतारकित प्रश्न संख्या 1257 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बीच सरकार ने मद्रास और हैदराबाद के बीच सीधी एक्सप्रेस गाड़ी पुनः चालू करने का निर्णय कर लिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : जी नहीं । इस सम्बन्ध में खास कठिनाई यह है कि वहां अतिरिक्त लाइन क्षमता उपलब्ध नहीं है ।

गोदावरी पर रेल तथा सड़क का पुल

1077. { श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-सभा और राज्य सभा के सदस्यों से राजामुंदरी के निकट गोदावरी पर रेल तथा सड़क का पुल बनाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नथ) : राजामुंदरी के पास गोदावरी पर केवल रेल-पुल बनाने का निश्चय किये जाने के बाद, संसद् सदस्यों से ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है कि वहां रेल तथा सड़क पुल बनाया जाय ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

चौथी योजना में कोयला उत्पादन

1078. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग की संयुक्त कार्यकारिणी समिति ने चौथी योजना के लिये कोयले के उत्पादन का कार्यक्रम तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). संयुक्त कार्यकारिणी समिति ने चौथी पंचवर्षीय योजना के 1965-66 में अनुमानित पैदावार के अलावा अतिरिक्त कोयला पैदा करने का निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया है :

(मिलियन मीटरी टनों में)

कोकिंग और मिलाने योग्य (व्लैंडेबिल) कोयला	11.2
नान कोकिंग कोयला	20.4

कुल	31.6

आवश्यक छानबीन के बाद 738 मिलियन मीटरी कोकिंग कोयले का प्रस्ताव उपयुक्त मानकर स्वीकार किया गया है। विभिन्न खानों के प्रस्तावित विकास के बारे में जिनसे अतिरिक्त उत्पादन होना है, उद्योग से आवश्यक योजनाएं और नीले खांके मांगे गये हैं। उनको यह भी सलाह दी गई है कि वे चौथी योजना की प्राकलित मांग और कोकिंग कोयले के उत्पादन के अन्तर को पूरा करने के लिये अतिरिक्त प्रस्ताव भेजें। नान-कोकिंग कोयले के बारे में इस समय यह विचार है कि चौथी योजना में गैर-सरकारी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिये किसी नई योजना को आरम्भ करना आवश्यक नहीं है।

लौह अयस्क का बुल्गेरिया को निर्यात

1079. { श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने भारतीय लौह अयस्क के निर्यात के लिये बुल्गेरिया के साथ कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो बुल्गेरिया को कितने लौह अयस्क का निर्यात किया जायेगा और करार की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) मै० रडमेटल के साथ हुए संविदा के अनुसार भारत के खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० ने बुल्गेरिया को 10,000 टन लौह अयस्क का निर्यात किया है । संविदा की शर्तों को प्रकट करना निगम के व्यापारिक हित में नहीं है ।

नाजुक वस्तुओं की भाड़ा दर

1080. श्री रामेश्वर टाटिया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाजुक वस्तुओं के भाड़ों की दरों की जांच करने के लिये सरकार ने एक समिति स्थापित की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) इस समिति के कब तक प्रतिवेदन देने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

पुल और पुलियां

1081. श्री कर्णो सिंहजी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के हनुमानगढ़ शहर-सूरतगढ़ और सूरतगढ़-सरूपसर क्षेत्रों में घग्गर नदी में बाढ़ आने के कारण बार-बार रेलवे लाइन के टूट जाने की दृष्टि से क्या सरकार ने पुल और पुलियां बनाकर रेलवे लाइन के नीचे से पानी के निर्बाध बहाव की व्यवस्था करने की संभावना पर विचार किया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : इस क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण नगरों का विकास उन जगहों पर हुआ है जहां पर पहले घग्गर नदी बहा करती थी, जो उस समय सूख गई थी । अतः इन नगरों की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उस समय जो रेलवे लाइन बनायी गयी, उसे भी उसी भूप्रदेश में बनाना पड़ा । पंजाब सरकार की विस्तृत सिंचाई और जल निकासी योजनाओं को अमल में लाने के फलस्वरूप भी इस नदी से कई तरह के काम लिये जा रहे हैं । इस लिए रेलवे लाइन के नीचे बहुत से पुलों का निर्माण करने पर भी इस लाइन को बाढ़ से नहीं बचाया जा

सकता। मोड़ नहर निकाल कर घग्गर नदी में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने की एक योजना पर सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय विचार कर रहे हैं। आशा है कि जब यह योजना पूरी हो जायेगी, तो इस लाइन पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

चाय-उद्योग

1082. श्रीमती रेणुका राय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में (वर्षवार) भारत में चाय-उद्योग की उर्वरक की कुल मांग कितनी है; और

(ख) चालू वर्ष में कितना कोटा दिया गया और इसमें से कितना बांटा जा चुका है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क)

	(मीट्रिक टनों में)
1961-62	1,49,884
1962-63	1,51,602
1963-64	1,52,034
1964-65	1,69,000
1965-66	1,68,351

(ख) उत्तर भारत के लिये नियत किये गये 92,500 मी० टनों में से 31 जनवरी, 1965 तक 76,344 मी० टन भेजे जा चुके थे। आशा है कि मार्च, 1965 के अन्त तक दक्षिण भारत के लिये नियत किये गये 44,000 मी० टनों की पूरी तौर पर बागानों को भेज दिया जायेगा।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

1083. { श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने शुद्ध रेशम के कपड़ों पर सर्टीफिकेशन ट्रेड मार्क "सैट्रोसिल्क" की छाप लगाने की योजना को लागू करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां। योजना 2 जनवरी, 1965 से लागू कर दी गई है।

(ख) इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं, भारत में बने शुद्ध रेशमी कपड़ों का निरीक्षण एवं जांच कर के उनमें प्रयुक्त हुए रेशम की शुद्धि के विषय में निश्चय करना। आवश्यक निरीक्षण एवं जांच के पश्चात् जो वस्त्र पूर्ण रूप में शुद्ध रेशम से बने पाये जाते हैं, उन पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड

के प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह "सेंट्रोसिल्क" की मोहर लगा दी जाती है। कपड़ों को शुद्धि प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्र भी केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य शुद्ध रेशम के नाम पर सस्ते अनुपूरक दे देने की बुरी हरकतों को रोकना तथा इस प्रकार से शुद्ध रेशमी वस्त्रों के उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना तथा विदेशी खरीदारों में विश्वास की भावना भरना है।

पंजाब में अखबारी कागज का कारखाना

1084. { श्री हेम राज :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दलजीत सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री 20 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 255 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के हिमालय के ब्यास बेसिन में कनाडा के सहयोग से स्थापित किये जाने वाले अखबारी कागज के कारखाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या कनाडा में रिपोर्ट की विशेषज्ञ जांच पूरी हो गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). प्रश्न में उल्लिखित रिपोर्ट पर कनाडा और भारत की कम्पनियों द्वारा विचार किया गया था तथा कनाडा कम्पनी के प्रतिनिधियों ने पिछली जनवरी में इस देश का दौरा किया था। सहयोग की शर्तों इत्यादि के ब्योरे की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली-फिरोजपुर डिवीजन में वस्तु-विक्रय ठेकेदार

1085. { श्री बूटा सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे (दिल्ली और फीरोजपुर खंडों में) के उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां 1-1-65 को वस्तुयें बेचने के ठेकेदार 9 सालों से अधिक समय से लगातार काम कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : उत्तर रेलवे (दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजन) के उन स्टेशनों के नाम नीचे दिये गये हैं जहां खोमचे के ठेकेदार 1-1-1965 को लगातार 9 वर्ष से अधिक समय से ठेके चला रहे हैं :—

दिल्ली डिवीजन

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. अम्बाला छावनी | 26. मेरठ नगर |
| 2. अम्बाला शहर | 27. मेरठ छावनी |
| 3. भटिण्डा | 28. मुजफ्फरनगर |
| 4. बड़ोग | 29. मुरादनगर |
| 5. बरनाला | 30. मोदीनगर |
| 6. बरारा | 31. मानसा |
| 7. धूरी | 32. नयी दिल्ली |
| 8. दौराला | 33. नयी दिल्ली केलासाइडिंग |
| 9. देवबंद | 34. नयी दिल्ली मालगोदाम |
| 10. दिल्ली किशनगंज | 35. नरवाना |
| 11. शहादरा | 36. नाभा |
| 12. दिल्ली मेन | 37. नरेला |
| 13. रोपड़ | 38. पानीपत |
| 14. घरौंडा | 39. पटियाला |
| 15. गाजियाबाद | 40. राजपुरा |
| 16. हजरत निजामुद्दीन | 41. रोहतक |
| 17. जगाधरी | 42. रामपुराफूल |
| 18. जाखल | 43. सहारनपुर |
| 19. जींद | 44. सरहिन्द |
| 20. कुरुक्षेत्र | 45. शकूरबस्ती |
| 21. कैथल | 46. सब्जीमण्डी |
| 22. कालका | 47. शिमला |
| 23. करनाल | 48. सोनीपत |
| 24. खन्ना | 49. तारादेवी |
| 25. खतौली | |

फिरोजपुर डिवीजन

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. फिरोजपुर छावनी | 22. फगवाड़ा |
| 2. फिरोजपुर शहर | 23. नवांशहर दोआबा |
| 3. जलालाबाद | 24. होशियारपुर |
| 4. गुरुहर सहायक | 25. जालंधर शहर |
| 5. फरीदकोट | 26. जालंधर छावनी |
| 6. कोट कपूरा | 27. करतारपुर |
| 7. जैतो | 28. ढिलवां |
| 8. गिदड़वाहा | 29. व्यास |
| 9. मलौट | 30. अमृतसर |
| 10. मोगा | 31. फतेहगढ़ चूरियां |
| 11. जगरांव | 32. धारीवाल |
| 12. माखू | 33. दीनानगर |
| 13. लोहियां खास | 34. बटाला |
| 14. कपूरथला | 35. नगरोटा |
| 15. नकोदर | 36. नूरपुर रोड |
| 16. मलसियां शाहकोट | 37. कांगड़ा |
| 17. अहमदगढ़ | 38. बैजनाथ पपरोला |
| 18. मालेर कोटला | 39. गुलेर |
| 19. संगरूर | 40. फिल्लोर और |
| 20. सुनाम | 41. अबोहर |
| 21. लुधियाना | |

रेलवे स्टेशनों पर किताबों की दुकानें

1086. { श्री बूटा सिंह :
 श्री ओंकार लाल बेरवा :
 श्री गुलशन :
 श्री प० ह० भील :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के राजपुरा-भटिंडा सैक्शन के उन स्थानों पर किताबों की दुकानें खोलने का प्रस्ताव है जहां इस समय ऐसी व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). राजपुरा-भटिंडा सेक्शन के धुरी और पटियाला स्टेशनों पर किताबों की दुकानों की व्यवस्था की जा चुकी है। इस सेक्शन के दूसरे स्टेशनों पर किताबों की दुकानों की व्यवस्था करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

मसाला निर्यात प्रोत्साहन परिषद्

1087 { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वाणिज्य मंत्री 18 दिसम्बर, 1964 के अतारंकित प्रश्न संख्या 1543 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मसाला निर्यात प्रोत्साहन परिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई योजना पर अब विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). मसालों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान व मसाला निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा बंगलौर में 8 से 10 फरवरी, 1965 तक संयुक्त रूप में की गयी "मसाला-निर्यात" गोष्ठी में, पूर्ण रूप में विचार किया गया है। गोष्ठी का पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सरकार इस मामले पर आगे विचार करेगी।

रूरकेला

1088. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के इस्पात विशेषज्ञों के पांच-सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने श्री डब्ल्यू० सोलवीन के नेतृत्व में हाल में रूरकेला का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन के वहां जाने का क्या प्रयोजन था; और

(ग) उस प्रतिनिधिमंडल के साथ किस प्रकार की बातचीत हुई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जब जुलाई, 1963 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का शिष्ट मंडल जर्मनी के पुर्ननिर्माण और विकास बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए पश्चिमी जर्मनी गया था उस समय यह निश्चय किया गया था कि विस्तार योजना के क्रियान्वयन तथा संयंत्र के परिचालन से सम्बन्धित प्रश्नों पर परस्पर विचार विनिमय करने के लिए अर्ध-वार्षिक बैठकें की जायेंगी। इस फैसले के अनुसार ही जर्मन संघीय गणतंत्र का शिष्ट मंडल फरवरी, 1965 में हिन्दुस्तान स्टील लि० से विचार-विनिमय करने भारत आया था। विचार-विनिमय आम बातों पर हुआ। मुख्य रूप से विभिन्न इकाइयों के परिचालन और संधारण, जर्मन तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकताओं तथा उन के द्वारा पहले की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अन्य मामलों पर विचार-विनिमय हुआ।

सीमेंट बनाने का उद्योग

1089. { श्री प्र० क० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कोया :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के क्रिस्टलों की एकसरे द्वारा अध्ययन करने की प्रणाली जिस से रूप में उत्पादन लागत 16 प्रतिशत कम हो गयी है भारत में सीमेंट बनाने के उद्योग में लागू कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). सीमेंट के क्रिस्टलों की एकसरे द्वारा अध्ययन करने की प्रणाली का उत्पादन लागत में कमी करने पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है विभिन्न खनिजों तथा सीमेंट में मौजूद क्रिस्टलों के इस प्रकार के अध्ययनों से शीघ्र ही कड़े हो जाने वाले या निम्न ताप वाले सीमेंट जैसे अन्तिम रूप से काम में आने वाले विशिष्ट पदार्थों को और अधिक उपयुक्त बनाने वाले उपादानों के अनुपातों का समायोजन करने में निस्सन्देह सहायता मिलती है। भारत के सीमेंट कारखानों में अभी तक ऐसी कोई सुविधा नहीं है।

लौह अयस्क का निर्यात

1090. { श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् ने एक अध्ययन प्रतिवेदन में विश्व प्रतियोगिता का सामना करने के लिये देश के लौह अयस्क के निर्यात का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो परिषद् के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने का वर्तमान विकास कार्यक्रम अमल में लाते समय प्रतिवेदन में दिये सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा।

500 श्रमिकों वाली कोयला खानें

1091. { डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जिन में प्रति दिन 5000 से अधिक श्रमिक काम करते हैं और उन का दैनिक उत्पादन क्या है; और

(ख) उन की मालिक कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें अभीष्ट सूचना दी हुई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3986/65]

Dacoity in Train on Kotkapura-Fazilka Line

1092. **Shri Gulshan** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some dacoits entered a running train on Kotkapura-Fazilka Section of the Northern Railway on the 20th January, 1965 and decamped with the jewellery of some lady passengers ;

(b) if so, whether this incident has been inquired into ; and

(c) the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) (a) to (c). There was no dacoity. The incident that took place is as follows :—

When a passenger train No. 2, Rewari to Fazilka left Wander Jatana, a way-side station, two unknown Sikh youngmen tried to enter a second class compartment locked from inside by a newly married couple accompanied by bride-groom's cousin. They hesitated to open the door. Ultimately when the door was opened, the Sikh youths came inside and started quarrelling over the delay. Frightened, one of the ladies went to the door way to seek the help of their relatives in another compartment. Meanwhile, the bride-groom tried to stop the train by pulling the alarm chain. Thereupon, both the Sikhs jumped out of the train apprehending trouble. In the commotion, the lady at the doorway fell out. The train was stopped and brought back to pick her up. She received some minor injuries. First aid was rendered by the Guard of the train. Enquiries revealed that the two young men had not boarded the train to commit any crime. The Government Railway Police treated the whole incident as a pure case of accident.

पल्लोर-स्वार राक

1043. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में बरौदू जिले के अम्बा दामगर में पल्लोर-स्वार का काफी निक्षेप पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे निकालने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) (क) जी, हां। इस क्षेत्र में पल्लोरस्वार चट्टान के 10 मिलियन मिटर टन भण्डारों का अनुमान लगाया गया है।

(ख) गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (राज्य सरकार की एक उपक्रम) को 1530 एकड़ भूमि के लिये एक खनन-पट्टा दिया गया है तथा खनन-कार्य शीघ्र ही आरम्भ होने की आशा है।

गुजरात में खनिज सर्वेक्षण

1094. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने गुजरात में खनिजों का विस्तृत सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात के विभिन्न भागों में पाये गये खनिज निक्षेपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय भौमिकी विभाग ने भण्डारों के विस्तार का इस प्रकार अनुमान लगाया है :—

फ़्लोराइट—अम्बदनगर में न्यादर्शन तथा व्यधन से 10 मिलियन मीटरी के टन भण्डारों का पता चला है ।

तांबा-सिक्का—खण्डिया में 1800 मीटर की लम्बी धातुयुक्त क्षेत्र का पता चला है तथा भारतीय भौमिकी विभाग व्यधन कार्य कर रहा है ।

स्फोदिज—स्फोदिज स्वराष्ट्र तथा कच्छ के तटवर्ती क्षेत्रों में और केड़ा, बढौच और सूरत जिलों में पाया गया है अब तक अयस्क के कुल 12 मिलियन मीटरी टन का अनुमान लगाया गया है । राज्य सरकार विस्तृत कार्य कर रही है ।

लिगनाइट—उमरसार, लेकड़ी, झुलराय तथा बांदा में पाया गया है । 11 मिलियन मीटरी टन अयस्क के भण्डार अनुमान है । राज्य सरकार विस्तृत कार्य कर रही है ।

मँगनीज—पंच महल और बड़ौदा में पाई गई है । भण्डारों का 1.73 मिलियन मीटरी टन का अनुमान है ।

चूना-पत्थर—के भण्डार 10 मिलियन मीटरी टन पासवाल में, 15.24 मिलियन मीटरी टन बनसकान्ता के करमुदी में; 3 मिलियन मीटरी टन पंच महल में; 18 मिलियन मीटरी कच्छ में; 5 मिलियन मीटरी टन बंजी; 2 मिलियन मीटरी टन बढौच के गौरा में; 812 मिलियन मीटरी टन केड़ा के बाल सिनोंर; 3 मिलियन मीटरी टन सूरत में; 5 मिलियन मीटरी टन अमरेली में; तथा 27 मिलियन मीटरी टन जफराबाद में हैं । राज्य-सरकार विस्तृत कार्य कर रही हैं ।

जिप्सम—जामनगर, बढौच, कच्छ, भावनगर, सुरेन्द्रनगर, और जूनागढ़ जिलों में पाया जाता है । अयस्क के कुल 7 मिलियन मीटरी टन का अनुमान है ।

(ग) गुजरात खनिज विकास निगम (लि०) जो राज्य स्वामिक निगम है, को अम्बदनगर के फ़्लोराइट भण्डारों के विदोहन के लिये 1530 एकड़ भूमि का पट्टा स्वीकार किया गया है । वे लिगनाइट और स्फोदिज भण्डारों पर आधारित एक एल्यूमिना संयंत्र लगाने की योजना पर भी विचार कर रहे हैं ।

उड़ीसा को अलौह धातुओं का आवंटन

1095. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 1964-65 में उड़ीसा को अलौह धातुओं की कितनी मात्रा निर्धारित की गई;
(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने 1965-66 में उस का कोटा बढ़ाने के लिये केन्द्र से प्रार्थना की है; और
(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) उड़ीसा की अलौह धातुओं का आवंटन निम्न प्रकार किया गया था :—

वस्तु	अप्रैल-सितम्बर 64 में आवंटित परिमाण	अक्टूबर 64 मार्च, 65 में आवंटित परि- माण
-------	---	---

(आंकड़े मीट्रिक टनों में)

तांबा .	219	} आवंटन अभी नहीं किया गया है।
जस्ता .	97	
टीन .	19.2	
अल्युमिनियम .	12	
सीसा .	2.5	

(घ) और (ग). उड़ीसा सरकार से 1965-66 के उन के आवंटन को बढ़ा देने के बारे में कोई विशेष निवेदन नहीं मिला है। तो भी अलौह धातुएँ खरीदने के लिये बड़ी सीमित विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने तथा कुछ धातुओं के मूल्यों में हाल में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसी भी राज्य के कोटे को बढ़ा सकना बड़ा कठिन होगा।

उड़ीसा में औद्योगिक लाइसेंस

1096. { श्री रामचन्द्र उलाका, :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 1964 में उड़ीसा से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए ; और

(ख) उनमें से कितने मंजूर किये गये तथा कितने नामंगूर किये गये ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र) : (क) 9 ।

(ख) स्वीकृत 2 ; अस्वीकृत 3 ; तथा विचाराधीन 4 ।

प्लेटफार्म शौड

1097. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर 1965-66 में कितने प्लेटफार्म शौड बनाए जायेंगे ; और

(ख) उन पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). दक्षिण-पूर्व रेलवे के 1965-66 के निर्माण कार्यक्रम में 12 स्टेशनों पर नये प्लेटफार्म शौडों के निर्माण की व्यवस्था की गयी है । इस काम की प्रत्याशित लागत 6.59 लाख रुपये है । इसके अलावा 15 स्टेशनों पर इस समय जो काम हो रहा है उसे भी चालू कामों के रूप में आगे जारी रखा जायेगा ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे वर्कशापों में चोरियां

1098. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में दक्षिण-पूर्व रेलवे के वर्कशापों में चोरी के कितने मामले पकड़े गये ; और

(ख) चोरी किये गये माल का मूल्य क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 27 (जनवरी 1965 तक) ।

(ख) 4,315 रुपये ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे की चन्द्रपुरा-मुरी रेलवे लाइन

1099. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के चन्द्रपुरा-मुरी सैक्शन पर कितना पूंजी व्यय होने का अनुमान है ;

(ख) इस सैक्शन पर माल तथा यात्री यातायात किस तारीख से शुरू हुआ ;

(ग) 1963-64 तथा 1964-65 में (अब तक) इस सैक्शन से लगभग कुल कितनी आय हुई ; और

(घ) क्या इस परियोजना की कार्यान्विति से पहले इसका कोई आर्थिक विश्लेषण किया गया था और क्या वित्तीय दृष्टि से इसे उचित पाया गया ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) चन्द्रपुरा-मुरी खण्ड की अनुमानित पूंजीगत लागत 4.81 करोड़ रुपये थी ।

(ख) यह खण्ड माल यातायात के लिए 10-11-59 से और सवारी यातायात के लिए 22-12-60 से खोला गया था ।

(ग) 1963-64 और 1964-65 में इस खण्ड की कुल आमदनी क्रमशः लगभग 86.28 करोड़ रुपये और 83.07 करोड़ रुपये थी ।

(घ) इस योजना पर मंजूरी देने से पहले चन्द्रपुरा-मुरी खण्ड का आर्थिक विश्लेषण कर लिया गया था, जिससे यह पता चला कि लाइन चालू होने के बाद छठे वर्ष में इससे 10.86 प्रतिशत प्रतिलाभ होगा ।

12-3-1965 को दिया जाने वाला उत्तर दक्षिण रेलवे पर रेलगाड़ियों के चलने में देरी

1100. श्री कोया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इसकी जानकारी है कि शोरनूर और एर्नाकुलम (दक्षिण रेलवे) के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के चलने में अनेक रेलवे फाटकों के कारण बहुत देर होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सेक्शन को दोहरा बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) शोरानूर-एरणाकुलम खण्ड पर गाड़ियों के आने-जाने में समस्यारों की वजह से कोई देरी नहीं होती ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मथुरा-अलीगढ़ बड़ी रेलवे लाइन

1101. श्री कृष्णपाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले मथुरा से अलीगढ़ तक वृन्दावन और खैर के रास्ते से रेल की बड़ी लाइन के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अब तक काम आरम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय यह मामला किस स्थिति में है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). मथुरा से अलीगढ़ तक 41 मील/66 कि० मी० लम्बी एक बड़ी लाइन बनाने के उद्देश्य से 1936-37 में यातायात की सम्भावनाओं की जांच की गयी थी, जिससे पता चला कि इस लाइन से प्रतिफल नाममात्र का होगा। चूंकि यह प्रायोजना अलाभप्रद पायी गयी इसलिए उसके निर्माण का विचार छोड़ दिया गया। निर्माण की वर्तमान लागत में वृद्धि होने के कारण अब यह लाइन और अधिक अलाभप्रद होगी।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में रेलों द्वारा बनायी जाने वाली नयी लाइनों के कार्यक्रम में यह लाइन शामिल नहीं है। चूंकि वित्तीय साधन और सामान सीमित हैं, इसलिए इस लाइन के बनाने के बारे में निकट भविष्य में विचार नहीं किया जा सकता।

कोयले का उत्पादन

1102. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः महीनों में कोयला उद्योग उपभोक्ताओं और उद्योगों की आवश्यकतायें पूरी नहीं कर सका है ; और

(ख) यदि हां, तो कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में मशीनी औजार कारखाना

1103. { श्री मुहम्मद इलियास :
श्री वारियर :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के अंडुल नामक स्थान में मशीनी औजार कारखाना स्थापित करने की कोई योजना मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य में मशीनी औजारों का निर्माण करने के लिये एक निजि फर्म को लाइसेंस दिया गया है तथा वह अपने कारखाने की स्थापना के लिए एन्डुल समेत विभिन्न स्थानों पर विचार कर रहे हैं।

(ख) यह लाइसेंस रेट, कपस्टन तथा बैंच लेथो का उत्पादन करने के लिये दिया गया है जिनकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 440 संख्या में होगी।

सूडान से रूई का आयात

1104. श्री महेश्वर नायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
कि :

(क) क्या यह सच है कि सूडान अपने वर्तमान स्टॉक से तथा आने वाली फसल से प्रतियोगी मूल्यों पर लम्बे रेशों वाली रूई दे सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत का विचार इससे लाभ उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) तथा (ख). भारत को रूई का सम्भरण करने वाले देशों में से सूडान एक प्रमुख देश है और यदि मूल्य प्रतियोगितापूर्ण होंगे तो भारतीय रूई मिलें अपने कोटों के अनुसार सूडान से रूई का आयात करेंगी ।

केन्द्रीय रेशम कीट पालन अनुसन्धान संस्था

1105. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम कीट पालन अनुसन्धान संस्था, बरहामपुर, पश्चिम बंगाल की विस्तार योजना में आमूल परिवर्तन कर दिया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इस परिवर्तन की विधिवत् स्वीकृति दे दी है तथा केन्द्रीय सरकार से इसकी सिफारिश की है ;

(ग) क्या केन्द्रीय रेशम कीट पालन अनुसन्धान संस्था के कीलिंग सैक्शन का विस्तार कार्य बन्द कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं । केन्द्रीय रेशम कीट पालन अनुसन्धान संस्था, बरहामपुर, (पश्चिम बंगाल) की विस्तार योजना को पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत सुदृढ़ आधार पर इस प्रकार से पुनः बनाया गया है कि अब रेशम कीट पालन अनुसन्धान के प्रत्येक क्षेत्र में पहले अनुमान की अपेक्षा अधिक विस्तार हो सकेगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत, रेशम कीट पालन अनुसन्धान क्षेत्र को समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, चार प्रभागों की स्थापना करने की परिकल्पना की गयी है । राष्ट्रीय आपतकाल को दृष्टि में रखते हुए इस पुनर्गठन योजना पर पुनर्विचार किया गया तथा इन चार प्रभागों में से दो अर्थात्, "रीलिंग" प्रभाग और "सांख्यिकी अर्थशास्त्र तथा सूचना" प्रभाग की कार्यान्विति विलम्ब से की जायेगी ।

व्यापार मण्डल

1106. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 15 फरवरी, 1965 की व्यापार मण्डल की बैठक में क्या मुख्य विचार प्रकट किये गये तथा क्या निर्णय किये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : 16 फरवरी, 1965 को नई दिल्ली में हुई व्यापार बोर्ड की 17 वीं बैठक में प्रकट किये गये मुख्य विचार तथा निर्णय सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--3987/65]

पूर्वोत्तर रेलवे पर नये स्टेशन

1107. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की बात करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में पूर्वोत्तर रेलवे पर नये स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है और स्थानों के नाम क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित स्टेशन खोलने का विचार है :—

(1) फर्रुखाबाद और शमसाबाद स्टेशनों के बीच,

(2) आनन्दनगर और पुरन्दरपुर स्टेशनों के बीच,

(3) पिपरा और जीवधारा स्टेशनों के बीच,

(4) घोड़ा सहन और चौरादानों स्टेशनों के बीच,

इन स्टेशनों के नाम के बारे में राज्य सरकारों के परामर्श से अभी अन्तिम निर्णय होना बाकी है ।

Agreement with Trade Association of Sweden

1108. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement has been reached between the State Trading Corporation and a trade association of Sweden named "Sukab" for the export of Indian goods and import of Swedish goods; and

(b) if so, the main terms of the agreement?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) The Agreement envisages export of various Indian commodities, e.g. groundnut extractions, tobacco, carpets, coir mats and mattings, coffee, mica, semitanned hides and skin etc. for a total f.o.b. value of Rs. 100 lakhs. Against these exports, S.T.C. would be importing from Sweden components and raw materials for the manufacture of compressors worth Rs. 15 lakhs c.i.f. and Geological Survey equipment worth Rs. 35 lakhs c.i.f., thus making a total of Rs. 50 lakhs c.i.f. The remaining amount of Rs. 50 lakhs would be available in free foreign exchange for importing mercury etc.

The Agreement entered into on 30-12-64 is valid for a period of one year with a provision of grace period of six month thereafter during which any short-falls in exports or imports have to be made good.

The import of goods will be at normal prices or against tenders.

Electrical Equipment Plant at Hyderabad

1109. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government is contemplating to set up a plant for the manufacture of electrical equipments at Hyderabad in collaboration with a Swedish firm; and

(b) if so, when it will be established, the estimated cost of the project and the extent of Swedish collaboration ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) Bharat Heavy Electricals Ltd., are setting up a plant near Hyderabad for the manufacture of air blast circuit breakers (132 KV, 230 KV and 400 KV) in collaboration with Alimanna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Sweden ;

(b) The plant is expected to commence manufacture and assembly work by April 1966; the total estimated capital cost of the project is approximately Rs. 247 lakhs. The agreement of collaboration with the Swedish firm provides for supply of technical know-how. A Suppliers' credit is also being negotiated to finance the import of capital equipment and components.

झांसी और सवाई माधोपुर के बीच रेलवे लाइन

1110. **श्री पाराशर** : : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी और सवाई माधोपुर के बीच बड़ी रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये सर्वेक्षण के कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे विद्युतीकरण परियोजना

1111: { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं के कब तक पूरे होने की संभावना है ;

(ख) क्या इन परियोजना-कार्यों के लिये पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे प्राधिकारियों ने कुछ ठेकेदार लगाये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ध) क्या यह सच है कि 1958 के बाद रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं के मजदूरों की मजूरी तथा दर में कोई वृद्धि नहीं की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3988/65]

(ख) पूर्व और दक्षिण रेलों पर बिजली गाड़ी चलाने का काम रेलवे बिजली प्रायोजना नामक संगठन द्वारा किया जा रहा है और इस प्रायोजना ने इस काम के लिए ठेके दिये हैं ।

(ग) त्रिशिष्ट प्रायोजना का काम होने के कारण इसे ठेके पर दिया गया है ताकि काम जल्द हो जाये ।

(घ) जी नहीं । दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तीसरे और चौथे दर्जे के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ाये गये हैं । समय-समय पर स्थानीय दर के अनुरूप अनियत कर्मचारियों की मजूदूरी बढ़ायी गयी है ।

कुंजरू समिति

1112. श्री अ० प्र० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्तमान उत्तर और पश्चिम रेलवेज के बेडौल आकार और उस से इनका सुचारू रूप से प्रबन्ध होने में प्रशासनिक कठिनाइयां होने के बारे में कुंजरू समिति द्वारा प्रकट किये गये विचारों की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कुंजरू समिति ने यह विचार प्रकट किया था कि एक सामान्य क्षेत्रीय प्रशासन जितना कार्य भार संभाल सकता है उसकी तुलना में उत्तर, दक्षिण तथा मध्य रेलों पर कार्यभार अधिक दिखायी देता है । इसके अलावा समिति ने "बढ़ते हुए यातायात" और आगे उस में और वृद्धि की संभावना का भी उल्लेख किया था और सुझाव दिया था कि इस विषय पर रेलवे बोर्ड विशेष रूप से अध्ययन करे । इस सन्दर्भ में पश्चिम रेलवे का उल्लेख नहीं किया गया था ।

(ख) रेलवे बोर्ड का कुशलता ब्यूरो रेलों पर काम के बोझ की बराबर समीक्षा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा । समीक्षा से पता चलता है कि चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर रेलवे में यातायात और कार्यभार में कुछ कमी का रुख दिखायी पड़ा है ।

दिल्ली में औद्योगिक इकाइयां

1113. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्चे माल का कोटा और अन्य सुविधायें बढ़ाने की दृष्टि से राजधानी की औद्योगिक इकाइयों का व्यापक सर्वेक्षण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 1950-51 में ऐसा सर्वेक्षण आरम्भ किया गया था लेकिन वह अभी पूरा नहीं हुआ ;

(ग) यदि हां, तो इसके पूरा न होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सर्वेक्षण के कब शुरू होने और समाप्त होने की संभावना है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) तथा (ख). चौथी योजना के लिए प्रायोजनाएँ तैयार करने तथा उन के लिये आवश्यक दक्ष जन शक्ति, मशीनों, कच्चे माल तथा आम सेवा सुविधाओं और खर्चे आदि का अनुमान लगाने के उद्देश्य से दिल्ली प्रशासन ने केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र में उद्योगों के सर्वेक्षण का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है ।

इस सर्वेक्षण के दो वर्षों में पूरा हो जाने की आशा है ।

(ग) तथा (घ). 1950-51 में जो सर्वेक्षण शुरू किया गया था वह पूरा हो गया है तथा उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है ।

Theft Cases at Delhi Junction

1114. Shri Ramanand Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of theft cases in the Northern Railway Goods Office at Delhi Junction which were brought to the notice of the Railway Administration during 1963-64;

(b) the extent of loss sustained by the Railway in all those cases; and

(c) the number of railway employees (including the Railway Protection Police Force personnel) held responsible for those thefts and the action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 4 (including 2 pilferages).

(b) Rs. 1,498/-.

(c) 4 railway employees, including 1 Railway Protection Force Rakshak, have been held responsible. Departmental action is being taken against them.

Leipzig Fair

1115. Shrimati Maimoona Sultan : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether India participated in the Leipzig Trade Fair held during the current month; and

(b) if so, the aspects of India's trade and Industry which were exhibited therein?

The Minister of Commerce (Shri Mauubhai Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) Engineering and Electrical goods, scientific and surgical instruments, textiles including hosiery and ready-made garments, sports goods, plastic goods, footwear, food and drinks, handicrafts and handlooms, chemicals, minerals and allied products, refractories, books and publications.

कोयले की ढुलाई

1116. { यमुना प्रसाद मण्डल :
रामेश्वर टांटिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परबेलिया कोयला खान के लगभग दो सौ मजदूरों ने वृगनों के मुगलसराय से आगे आने-जाने पर लगे प्रतिबन्ध हटाने के लिये डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, आदरा के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया ; और

(ख) यदि हां, तो कोयले की ढुलाई बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि उस क्षेत्र की कोयला खानों उत्पादन और रोजगार बनाये रख सकें और कोयले की बढ़ती हुई मांग को भी पूरा कर सकें ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). फरवरी, 1965 के पहले सप्ताह में कुछ मजदूरों ने, जो अपने को परबेलिया कोयला खान के कर्मचारी बताते थे, आदरा के मंडल अधीक्षक के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया । वे पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही युक्तियुक्तकरण योजना के विरुद्ध मुगलसराय से आगे के उपभोक्ताओं के लिए इस कोयला खान से ग्रेड 2 का कोयला भेजने की मांग कर रहे थे । परिचालन की दृष्टि से मुगलसराय से आगे कोयला भेजने में भारी दिक्कत होती है । साथ ही मुगलसराय से आगे के उपभोक्ता अपने निकटवर्ती युक्तिमूलक साधनों से ग्रेड 2 का कोयला पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं । इसलिए रेलों के लिए यह संभव नहीं है कि वे कोयले के इस तरह के अयुक्तिमूलक परिवहन व्यवस्था के बारे में विचार कर सकें । इस तरह की व्यवस्था का परिणाम यह होगा कि जिन साधनों को अयुक्तिमूलक माना गया है, वहां से कोयले का परिवहन अधिक होने लगेगा जिसका मान्य युक्तिमूलक साधनों पर बुरा असर पड़ेगा । इस समस्या का समाधान यही है कि परबेलिया की कोयला खानों और चौरासी क्षेत्र की अन्य कोयला खानों उन उपभोक्ताओं से कोयले की सप्लाई के अधिक आर्डर प्राप्त करें जिन के लिए इस क्षेत्र से, काफी समय से चली आ रही युक्तियुक्तकरण योजना के अनुसार, कोयला भेजने की अनुमति लीयी है ।

रूरकेला इस्पात कारखाना

1117. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने से 1963-64 तथा 1964-65 में विदेशों को किसी किस्म के तैयार उत्पादों का निर्यात किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस से अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 1963-64 और 1964-65 में तैयार इस्पात का निर्यात नहीं किया गया लेकिन इन वर्षों में कुछ उपोत्पाद जैसे हाट—प्रेसड नैफथेलीन, बैंजीन, और क्रूड ऐंथ्रैसीन निर्यात किए गए हैं।

(ख) 1963-64 में अर्जन्टाइना, जापान और ब्रिटेन को और 1964-65 में अर्जन्टाइना, कोलम्बिया, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, फ्रांस, और ब्रिटेन को।

(ग) 1963-64 में लगभग 2.68 लाख रुपये और 1964-65 में 4 लाख रुपये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रोजगार

1118. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में दक्षिण-पूर्व रेलवे के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये ;

(ख) क्या नियुक्तियां आरक्षित कोटे के लिए की गई ;

(ग) इस अवधि में विभिन्न श्रेणियों के कितने पद आरक्षित रखे गये ;

(घ) क्या इन सब पदों को भर दिया गया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1-4-1964 से 31-12-64 तक की अवधि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के भर्ती किये गये उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
तीसरे दर्जे के उम्मीदवार	171	36
चौथे दर्जे के उम्मीदवार	829	533

(ख) जी हां।

(ग)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
तीसरे दर्जे के पद	247	215
चौथे दर्जे के पद	910	792

(घ) से (च). जैसा कि ऊपर बताया गया है, इनकी भर्ती कुछ कम हुई है। तीसरे दर्जे में यह कमी खासकर तकनीकी कोटियों में है और इसका कारण यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के ऐसे उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है जिनके पास अपेक्षित तकनीकी योग्यता हो।

चौथे दर्जे में खासकर अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार कम भर्ती हुए जिसका कारण यह है कि वे अपने कबायली इलाके से दूर अनजान स्थानों में नौकरी करने के प्रति उदासीन हैं।

तीसरे दर्जे के पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की जो कमी होती है, उसे पूरा करने के लिए जनरल मैनेजर को रेल सेवा आयोग से पूछे बगैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की भर्ती करने का विशेष अधिकार दिया गया है।

जहां तक चौथे दर्जे के पदों के लिए इन जातियों के उम्मीदवारों की कमी को पूरा करने का सवाल है, जनरल मैनेजर को अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती करने का अधिकार दिया गया है, जब कि चौथे दर्जे के कर्मचारियों की भर्ती "चुनाव बोर्ड" के जरिये करने का आम तरीका है। जनरल मैनेजर को यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि वे चाहें, तो वे अपने इस अधिकार को मंडल अधीक्षकों को भी सौंप सकते हैं।

इन जातियों के उम्मीदवार मिल सकें, इस उद्देश्य से स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के अलावा, रोजगार दफ्तरों और सम्बन्धित क्षेत्र के अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के संगठनों से भी सम्पर्क स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त रेलों के कार्मिक अफसर उन क्षेत्रों का दौरा करते रहते हैं, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोग बहुतायत संख्या में रहते हैं।

मोर के पंखों का निर्यात

1119. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 1963 और 1964 में भारत से मोर के पंखों का कुल कितना निर्यात हुआ;
- (ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें मोर के पंखों की बहुत मांग है; और
- (ग) उक्त अवधि में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). मोर के पंखों की मांग पश्चिमी जर्मनी, सं० रा० अमरीका, जापान और नीदरलैण्ड में है। अक्टूबर, 1963 से सितम्बर, 1964 की अवधि में कुल 20 लाख नगों के लिए निर्यात लाइसेंस दिये गये, जब कि 1962-63 की इसी अवधि के लिए 25 लाख नग निर्यात करने के लाइसेंस दिये गये थे। मोर के पंखों के निर्यात और उनसे उपार्जित विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आंकड़े अलग से न रखे जाने के कारण, उपलब्ध नहीं हैं।

औद्योगिक बस्तियां

1120. श्री जसवन्त मेहता : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 1964-65 में विभिन्न राज्यों में कितनी औद्योगिक बस्तियां मंजूर की गईं; और

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में केवल सहकारी औद्योगिक बस्तियों को ही मंजूरी देने का है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित विभिन्न राज्यों में 1964-65 में 50 औद्योगिक बस्तियों के लिए तकनीकी स्वीकृति दी जा चुकी है :--

1. आन्ध्र प्रदेश	3
2. बिहार	1
3. गुजरात	2
4. मद्रास	2
5. महाराष्ट्र	3
6. मध्य प्रदेश	1
7. पंजाब	38

	योग 50

(ख) जी, नहीं। राज्य सरकारें उन स्थानों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करते रहने का काम करती रहेंगी जिनमें वे इस प्रकार की बस्तियों का होना लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से वांछित और आवश्यक समझती हैं।

मशीनें खरीदने के लिए ऋण

1121. श्री जसवन्त मेहता : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय लघु उद्योग सेवा-संस्थाओं ने 1964-65 में अब तक किराया/खरीद आधार पर मशीनें खरीदने के लिये ऋण के कितने प्रार्थना-पत्र मंजूर किये ; और

(ख) अभी कितने आवेदन पत्र मंजूरी के लिए शेष हैं और कितने प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये गये ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) विभिन्न राज्यों में किराया/खरीद के आधार पर मशीनें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा दी जाती है न कि लघु उद्योग सेवा संस्थानों के द्वारा 1 अप्रैल, 1964 से फरवरी, 1965 के अंत तक निगम द्वारा मशीनें देने के लिए 385.44 लाख रु० के 988 प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये।

(ख) इस समय 144.71 लाख रु० के मूल्य के 234 प्रार्थना पत्र निगम के पास स्वीकृति के लिए अनिर्णित अवस्था में हैं तथा 502.48 लाख रु० के मूल्य के 733 प्रार्थना पत्र निगम द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये हैं।

मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर और विद्युत-चालित हल बनाने वाला कारखाना

1122. श्री पाराशर : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर और विद्युत-चालित हल बनाने वाला एक कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस कब दिया गया ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) . उद्योग निदेशक मध्य प्रदेश से 20 से 30 डी० बी० एच० पी० तक के ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए एक प्रायोजना प्राप्त हुई है तथा इस पर विचार किया जा रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

लगभग 1700 नागा विद्रोहियों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने के प्रयास का समाचार

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Speaker, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

‘Reported attempt by about 1700 Naga hostiles to enter India from East Pakistan.’

श्री हेम बरूआ (गोहाटी) : अब जब कि मंत्री महोदय ने यह

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जैसा कि सदन को मालूम है, उपद्रवी नागाओं का एक बड़ा गिरोह अक्टूबर / नवम्बर, 1964 में पूर्व पाकिस्तान जाने के इरादे से बर्मा चला गया था। 18 नवम्बर को सदन में मैंने जो वक्तव्य दिया था, उसमें इसका जिक्र किया गया था। रक्षा मंत्री ने भी इस विषय पर 24 नवम्बर को एक वक्तव्य दिया था। यह आवागमन उस करार की भावना का स्पष्ट उल्लंघन है जिससे युधविराम हो सका था और इसलिये, इसके प्रति शांति मिशन का ध्यान दिलाया गया था। शांति मिशन ने छिपे नेताओं को सूचित कर दिया था कि वे इस मामले को गंभीर दृष्टि से देखते हैं।

हाल में ही मिली रिपोर्टों के अनुसार, यह गिरोह जिसमें लगभग 1500 आदमी हैं, पूर्व पाकिस्तान से रवाना हो चुका है और अब नागालैण्ड की ओर वापस आ रहा है। यह खबर भी है कि इस गिरोह ने पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया है और हथियार तथा गोला-बारूद इकट्ठा किया है। इस बात का स्मरण दिला दिया जाय कि पहले जो गिरोह मई, 1962 और जून, 1964 के बीच पूर्व पाकिस्तान गये थे, उन्होंने भी पाकिस्तान में प्रशिक्षण और हथियार प्राप्त किये थे। हमने मई, 1964 में पाकिस्तान सरकार

के पास उपद्रवी नागाओं को सहायता दिये जाने के बारे में विरोध-पत्र भेजा था। लेकिन उस सरकार ने उन तथ्यों से इनकार किया जो हमारे नोट में लिखे गये थे।

हमारी सरकार स्थिति के प्रति जागरूक है और हमारी सेनाएं इसका मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपाय बरत रही हैं।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : अब जबकि मंत्री महोदय ने यह स्वीकार कर लिया है कि नागा-विद्रोहियों का पाकिस्तान से शस्त्र आदि लेना नागालैंड में हुए युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन है, तो क्या सरकार ने नागा फेडरल सरकार के नेताओं को बता दिया है कि यदि उन्होंने इस ओर ठीक पग नहीं उठाये तो युद्ध-विराम समाप्त समझा जावेगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय सदस्य ने "नागा फेडरल सरकार" शब्द का प्रयोग किया है। हमने उस सरकार को कभी भी माना नहीं है और मुझे तो आश्चर्य है कि सदस्य महोदय ने ऐसा शब्द प्रयोग किया है। हमने नागा विद्रोही नेताओं को बता दिया है कि यह युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि एक जत्था प्रशिक्षण ले के आ गया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि अभी कितने जत्थे और बाकी हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : अपने विवरण में मैंने बताया कि जो नागा विद्रोही प्रशिक्षण ले के आये हैं उनकी संख्या 1500 है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : ऐसा क्या प्रबन्ध किया है जिससे विद्रोही नागा जो प्रशिक्षण लेके आवें उनके हथियार तो छीन लिये जावें और उन्हें नागालैंड में घुसने न दिया जावे ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी सुरक्षा सेना तथा पुलिस को उन्हें बन्दी बनाने का अधिकार है।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : क्या कारण है कि हमारी इतनी सुरक्षा सेना के होते हुए भी हम उन नागा विद्रोहियों को सीमा पार करने से रोकने में असमर्थ रहे।

श्री स्वर्ण सिंह : यह लोग दो दो और तीन तीन के छोटे गुटों में निकल गये। कुछ कारण उनके निकलने का वहां का कठिन क्षेत्र है।

श्री विद्याचरण शक्ल (महासमन्द) : हमारी वहां कितनी चौकियां हैं तथा उनके बीच अन्तर कितना है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सूचना देना लोक हित में नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaia (Dewas) : Is government prepared to break peace talks as no progress has been made in them? Does government want to seal the border between Nagaland and Pakistan ?

Shri Swaran Singh : Since peace talks are going on, it is not proper to say what shall we do if they fail. There is no common border between Pakistan and Nagaland.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह सच है कि समझौते में तो पाकिस्तान में जाने अथवा वहां से आने के बारे में कोई उल्लेख नहीं था परन्तु शांति मिशन के एक सदस्य के कहने पर ऐसा किया गया ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच नहीं है ।

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : Do the Nagas get same type of sympathy and aid in Pakistan and Burma ?

Shri Swaran Singh : The Burmese government does not give any help to Naga hostiles.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The "Statesman" of today has given a statement of Mr. Scott that the Naga hostiles have done nothing against peace talks. In the light of this is government prepared to tell such persons that their services are not wanted by the Indian government ?

Shri Swaran Singh : At present, we have no such intention.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : क्या बर्मा के जनरल ने बिन जो अभी दिल्ली आये थे उनसे इस बारे में बातचीत जिससे नागा विद्रोही बर्मा से शस्त्र पाकिस्तान द्वारा न ला सकें की थी और क्या उन्होंने इस का कोई संकेत दिया ?

श्री स्वर्ण सिंह : अस्वस्थ होने के कारण मैं इन बातचीतों में सम्मिलित नहीं हो सका । मेरी सूचना के अनुसार इस बारे में कोई बात चीत नहीं हुई ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा विनियोग लेखे

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(क) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), 1965

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3970/65]

(ख) राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), 1965

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3971/65]

(2) विनियोग लेखे (असैनिक), 1963-64 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3972/65]

भारत तथा चीन की सरकारों के बीच हुए पत्रों के आदान प्रदान के बारे में श्वेत-पत्र

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) श्वेत पत्र संख्या 11 जिसमें वे नोट, जापान तथा पत्र दिये हुए हैं जिनका जनवरी 1964 से फरवरी 1965 तक भारत तथा चीन की सरकारों के बीच आदान-प्रदान हुआ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3973/65]

- (2) भारत में चीन के दूतावास को दिये गये भारत सरकार के नोट, दिनांक 10 मार्च, 1965, [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3974/65]

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे आदि

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

- (1) (क) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1963—64 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक मह लेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3975/65]

- (2) बोकारों में एक लोहा और इस्पात के कारखाने के निर्माण में सहयोग के लिये और इस प्रयोजनार्थ ऋण देने के लिये भारत सरकार तथा सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सरकार के बीच हुए समझौते के मूल पाठ की एक प्रति । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3976/65]

तम्बाकू के बारे में प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :—

- (1) तम्बाकू सम्बन्धी तदर्थ समिति प्रतिवेदन ।
 (2) उक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकारी संकल्प संख्या 1/2/65-ई पी (एग्री) दिनांक 22 फरवरी, 1965 ।
 [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3977/65]

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : श्री त्रि० ना० सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

- (1) समवाय अधिनियम 1956 की धारा 619क की उप धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, बर्द्धवान, की वर्ष 1963—64 की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(2) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 3978/65]

कहवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना आदि

श्री सै० वें० रामस्वामी : महोदय मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :—

- (1) काँफ़ी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत, दिनांक 30 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 170 में प्रकाशित कहवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3979/65]

- (2) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 20 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 253 में प्रकाशित चाय (संशोधन) नियम, 1965 ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3980/65]

लोक लेखा-समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

तैंतीसवीं रिपोर्ट

श्री रा० रा० मुरारका (झंझनू) : मैं विनियोग लेखे (प्रतिरक्षा सेवायें), 1962-63 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें), 1964 के बारे में लोक-लेखा समिति की तैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, मैं यह बनाना चाहता हूँ कि 15 मार्च, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

- (1) मंत्री परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ।
- (2) आज के सरकारी कार्य-क्रम की किसी अवशिष्ट पद पर विचार ।
- (3) वर्ष 1965-66 के सामान्य बजट पर आम चर्चा ।

श्री मी० ह० मसानी (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आयव्ययक दस दिन पूर्व प्रस्तुत किया गया था और समूचे देश में दूसरे सदन में इस पर चर्चा की जा रही है । हमें अविश्वास प्रस्ताव के तुरन्त बाद आम चर्चा आरम्भ कर देनी चाहिये । मंत्री जी के प्रस्तावों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव तथा आम चर्चा के बीच एक ही मद है और वह है सशस्त्र सेना विधेयक को जारी रखना । उस विधेयक को आम चर्चा के बाद परन्तु अनुदानों की मांगों से पहले लिया जा सकता है । हम ब्रिटिश हाऊस ऑफ़ कॉमन्स की परम्पराओं के अनुसार चलते हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसे मूल मामलों को तीन चार सप्ताह तक स्थगित कर दिया जाये ।

श्री दाजी (इन्दौर) : यद्यपि इस सदन की शक्तियों के सम्बन्ध में किसी विवाद को खड़ा करने और दूसरे सदन के प्रति किसी अवमान का मेरा अभिप्राय या इरादा नहीं है तथापि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि केवल यही सदन अनुदानों की स्वीकृति दे सकता है इसलिए यह उचित है कि आयव्ययक पर आम चर्चा प्रति वर्ष इस सदन में आरम्भ हो। ऐसा बताया जाता है कि कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार का कोई समझौता हुआ है कि चर्चा प्रति वर्ष लोक-सभा में आरम्भ नहीं की जानी चाहिये। जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसे किसी करार के बारे में सभा को नहीं बताया गया है न ही ऐसे किसी समझौते से सभा बाध्य है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, श्री मसानी तथा श्री दाजी द्वारा रखे गये विचार का समर्थन करते हुये मैं आपका ध्यान 5 मार्च, 1963 की कार्यवाही की ओर दिलाना चाहता हूँ जबकि मैंने इस मामले को पहली बार उठाया था। तब श्री त्यागी ने इसका समर्थन किया था तथा और कई सदस्यों ने समर्थन किया था। यह एक संवैधानिक मामला है जिससे संसदीय प्रक्रिया निर्धारित होती है। अच्छी संसदीय परम्पराओं के अनुसार आयव्ययक पर विचार करने के लिए इस सदन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

सोमवार, 15 मार्च से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ होगी और इस में दो दिन लगेंगे। मेरा निवेदन है कि इन दोनों दिनों में सभा 6 बजे तक बैठे।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में विचार तभी किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस सम्बन्ध में श्री मसानी और श्री दाजी का समर्थन करता हूँ। मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि श्री केशव सिंह के मामले में दिये गये निर्णय पर भी इस सभा में विचार किया जायेगा यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को वित्तीय मामलों के बाद उठाया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I agree with what Shri Banerjee has said just now. The opinion of the Supreme Court must be discussed in this House. Time should also be allowed to discuss the rise in prices of kerosene oil notice of which has been given by me. The prices of Motor cars have been discussed in this House three or four times but no attention is being paid to kerosene oil which is consumed by millions. The hours of sittings of the House may be extended by one hour.

संचार तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्री मसानी ने दो सुझाव दिये हैं। मैं सरकार की ओर से उनके इस सुझाव को स्वीकार करता हूँ कि आय-व्ययक पर आम चर्चा अविश्वास प्रस्ताव के तुरन्त बाद ली जाये परन्तु पृथक-पृथक मंत्रालयों के लिए अनुदानों की मांगों से पूर्व विधेयक को लिया जायेगा।

दूसरा प्रश्न लगभग हर बार उठाया जाता है। 1952 में दोनों सदनों के बनने के वर्ष से ही आम चर्चा पहले राज्य-सभा में होती है। तब कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं उठाई गई थी। 1955 में उस समय के वित्त मंत्री श्री चि० द्वा० देशमुख ने इस सदन में आम चर्चा होने से पहले दूसरे सदन में कुछ रियायतों की घोषणा की थी तब डा० लंका सुन्दरम ने यह मामला इस सदन में उठाया था।

[श्री सत्य नारायण सिंह]

श्री देशमुख ने बिना सदन को सूचना दिये, अधिसूचना द्वारा कर कम करने के सरकार के अधिकार के सम्बन्ध में कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। श्री मावलंकर ने भी यह विनिर्णय दिया था कि सरकार किसी भी सदन के कहने पर अथवा अपने आप सरकार कर में कमी कर सकती है। श्री मावलंकर ने यह भी निर्णय लिया था कि यदि इस सदन में बजट पर अभी चर्चा नहीं हुई और दूसरे सदन में कुछ छूट दी गई है तो वह बिलकुल मान्य है।

पिछले वर्ष पहली बार इस सदन में सामान्य चर्चा पहले हुई थी। दूसरे सदन में इस पर विरोध प्रकट किया गया था। मैंने इस सदन में वचन दिया था कि मैं दोनों सदनों के सभी वर्गों के नेताओं की एक बैठक बुलाऊंगा और जो उनका निश्चय होगा, सरकार उसको कार्यान्वित करेगी। उस सम्बन्ध में एक बात कह दूँ कि जब भी कोई बैठक बुलाई जाती है और कोई निर्णय लिया जाता तो सदस्य उसको बाद में स्वीकार नहीं करते। इस बैठक में स्वतन्त्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, प्र० सो० पार्टी और अन्य निर्दलीय सदस्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया और मैंने कहा कि मैं सभा को इस निर्णय के सम्बन्ध में बता दूंगा। सभी ने एकमत से यह स्वीकार किया था। सामान्य चर्चा दूसरे सदन में होनी चाहिये और किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। इसके पश्चात् सभा का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को भेजा गया। सभी सदस्य इससे सहमत थे, केवल श्री द्विवेदी ने यह सुझाव दिया था कि उचित यही रहेगा यदि सामान्य चर्चा बारी बारी से हो, एक दफा राज्य सभा में और दूसरी दफा लोक सभा में। अब स्थिति यह है कि मैंने दोनों सदनों के सभी वर्गों के नेताओं का निर्णय आपके सामने रखा है; यदि आप इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो मुझे दोबारा बैठक बुलानी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : दोनों सदन सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है। दोनों में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिये। परन्तु यदि संविधान ने हमें कुछ विशेषाधिकार दिये हैं तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि यह किसी भी प्रकार कम न किये जायें। माननीय मंत्री ने कुछ विनिर्णयों में से उद्धरण दिये हैं कि सरकार को करों को कम या अधिक करने का अधिकार है। यदि दूसरे सदन में चर्चा होगी तो शायद माननीय मंत्री को उस कराधान के सम्बन्ध में यहां भी वक्तव्य देना पड़े। तब यह स्थिति बहुत विचित्र हो जायेगी क्योंकि केवल इसी सदन में करों को कम करने के सम्बन्ध में जोर दिया जा सकता है और छूट दी जा सकती है।

10 मई, 1962 को जब ऐसा प्रश्न उठा था तो मैंने कहा था :

“यदि माननीय मंत्री कुछ छूट देना चाहते हैं या जो वक्तव्य दिया था उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं या जो कर उन्होंने लगाये हैं उनमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि उनको इस सदन में किया जाय न कि उस सदन में।”

इसके पश्चात् श्री सत्य नारायण सिंह ने कहा :

“जहां तक आगामी वर्ष का सम्बन्ध, जैसा कि मैंने वचन दिया था, सरकार इस विषय पर विचार कर रही है और जो कुछ भी सम्भव हो ॥ किया जायेगा ॥”

शायद बैठक इसी सम्बन्ध में बुलाई गई थी। परन्तु इसके साथ साथ मैंने यह भी कहा था :

“मैंने संसद्-कार्य मंत्री द्वारा सरकार का ध्यान पहले ही इस ओर दिलाया है। मेरे विचार में इस सभा के विशेषाधिकारों को सरकार की सुविधा के हेतु कम नहीं किया जा सकता। सरकार को चाहिये कि बजट पर चर्चा पहले इस सदन में हो फिर दूसरे सदन में, क्योंकि इस पर चर्चा करना अथवा अनुदानों में हेरफेर करना या बिना हेरफेर के पास करना इस सदन का विशेषाधिकार है।”

यह उचित ही है कि इस सदन को संविधान के द्वारा जो विशेषाधिकार मिले हैं वह इसी सदन के पास रहने चाहियें।

विनियोग रेलवे विधेयक, 1965

APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 1965.

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1965-66 में रेलवे की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

“कि वित्तीय वर्ष 1965-66 में रेलवे की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री स० का० पाटिल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में

RE. POINT OF ORDER

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 351 के साथ पढ़े जाने वाले नियम 376 के उपनियम (2) के आधार पर मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मैं हिन्दी की कार्य सूची के बारे में कह रहा हूँ। मैं आपका ध्यान इस में प्रयोग की गई मिली जुली हिन्दी की ओर दिलाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत विस्तृत प्रश्न है और इसे व्यवस्था के प्रश्न द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप विषय पर विचार करें कि हम इस प्रकार की हिन्दी का प्रयोग करें कि नहीं। उदाहरण के तौर पर "Table" के स्थान पर 'टेबल' का प्रयोग किया गया है और अंग्रेजी के "His Highness" "हिज हाईनेस" को हिन्दी में इसी प्रकार रखा गया है। क्या इनका अनुवाद नहीं हो सकता? फिर शब्द "Pass" के स्थान पर "पास" लिखा जा रहा है और "Coffee" के स्थान पर 'कहवा' लिखा जा रहा है।

मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 351 की ओर दिलाना चाहता हूँ जो इस विषय से बहुत संगत है।

हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मियता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्थानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात करते हुये तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिये मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उस की समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।"

इसमें अंग्रेजी का कहीं जिक्र नहीं है। अतः या तो संविधान में संशोधन करके अंग्रेजी को आठवीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाय, या फिर कार्यक्रम की सूची में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग न किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा प्रश्न नहीं जिसको व्यवस्था के प्रश्न द्वारा मुलझाया जा सके। क्योंकि अब मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि सरल हिन्दी का प्रयोग किया जाय।

चीन समर्थक साम्यवादियों की राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों पर

गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: HOME MINISTER'S STATEMENT ON ANTI-NATIONAL ACTIVITIES OF PRO-PEKING COMMUNISTS—Contd.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : सरकार को कुछ विशेष कार्यवाहियों के कारण दूसरी ओर के सदस्यों को मुझसे घृणा हो गई है। कल उन्होंने मेरे लिए कुछ चुने हुये शब्दों का प्रयोग किया। मैं समझ सकता हूँ कि उनका मन बहुत उद्विग्न होगा। परन्तु मैं उनको आश्वासन दे सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की स्वाधीनता छीन कर मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती। यदि यह किया जाता है तो देश के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिये किया जाता है।

मुझसे यह पूछा गया कि मैं वामपंथी और दक्षिणपंथी कम्युनिस्टों में किस प्रकार अन्तर करता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि राजनैतिक दृष्टिकोण और विचार परिवर्तनशील है।

जिस प्रकार रूस में कुछ अच्छे परिवर्तन हुए हैं उसी प्रकार यहां भी हो सकते हैं। जहां तक दक्षिण-पंथी कम्युनिस्टों का सम्बन्ध उनका रचनात्मक दृष्टिकोण है। और जहां तक वामपंथी कम्युनिस्टों का सम्बन्ध है उनको अपने आदर्शों तथा विचारों पर बड़ा दृढ़ विश्वास है। जब तक उनके उद्देश्य वांछनीय हैं, तब तक हम उनका स्वागत करते हैं, परन्तु जब वह राष्ट्र के हितों के विरुद्ध हैं तो हम उनका स्वागत नहीं कर सकते। दक्षिण-पंथी कम्युनिस्ट शायद किसी दबाव के कारण अपने को उस तरह से व्यक्त नहीं कर सकते जिस तरह से करना चाहिये। परन्तु मुझे आशा है कि शीघ्र ही एक ऐसी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनेगी जो संसदीय संस्थाओं का समर्थन करेगी और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी नीतियों का पालन करेगी। वामपंथी और दक्षिणपंथी के अतिरिक्त ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनमें दोनों का मिश्रण है, जैसे श्री नम्बूद्रीपाद। अब हमने कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध इसलिये कार्यवाही की थी क्योंकि हम संतुष्ट थे कि उनके चीन-समर्थन विचार थे और वह देश के हितों के विरुद्ध जा सकते थे। परन्तु श्री नम्बूद्रीपाद ने खुले आम यह घोषणा की थी कि इस मामले में वह वामपंथी कम्युनिस्टों के साथ नहीं हैं। अर्थात् वह चीन को आक्रमणकर्ता समझते हैं। अतः हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया। परन्तु उनके विचारों में भी परिवर्तन आने लगा है। हाल ही में उन्होंने कहा कि जेलों को तोड़ने के लिए वह बहुत बड़ी संख्या में आन्दोलन कर रहे हैं। परन्तु इस प्रकार के आन्दोलन को सहन नहीं किया जायेगा क्योंकि यह न केवल सरकार बल्कि राष्ट्र के लिये चुनौती है। जब इन सज्जन से किसी ने पूछा कि साम्यवादियों की गिरफ्तारियों से देश की स्थिति पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो चीन ने कोई आक्रमण नहीं किया था परन्तु अब इस स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। फिर श्री नम्बूद्रीपाद ने कहा कि यदि चीन ने ऐसा किया तो इसका सारा उत्तरदायित्व श्री नन्दा पर होगा। हो सकता है हमें एक अधिक शक्तिशाली राष्ट्र का सामना करना पड़े परन्तु अपने देश की स्वाधीनता तथा अखण्डता की रक्षा के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। जो बलिदान की भावना चीनी आक्रमण के समय पैदा हो गई थी, मुझे आशा है कि वही भावना फिर पैदा हो जायेगी और राष्ट्र और सुदृढ़ हो जायेगा। बच्चों को केरल राज्य में इकट्ठा किया गया था और वह चिल्ला रहे थे कि यदि आपने वामपंथी कम्युनिस्टों को बोट नहीं देंगे तो हम चीन को बुला लेंगे।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) : क्या कांग्रेस दल की हार का कारण बताने का यही तरीका है ?

Mr. Speaker : I would request the Members not to interrupt the speech so often.

श्री नन्दा : मैं यह पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि वहां जो निर्णय लिया गया था उसका चुनावों से कोई सम्बन्ध नहीं था। हमें केरल में जो स्थिति उत्पन्न होगी उसका पता था और यह भी पता था कि इसका गलत अर्थ निकाला जायेगा ; और यह भी पता था कि उससे दूसरे दल को कोई अस्थायी लाभ मिले। परन्तु हमने सोचा कि निर्वाचकों में हार की अपेक्षा देश की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु हमें यह मूल्य चुकाना पड़ा क्योंकि हम एक दिन के लिये भी इस निर्णय को स्थगित नहीं कर सकते थे।

[श्री नन्दा]

माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखें कि देश की सुरक्षा का सम्बन्ध किसी एक राज्य से नहीं अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र से होता है। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति किसी विशेष दल से कुछ समय के लिए अपना नाता जोड़ लेते हैं क्योंकि वह उनके विचारों में रंग गये हैं। अतः उनको इस दल से पृथक करने में कुछ समय लगता है। परन्तु हमें सारे देश के हित को देखना है और उस हित को देखते हुए हमने यह किया है। हमें कहा गया है कि हमने संविधान के प्रति कपट किया है। यदि निर्वाचनों के फलस्वरूप मंत्रिमंडल नहीं बनता तो वह निष्फल हो जाते हैं।

जिन लोगों ने नज़रबन्द किये हुए लोगों को निर्वाचनों के लिये खड़ा किया था, उनकी यह आशा गलत थी कि उनको छोड़ दिया जायेगा क्योंकि उनको और प्रयोजन के लिए नज़रबन्द किया गया था। अब यदि वह अपने को उस स्थिति में पाते हैं तो यह उनकी अपनी बनाई हुई है। उन्होंने यह वोट किस प्रकार प्राप्त किये? उन नज़रबन्दियों के बच्चों को मतदाताओं के पास भेजा गया कि वह उनसे कहें "यदि आप हमें मत देंगे तो हम अपने पिताओं को छोड़ा सकेंगे।" ऐसे बड़े इशतहार भी छापे गये जिसमें नज़रबन्दी सीकियों के पीछे से हाथ जोड़ कर वोटों के लिए याचना कर रहे हैं। इससे उनको लोगों की स्वभाविक सहानुभूति प्राप्त हो गई। उनका यह दावा कि यह जीत उनके किसी आदर्श के लिए है, बिल्कुल गलत है। वामपंथी, दक्षिणपंथी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने कुल मिलाकर 19.5 लाख वोट प्राप्त किये जो कि 29 प्रतिशत हैं जब कि पिछली बार उन्होंने 44 से 45 प्रतिशत वोट प्राप्त किये थे। उन्होंने प्रत्येक जिले में पहले से कम वोट प्राप्त किये हैं। कोई भी ऐसा जिला नहीं है। जहां उन्होंने पहले से अधिक वोट प्राप्त किये हों। मुझे कहा गया है कि प्रश्न सीटों का है। परन्तु जब एक पार्टी अकेली सब पार्टियों के विरुद्ध लड़ रही हो तो परिणाम भिन्न ही निकलेगा। कांग्रेस पार्टी को उस परिस्थिति में चुनाव लड़ना पड़ा था जब खाद्य आन्दोलन चल रहा था। इसके साथ साथ कम्युनिस्टों को केरल में संसाधनों की भी कमी नहीं थी।

सबसे मुख्य प्रश्न यह है कि हमने उनको गिरफ्तार क्यों किया? पर इससे पहले मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हमने निवार निरोधक का कानून क्यों पास किया, और क्यों नहीं हमने आपराधिक कानून के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही की? इसका उत्तर भारत की साम्यवादी पार्टी के सदस्य जो यहां बैठे हैं दे सकते हैं। वे पहले वामपंथी कम्युनिस्टों के साथ काम कर रहे थे इसलिये वह इनकी कार्यवाहियों से पूरी तरह से परिचित होंगे। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। कोई भी व्यक्ति अपने पुराने साथियों का साथ इतना शीघ्र नहीं छोड़ देता। यह कोई बहुत ही गंभीर विषय होगा जिसके कारण उनको अलग होना पड़ा। यह किसी आदर्श के कारण नहीं अपितु कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारणों की वजह से हुआ। पार्टी में इस फूट को रोकने के कई प्रयास भी किये गये थे।

नवम्बर, 1962 में भारत की साम्यवादी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् ने एक संकल्प में चीन को आक्रमणकर्ता कहा था। उन्होंने चीनी आक्रमण के विरुद्ध समर्थन देने का आश्वासन दिया। वामपंथियों ने इसका विरोध किया। चीनी आक्रमण के दौरान वह देशद्रोही रह गये और उन्होंने चीन का साथ दिया था।

साम्यवादियों ने यह प्रयत्न किया कि नेफा में अन्दर से गड़बड़ करके चीन की सहायता की जाय और नेहरू सरकार के लिए कठिनाई पैदा की जाय। वामपक्षी साम्यवादी इसे स्पष्ट तौर पर करने को तैयार थे। वे खुले तौर पर चीन के आदेश पर चलते रहें। उनका प्रयास था कि नेफा में चीनी सेनाओं के आगे बढ़ने के लिए क्षेत्र तैयार किया जाय। भारत के साम्यवादी दल में फूट हो गई और वामपक्षी उन से अलग हो गये। इस फूट के बीज भारत में नहीं थे, चीन में से ही आये थे। सब कुछ चीन के आदेश पर हुआ था। चीन का आदेश था कि एक ऐसा दल बनाया जाय जो कि वास्तव में साम्यवादी दल हो और वे एक ऐसा कार्यक्रम चलाये जिससे चीनी इरादे पूरे किये जा सकें। उनको यह आदेश था कि जहाँ तक संभव हो गृह रूप से भूमिगत उपकरण लगाये जाय और इसकी जानकारी दक्षिणपंथियों को न होने पाये। उनका ख्याल यह था कि जनता को सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार किया जाय। उन में फूट पड़ गई, वे अलग अलग हो गये और सरकार को देश हित में मैदान में आना पड़ा।

वामपक्षियों की कार्यवाही तो स्पष्ट ही हैं। वे तो घोषणा करते रहे हैं कि वास्तव में उनका उद्देश्य क्या है। पिछले कुछ महीनों में जो प्रचार वामपक्षी करते रहे हैं वह चीनी नेताओं के वक्तव्यों पर आधारित था। उनके द्वारा बड़े पैमाने पर बांटे गये प्रचार साहित्य का मुख्य आधार चीनी दस्तावेजों पर था। कितने आश्चर्य की बात है कि वे ऐसे नाजुक समय में चीनी, दबाव में क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष के महत्व पर जोर दे रहे थे, जब कि सरकार और सारा देश, देश की प्रतिरक्षा के लिए चिन्तित हो रहा था। इन लोगों ने कुछ चीनी दस्तावेजों को गुप्त रूप से छपवा कर भी बांटा। अपने राष्ट्र विरोधी विचारों का प्रचार करने के लिए पत्र, पत्रिकाएँ निकाल कर प्रचार किया। उनकी विचार धारा का आधार यह है कि बलपूर्ण साधनों से साम्यवाद की स्थापना कर दी जाय और इसके लिए चीन की सहायता ली जाय। उनका विचार है कि इसके बिना देश में साम्यवाद नहीं लाया जा सकता। चीन के समर्थकों को रूस का शांति पूर्ण तरीका पसन्द नहीं था। यह भी कितने आश्चर्य की बात है कि तेनाली तथा दूसरे स्थानों पर उन्होंने माऊ-से-तुंग के चित्र लगाये। उन्होंने अपने संविधान में परिवर्तन करके यह लिखा कि उनका शांति पूर्ण तरीकों पर कोई विश्वास नहीं है।

इसके अतिरिक्त गत वर्ष के अन्त में उन्हें एक महत्वपूर्ण संस्था द्वारा कुछ निदेश प्राप्त हुए। उसमें यह लिखा था कि भारत में साम्यवादी देश की सहायता के बिना कोई आन्दोलन सफल नहीं हो सकता। इसमें कहा गया कि तिलेगना का आन्दोलन असफल हो गया, इसका कारण यही था कि भारत की सीमा पर कोई साम्यवादी देश नहीं था, जो कि भारतीय साम्यवादियों के सशस्त्र विद्रोह अथवा छिप कर हाने वाली लड़ाई का मार्ग दर्शन करता। अब स्थिति बदल गयी है। अब चीनी गणतंत्र भारतीय सीमा पर आ गया है, अब ही समय है कि तिलेगना जैसा युद्ध कार्य संगठित किया जाय। हाल ही में फिर इसी प्रकार की गुप्त हिदायतें भेजी गई थीं ताकि वे किसी भी समय स्थिति के मुकाबले के लिए तैयार रहे।

बैंक आफ चाइना की ओर आता हूँ। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने पूछा है कि किस प्रकार भारतीय करेंसी वहाँ से प्राप्त की जाती है। मेरा निवेदन यह है कि यह बैंक चीन के साथ गठजोड़ करके कार्य करने वालों को सहायता तथा कुछ अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध करने

[श्री नन्दा]

के लिए काम में लाया जाता रहा है। यह बैंक भारतीय साम्यवादी दल की वित्तीय सहायता साम्यवादी नेताओं को ऋण तथा दूसरी सुविधायें बिना किसी जमानत के दे देता रहा है। जो राशि एक बार दे दी जाती थी वह पुनः वापिस नहीं मांगी जाती थी। इस प्रकार इस बैंक ने एक गड़बड़ करने वाली एजेंसी को गड़बड़ करने में सहायता दी जिसे कि पीकिंग ने मीठे हितायतें प्राप्त होती थी।

श्री रंगा : दक्षिण पंथियों ने भी इससे लाभ उठाया।

श्री हरिविष्णु कामत : उन विदेशी दूतावासों का नाम भी बताया जाय जो कि चीन को उकसाते रहे। माननीय मंत्री इंडोनेशिया का नाम लेते हुए क्यों मकोच कर रहे हैं।

श्री हेडा : इन लोगों ने कितनी राशियां ली यह भी बताया जाय।

Shri Bade : The Honourable Minister should put forward the figures. It would be better the Report of Bank of China be published, so that the whole picture may come before the people.

Shri Parkash Vir Shastri : I hope that the Minister will clear this matter whether in the General elections of 1957 and 1962 huge amounts were drawn from this bank without anybody's signature. After all what is the hindrance in publishing the Bank of China's report ?

Dr. Ram Manohar Lohia : It is very necessary that the Bank of China's report be published. We must give a serious thought to this problem as this foreign money is polluting our national politic. This matter should be discussed in the House.

श्री हेम बरुआ : 'बैंक आफ चाइना' के बन्द होने से दो दूतावासों के द्वारा रुपया आता रहा है। इन दो दूतावासों के राजदूतों को इस देश से चले जाने को भी कहा गया। अब हम इन दो दूतावासों की गतिविधियों पर भी हमारे गृह कार्य मंत्री को प्रकाश डालना चाहिए।

श्री नन्दा : हम अपने दायित्वों के अनुरूप ही जानकारी दे सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जो भी सहायता इन लोगों को मिल रही थी उसे लेकर कलकत्ता सम्मेलन के बाद इन्होंने सभी तरह की हिंसात्मक कार्यवाहियां आरम्भ कर दी। इन में गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षण के लिए दल ने अपने विभागों का निर्माण किया। प्रत्येक जिले में विधिक रूप से पनागाहों सन्देशवाहकों तथा गुप्त स्थानों की व्यवस्था की गयी। नेपाली सम्मेलन के बाद यह उनकी एक और घृणित गतिविधि थी और हम एक भी दिन के लिए डोल नहीं कर सकते थे। हमें तुरन्त कार्यवाही करनी ही थी। हमने कार्यवाही की।

हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिसे आप असंवैधानिक कह सकें। राष्ट्र देश की प्रतिरक्षा में लगा हुआ है। देश में आपातकालीन स्थिति है तथा भारत प्रतिरक्षा अधिनियम संविधान के अन्तर्गत पूर्णतः अनुमोदित है। यदि किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य होता तो न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती थी। परन्तु यह प्रश्न तो एक व्यापक दल का है। हम बड़ी शक्ति के बारे में उस ढंग से कार्य नहीं कर सकते। हमें इस समस्या को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मुझे आशा है, कि इस देश में जो भी कार्यवाही हम करेंगे सदन उसका समर्थन करेगा।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : इस विवाद से देश पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि साम्यवादी दल के साथ दृढ़ता से पेश आना चाहिए। जहां तक गृह-कार्य मंत्री का सम्बन्ध है, मेरा मत यह है कि उन्होंने साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगाने के मुख्य मामले को टाल दिया है। यह बात काफी निराशाजनक है और उससे कोई विश्वास की स्थिति का निर्माण नहीं होता।

इस बात में सभी एक मत हैं कि साम्यवादी दल से कड़ा व्यवहार होगा। परन्तु हमारी यह भी मांग है कि साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। हम यह भी नहीं चाहते कि उन्हें जेलों में रखा जाय। उन पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

“कि यह सभा पेकिंग समर्थक साम्यवादियों की राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों और तोड़ फोड़ तथा हिंसात्मक कार्यवाही के लिए उनकी तैयारियों के बारे में गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य पर जो 18 फरवरी, 1965 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1964-65

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1964-65

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे आयव्ययक 1964-65 के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair)

वर्ष 1964-65 के लिए रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	2,00,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन	2,03,70,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	7,63,90,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	6,96,19,000
7	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन)	31,81,000
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़ कर)	42,78,000
10	संचालन व्यय—कर्मचारी हित	1,32,57,000
12	सामान्य राजस्व को भुगतान	1,28,99,000
15	चालू लाइन निर्माण—विस्तार और प्रतिस्थापन	5,05,26,000

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : There are nine demands. Demands are of 25 crores and 16 lakhs. There is nothing controversial about them. Seven demands are in respect of working expenses and one in respect of works. I am confident the House will accept these demands.

Shri Bade (Khargone): It has been stated in the Audit Report of 1965 on page 5 that grants are surrendered in the same month in which these are made. I have been watching that this mistake is being committed every year. These Supplementary demands are surrendered in the same month, as they prove to be excessive. I may urge upon the Government that this aspect should be looked into.

I will like to submit that the money earmarked for amenities must be spent in full. Nothing should be tried to save. We are sanctioning amount for the security force, but I am of the opinion that more funds for the security force can be justified only when they can save the passengers from unscrupulous people.

I may also state that as far as the question of uniform is concerned, it should be supplied to the employees but that should fit them. Question of catering is also an important one. Adequate attention should be paid to this question.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मेरा सुझाव है कि रेलवे प्रशासन को रेलवे सुविधा का इस प्रकार विस्तार करना चाहिये कि हर एक जिले के बड़े नगर में रेलगाड़ी उपलब्ध हो। पश्चिमी बंगाल में बहुत से ऐसे जिले हैं कि जिन में गाड़िया नहीं जाती हैं। ऐसी स्थिति बिहार में भी बतायी जाती है इस ओर आवश्यक ध्यान दिया जाये। मैंने देखा है कि बहुत सी छोटी लाइन की रेलगाड़ियों में भीड़ बहुत अधिक होती है। इन लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में कार्यवाही की जानी चाहिये। गाड़ियों में सफाई की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रेलवे के कर्मचारियों को कभी कभी व्यर्थ में नियमों का कठोरता से लागू कर के तंग किया जाता है। यह उचित नहीं है।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मैं इन अनुपूरक मांगों के पास करने के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा सुझाव है कि रेलवे कर्मचारियों को और अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें। उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिये। रेलवे प्रशासन ने बहुत थोड़े विद्यालय खोले हैं। परन्तु मेरे विचार में शिक्षा पर अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये। ऐसा देखा गया है कि चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिए नियत धन मितव्ययता के नाम पर वापिस ले लिया जाता है और बेचारे कर्मचारियों की मुश्किलों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। मेरी जानकारी में यह आया है कि दवाइयाँ देते समय कर्मचारियों में भेदभाव बरता जाता है। उनके आफिस के पद के अनुसार दवाई दी जाती है। इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

स्टेशन मास्टर्स के कुछ पदों का स्तर ऊंचा किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूँ कि पदोन्नति के समय पक्षपात नहीं होना चाहिये। आर० ए० आर० एस० नियमों में उचित परिवर्तन किये जायें क्योंकि यह नियम अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं।

Shri K. N. Pandey (Hata) : Sir, I would like to emphasise that Railway administration should pay special attention to the areas where new industries are coming up. In Mirzapur District of U.P. many new industrial estates are being set up, but there the railway facilities are very inadequate. I see that

workers, who have put in many years' service, are not appointed on regular basis. The hon. Minister should look into this matter.

Railway administration should provide necessary facilities to the workers who are engaged on the work of laying new lines. They are doing their work in areas including jungles. It is the duty of Government to make available for them drinking water and shelter. Rates of wages of casual labour are different in different areas. This disparity should be removed.

Many hon. members have referred to departmental catering. It is good if some sort of competition between departmental and private catering is introduced. It will have good results. I am afraid lest railway catering should prove a failure in competition. A committee should be appointed to consider this matter.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : My complaint is that on some lines they have introduced additional trains while on others there is very inadequate number of trains. As an instance I will say that on Delhi-Saharanpur-Dehra Dun line there are already five trains and the sixth is Mussoorie Express, whereas on Bijnor-Mozampur Narain line there is no direct train for Dehra Dun Mussoorie Express used to run on this line previously, but it has been diverted *via* Saharanpur. I request Mussoorie Express should be reverted to Bijnor line.

Hindi has become official language from 26th January, 1965, but I am surprised that some Booking Offices are not accepting parcels which bear addresses written in Hindi. It has happened in New Delhi and Kanpur. They say that Railway Board has issued a circular to this effect. I would request Dr. Ram Subhag Singh to look into this matter. I support these demands.

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : Sir, I have to say that the plight of train attendants is very miserable. They are not provided with any facilities, which running staff is supposed to have. I would like the hon. Minister to say something in this regard.

Shri Sheo Narain (Bansi) : Tripura is not linked by rail with the rest of the country. It has a very strategic position. Keeping this fact in view Tripura should be linked by a railway line. The Railway Protection Force is doing very important work. Its work should be given due recognition.

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : Shri Bade has referred to the defects which have been pointed out in the Audit Report. I would say that though these are minor things, we will try to rectify them. I am glad that the work of Railway Protection Force has been praised by Members. With regard to reservation difficulties at Bombay, we will see and try to improve it. The question of linking Tripura by a line with the rest of the country will be taken up. Similarly Manipur and NEFA will also be considered.

Shri Prakash Vir Shastri has said about the use of Hindi. I agree that administrative work should be done keeping in view the convenience of general public and not of a few officers. Language policy is decided by the Parliament. It must be followed by all and if there has been any departure from it, it is bad and I will look into the matter. Shrimati Renu Chakravartty has demanded

[Dr. Ram Subhag Singh]

that all district headquarters be linked by railways. It is good idea. We have not been able to link the capitals of all States, though efforts are being made. Imphal, Agartala, Kohima and Srinagar are still unconnected. We will pay due attention to the question of sanitation and cleanliness. I will enquire about the facilities provided to attendants in trains.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे मंत्रालय की अनुरक्त अनुदानों को निम्नलिखित मांगों मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

The following Demands for Supplementary Grants in respect of Ministry of Railways were put and adopted: —

मांग संख्या	शोर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	2,00,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन	2,03,70,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	7,63,90,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	6,96,19,000
7	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन)	31,81,000
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़ कर)	42,78,000
10	संचालन व्यय—कर्मचारी हित	1,32,57,000
12	सामान्य राजस्व को भुगतान	1,28,99,000
15	चालू लाइननिर्माण—विस्तार और प्रतिस्थापन	5,05,26,000

सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक

ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) CONTINUANCE BILL.

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) विनियम, 1958 को कुछ अवधि के लिये जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।”

इस विधेयक का उद्देश्य सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) विनियम, 1958 को जारी रखने का है। इन को राष्ट्रपति ने 1958 में लागू किया था। इन के द्वारा सेना अधिकारियों को नागालैंड के असैनिक अधिकारियों को प्रभावी रूप से सहायता देने के समर्थ बनाना है। आरम्भ में यह विनियम एक वर्ष के लिये जारी किये गये थे परन्तु फिर प्रतिवर्ष इन की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ायी जाती रही। 1963 में जब नागालैंड राज्य की स्थापना हो गई तो इन विनियमों के आशय का संसद् में अधिनियम पास कर दिया गया जो कि एक वर्ष के लिये था। उस की अवधि आगामी 4 अप्रैल को समाप्त हो रही है। इन विनियमों को एक वर्ष के लिये और जारी रखना आवश्यक है।

मैं आश्वासन देता हूँ कि हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं कि सेना को अनावश्यक शक्तियाँ दी जायें। मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष यहोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री दाजो (इंदौर) : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस विधेयक को सिद्धांत रूप से पहले ही मान्यता दे दी गई है और अब इस के समय को बढ़ाना है। प्रश्न यह नहीं कि सरकार शक्तियत्न ले रही है प्रश्न है कि क्या उस प्रयोजन की पूर्ति हो रही है कि जिसके लिये यह विनियम बनाये गये थे। वहाँ पर स्थिति अभी ठीक नहीं हुई। आज भी समाचार है कि बहुत से विद्रोही नागा पाकिस्तान में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर के वापिस आ रहे हैं। हम उनको नियंत्रण में लाने में सफल नहीं हो रहे। हम समझ नहीं सकते कि हमारी सेना वहाँ क्या कर रही है। नागा लोग पाकिस्तान चले जाते हैं और जब चाहें वापिस आ जाते हैं। माननीय मंत्री से आज भी पूछा गया था परन्तु उन्होंने प्रश्न को टाल दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
अट्ठानवां प्रतिवेदन

श्री मुखिया (तिरुनेलवेली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

“कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अट्ठानवें प्रतिवेदन से, जो 10 मार्च, 1965 को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है।”

कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों, तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अट्ठानवें प्रतिवेदन से जो 10 मार्च 1965 को सभा में उपस्थापित किया था, सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुसूचित जातियों के उत्थान के बारे में संकल्प—जारी
RESOLUTION RE: UPLIFT OF SCHEDULED CASTES—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बाल्मीकी द्वारा 26 फरवरी, 1965 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा की जायगी :

“इस सभा की यह राय है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के कार्य में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है, और इसलिये यह सभा भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का मूल्यांकन करने और अनुसूचित जातियों के कल्याण, विशेषकर सरकारी नौकरियों में उनके लिये पदोन्नतियाँ तथा स्थान रक्षित करने, भूमि दिये जाने, आदि

[उपाध्यक्ष महोदय]

सम्बन्धी उपायों का सुझाव देने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करे।”

Shri Balmiki (Khurja) : Sir, while moving the resolution on 26th February, 1965 I had said that the condition of Harijans is deplorable. There has been some improvement but the overall picture is the same. There is no remarkable progress in social, educational and economic spheres. I have toured all the States during these years and I have gone to the rural areas. I have found that untouchability has not disappeared. The handicaps which were on the path of Harijans in the past are still there.

So far as the Prevention of Untouchability Act, 1955 is concerned, it has become a dead letter. This Act has not been enforced effectively. The Harijans are subjected to so many difficulties. The social and economic disparities are there for them. They cannot prosper in these circumstances. Sometimes Central Government asks the State Governments to take some action for the uplift of Harijans but the State Governments do not pay proper attention. I have copies of the reports of Malkani Committee and Renuka Ray Committee. Their recommendations have been sent to State Governments. Shri Jawaharlal Nehru had addressed the Chief Ministers also, but there seems to be no effect on State Governments.

In the circumstances the appointment of a Commission is very essential. I have a report which indicates the amount which has been spent on backward classes so far. It shows that a considerable amount is not spent. Government should see to all this.

We are not allowed to enter temples. We are denied social justice. The rights guaranteed in our Constitution are not given to us.

Government has not taken any action for raising the standard of living of Harijans. The third plan is going to be completed and the fourth plan is on the anvil, but so far as the scheduled castes people are concerned, there is no progress. Proper attention should be paid in this regard. So far as recruitment in the services is concerned, nowhere full quota of reserved posts has been given to these people. Government has not made any efforts to do the needful. There is a great number of qualified people among scheduled castes, but they do not get employment. It is said that untouchability has been abolished but in reality it is being practised by educated people also.

I move my resolution.

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प की मूल भावना से सहमत हूँ। यह खेद की बात है कि स्वतंत्रता के 18 वर्ष पश्चात् अनुसूचित जातियों की दशा में कोई अधिक सुधार नहीं हुआ है।

उनकी मुख्य समस्या सामाजिक तथा आर्थिक नियोग्यता है। नगरों में वे मेहतरों और चमारों का काम तथा कारखानों में सब से छोटे कान पर लगे हुये हैं या ऐसे कामों में लगे हुए हैं जिन्हें सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही विचारों से पिछड़ा हुआ समझा

जाता है। ग्रामों में उनमें से अधिकांश भूमिहीन श्रमिक हैं। इसलिए उन लोगों तथा ऊंचकों के लोगों में असमानता दूर नहीं की जा सकी है। यह भारत पर धब्बा है।

बम्बई तथा कलकत्ता जैसे नगरों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए अलग बस्तियां हैं। औद्योगीकरण के विकास के कारण यह भेदभाव समाप्त होते जा रहे हैं। फिर भी कारखानों में अनुसूचित जातियों के लोग अशिक्षित तथा अकुशल कर्मचारी हैं। उन के वेतन में वृद्धि किये जाने के बारे में विचार किया जाना चाहिये।

ग्रामों में कृषक आन्दोलन का उद्देश्य भूमिहीन कृषकों में फालतू भूमि का वितरण करना है। परन्तु भूमि सुधार पूरे दिल से नहीं किया जा रहा है।

यद्यपि आयोग का नियुक्त किया जाना जरूरी है इस स बन्धी स्पष्ट निर्देश होना चाहिये कि आयोग क्या करे, अपना काम कैसे करे और प्रतिवेदन मिलने के बाद सरकार क्या करे।

कारखानों में अनुसूचित जातियों के अकुशल श्रमिकों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये। सरकार को इन लोगों के नगरों में आवास सम्बन्धी उपाय करने चाहिये। उन के लिए एकान दूसरे लोगों से अलग नहीं होने चाहिये।

Shri Gulshan (Bhatinda) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support Shri Balmiki's Resolution moved by him in this House. It is announced from every platform that much has been done and is being done for Scheduled caste people and there is no evidence of untouchability, unemployment and poverty becoming less even 17 years after the adoption of our Constitution.

Shri Balmiki has suggested the setting up of a high-powered commission to go into the conditions of Harijans and I think he means such a commission to go into the political, social and economic condition of these people and this commission, in my opinion should consist of only Scheduled Castes members. I would also suggest that those people who are politically and educationally advanced should be treated as backward people rather than Scheduled Castes people because this will facilitate solving the problems of the rest of the people who really need Government's help in the matter.

Regarding employment opportunities, like the P&T Department where most of the vacancies reserved for Scheduled Castes/Tribes people could not be filled up except class IV posts where more people were absorbed than the number reserved for them.

That is why we want a high powered commission to be set up to go into the extent of work that has been and that is required to be done for Scheduled Castes people having only Scheduled Castes members.

Shri Balkrishna Wasnik (Gondia) : Mr. Deputy Speaker, I am grateful to Shri Balmiki for bringing forward this resolution. I am sure the attraction of the Government but also of the country will be focussed on it.

This indicates that people who are engaged in the upliftment of these backward people pay only lip service to this cause.

There is a commissioner for scheduled castes, scheduled tribes and other Backward classes who presents an annual report about the progress of these classes and makes recommendations about this work. He has made about 2500 recommendations to the government on this problem but it appears that government has not implemented any of these recommendations. If that is the case the existence of his office is useless. It would be better if the amount spent on his office is otherwise utilised for the cause of backward classes. A demand has been made for the creation of a commission which I think is undesirable in view of the treatment given to the already created commission.

There is a necessity for removal of mentality which exists in the society about such problems. Unless and until feeling of untouchability is removed from the minds of the people, this problem will not be solved.

During the debate on the Railway budget the question regarding recruitment and promotion of scheduled caste candidates was mentioned. It is observed that when a minister is transferred from a ministry the policy regarding these matters also undergoes a change as happened in the case of Railway Ministry. This can be understood if there is change of government but it should not be like that when only ministers change their portfolios.

The establishment of commission suggested by Shri Balmiki will be of no use unless government really want to do something in this direction.

Shri Mohan Nayak (Bhanjanagar) : Mr. Deputy-Speaker, I support the resolution of Shri Balmiki. It appears that the state governments are not willing to implement the suggestions regarding upliftment of backward classes. Although the period of third 5 year Plan is about to end but the money allocated for the First 5 Year Plan for this work has not been utilised. I feel that there is not the same feeling now for this work as it was before India achieved independence.

Some of our Harijan friends have become members of Parliament and of State legislatures and they also fail to bring home to the Government the real difficulties of the Harijans because they think if they do so, the party may not give them ticket for next election.

I find that the sweepers are discriminated even by the other Scheduled caste communities. This should not be so. Even the money given for ameliorating the conditions of Harijans is not spent on that work.

The municipality of Berhampur in Orissa got constructed a colony for sweepers there but the latter refused to occupy that as the houses were small. Now the government is earning rent out of those quarters and that money is not being utilised for the betterment of Harijans.

In Orissa government have decided to take away government waste-land which has not been indicated in the "patta". This will have adverse effect on those Harijans who are settled on them for the last 30 years or so after clearing the same. If government went ahead with it, there would be revolution against the government.

Some sweepers are being forced to work as sweepers or else they are made to leave the village.

Shri Ganapati Ram (Machhlisahr) : Mr. Deputy Speaker, we belong to that strata of society which has been serving the nation for centuries but has not got the treatment which should be given to human beings. This is not a problem of Harijans alone. It is a national problem.

I recollect the day when the President of India paid a visit to Kashi and he bowed before those "Pandas" who did not permit the Harijans to enter the temples. I want to know whether they are presenting a good example. I want to know whether after 17 years of independence there is even a single village in India which is not afflicted with untouchability. Even in schools and colleges this discrimination is being practised. In school, college and university hostels the Harijan students have been now to clean their own utensils. Even the I.A.S. Coaching Institute, Allahabad is not free from this disease.

You have appointed a Commissioner to report about the conditions of Scheduled Castes and Scheduled Tribes but he has never invited members of Parliament or State legislatures who belong to Scheduled caste etc. to know their views on the subject. What is the use of such commission ?

The economic condition of Harijans is far from desirable. In the consolidation of holdings they have not been treated properly. Same is the case with regard to distribution of land obtained by Acharya Vinoba Bhave in "Bhoodan".

In industry too their fate is poor. I want to know the number of permits given to them for industry or transport. The grants allocated under the Three Five Year Plans have not been spent fully for the upliftment of Harijans.

I support the demand for appointment of a Commission as suggested in the resolution.

[श्री सोनावनें पीठासीत हुए
[SHRI SONAVANE *in the Chair.*]

Shri Hukam Chand Kachhavaia (Dewas) : I support the resolution put forward by Shri Balmiki.

The Harijans are not taken into services in the ratio in which they should be taken. The plea advanced for not doing so is that adequately qualified candidates in those communities are not available. How can you get qualified candidates in the Harijans when the facilities for educating them are not available to the extent to which they should be given?

There should be hostels in educational institutions where all students irrespective of community should be given equal treatment. There should be no discrimination between man and man.

The Harijans and Adivasis should be allotted lands and a large number of them remain unemployed. Recently there was an agitation started by Republican Party for this work.

Industrial works should be opened in villages where Harijans should be given work and training in the industries. Due to poverty a large number of Harijans are converted to Christianity who spend much amount on them.

[Shri Hukam Chand Kachhavaia]

Last year in our Madhya Pradesh the "Adivasis" were deprived of their lands and thus it will be clear that on the one hand government says that they would give land to these people but on the other hand they are being deprived of their lands.

There are certain institutions which are being run in the name of backward classes and they are being misused. Certain castes of Harijans are making progress whereas others remain where they were. So condition of all the castes should be ameliorated in a balanced manner.

श्री मं० रं० कृष्ण (पेट्टपल्लि) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। पिछले 17 वर्षों से कितनी ही समितियाँ बनाई गईं और उनका यह कार्य था कि पता लगाया जा सके कि पिछड़ी जातियों ने कितनी प्रगति की है। यदि यह एक और संस्था बन गई तो सरकार को इस पर काफी रुपया व्यय करना पड़ेगा।

बड़े बड़े सन्तों ने जैसे कि विवेकानन्द थे छुआछूत के विरुद्ध प्रचार किया। गांधी जी ने तो इसके विरुद्ध ब्रत रखा और मिस केथरीन मेयो ने इस समस्या पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसलिये इस देश में इस कार्य के लिये रुपया की कमी नहीं है। यदि कमी है तो नेताओं की समझ की है।

स्वतंत्रता से पूर्व गांधी जी स्वयं इस कार्य को करते थे कि हरिजनों का सुधार हो। परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् इसे सच पूछो तो आधे मंत्री और कहीं कहीं तीन चौथाई मंत्रियों ने संभाला हुआ है। जब ऐसी स्थिति है तो मुझे आश्चर्य होता है कि बालमीकी जी ने इस प्रस्ताव को लाकर क्यों इस सदन का समय नष्ट किया है।

मैं आप को ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ जिन से पता चले कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने में असमर्थ रही है। केन्द्रीय सरकार को यह सोचना चाहिए कि यदि राज्य सरकार इस कार्य में उनसे सहयोग नहीं करती है तो उन्हें क्या करना चाहिये। और तो और अनुसूचित जातियों के आयुक्त की रिपोर्टों को भी "अछूत" समझा जा रहा है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि संसद्-कार्य मंत्री यह कार्य अपने ऊपर लें और इस सदन को बतायें कि राज्य सरकारों ने इस दिशा में क्या किया और केन्द्रीय सरकार ने इस ओर फिर क्या कार्यवाही की।

तीन योजना समाप्त हो गईं परन्तु योजना आयोग ने अनुसूचित जातियों के सुधार की ओर कुछ भी नहीं किया। भूमि सुधार कार्य अच्छे हैं। परन्तु यदि इन जाति के व्यक्तियों को आप भूमि तो दे दें और भूमि उपजाऊ न हो और उसे सुधारने के लिये धन भी न हों तो ऐसी भूमि देने का क्या लाभ! यदि वे निर्धनता के कारण खेती भी न कर सकें तो यह सब कार्य बेकार हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हरिजनों के पक्ष में है। सरकार ने उसकी अवहेलना की है। सम्बद्ध मंत्रालयों ने इस दिशा में क्या काम किया है? मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले पर प्रकाश डालें।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्बन्धित विभाग में इस समस्या पर विचार करने वाले लोगों को न तो हरिजनों की समस्या का ज्ञान है और न उनकी हरिजनों में दिल-चस्पी ही है। मेरा कहना यह है कि इस विभाग का काम वास्तव में उन लोगों को सम्भालना चाहिये जो व्योगीहरि जैसी सेवाओं में रत हैं। यह कार्य उस पदाधिकारी को नहीं सौंपा जाना चाहिये जो इस समुदाय के प्रति सहानुभूति न रख कर केवल नियमों के पीछे ही दौड़ता हो।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि पुनर्वास मंत्रालय की तरह केन्द्र में एक हरिजन मंत्रालय की भी स्थापना होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं है कि इसका मंत्री भी कोई हरिजन ही हो, किन्तु यह आवश्यक है कि इस मंत्रालय का काम उस व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए जिस के हृदय में दलित वर्ग के लोगों के प्रति वास्तव में सहानुभूति हो।

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : Mr. Chairman, Sir, I welcome the Resolution moved by Shri Balmiki.

Since 1952, we have been persistently emphasising the need of improving the lot of Harijans, but unfortunately no specific step has been taken by Government with regard to their uplift and betterment. They are in miserable conditions. You will find even today untouchability saturated in every sphere of Hindu Society. The Government had given assurances to extend their full support to the matters relating to the social, economic and educational development of Scheduled Castes and Backward classes. But the progress made in this regard is really very slow and discouraging. It is very shameful that citizens like Harijans are neglected and they are not allowed to enjoy their fundamental rights conferred upon them. It is really very unfortunate and a matter of regret that we have still to fight and beg for our social, economic, educational and political rights.

I would also like to point out that even under the yoke of Feudalism these were not as many as atrocities and crimes committed on this class of society as they are today.

Today we recall Sardar Ballabh Bhai Patel who was very bold in taking firm decisions and their proper execution. Our Government today suffers from malady of indecisions. The most pressing need of the day is that the Government should be bold enough in taking firm decisions and their proper execution and implementation. I know that there is no political party in our country which can be able to form its Government without co-operation of these 10 crores of Harijans. Today the life of Harijans is full of miseries. We have a right to raise our voice against maltreatment and discriminations that we are meted out to and the atrocities committed on us by the Hindu Society.

Sir, you have seen that four crores of Mohammadans residing in our country succeeded in creating a separate state i.e. Pakistan. But we, the Harijans, never raised a slogan of 'Achhutistan' we have always been faithful, under the leadership of Shri Jagjiwan Ram, to the nation and defended its integrity. Even today this scheduled society is dedicated to the good of the country and they are engaged in constructive works.

I would like to point out, Sir, that if the Government are not prepared to take suitable measures to ensure the uplift and betterment of the scheduled castes and Backward classes and eradication of untouchability, we shall be morally bound to go to each and every corner of the country and devote ourselves to the cause of the downtrodden people with a view to bring in a social, economic and religious revolution in and transformation of society.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Comparatively a small number of Harijans, frankly speaking, hardly 70 to 80 thousand out of 7-8 crores of the Harijans have improved their conditions and made progress. When the uplift of the Harijans is an eye-sore to the persons belonging to higher castes, particularly in rural areas the country cannot make any progress. It appears that the existing Government or its official machinery is mainly responsible for this tardy progress made in regard to the uplift and development of the Harijans.

No evaluation is done to find a out the extent of improvement in the conditions of Harijans brought about under the Five Year Plans. The Plans improved the conditions of the better-off persons and did not make any impact on the conditions of the down-trodden.

It is necessary that we should have a healthy approach to the problem. If we want to make a substantial progress of the country, particularly improvement in the lot of the poor Harijans, there is no way out except this that the poorer sections of high-caste people numbering about four and half crores worked in cooperation with the low-caste people.

The wealth of the country would increase if the wages of the Harijans are increased. It will also help improve their conditions. If the wages of the sweepers are raised to Rs. 300/- or Rs. 400/-, many of the high-caste people would take up that profession and that would lead to the country's progress.

श्री प्रिदद्या (चामराजनगर) : सभापति महोदय, यह खेद का विषय है कि हमारे देश में अभी तक अस्पृश्यता चल रही है । सरकार हमेशा यह कहते रहती है कि अस्पृश्यता करीब-करीब समाप्त हो चुकी है, किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है । केन्द्रीय सरकार एवं कुछ राज्य सरकारें अस्पृश्यता निवारण के लिए अनुदान देती हैं, किन्तु कुछ राज्य इसे समाप्त करने के बजाय प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

मैसूर राज्य में हरिजन लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् प्राथमिक स्कूलों को जारी रखना निन्दनीय है । कुछ ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां हरिजन अध्यापकों को नहीं रखा जाता है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । मैसूर राज्य में हरिजनों और अन्य लोगों के पानी पीने के कुएं भी अलग-अलग हैं । शहरों में भी अनुसूचित जाति के राजपत्र अधिकारियों को भी रहने के लिए मकान नहीं मिलते हैं ।

योजना में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए निर्धारित राशि से उनकी आर्थिक दशा में सुधार नहीं होगा ।

सरकारी विभिन्न सेवाओं में भी आदिम अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए सुरक्षित कोटे के आधार पर उन्हें नहीं रखा जाता है । अतः यह आवश्यक है कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती उन के लिए निश्चित कोटे अथवा प्रतिशतता के अनुसार होनी चाहिए ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 17 वर्ष पश्चात् भी हम देखते हैं कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा के मामले में भी संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। अनुसूचित जातियों में अशिक्षित अथवा आसाक्षर व्यक्ति अभी भी 10.05 प्रतिशत हैं।

सरकार निरन्तर यही कहती है कि अनुसूचित जातियों की प्रगति हो रही है, उनके उत्थान के लिए धन व्यय किया जा रहा है और अस्पृश्यता का निवारण हो चुका है। किन्तु वास्तविकता तथा आंकड़ों के आधार पर सरकार के इस कथन से हमें सन्तोष नहीं है। अतः अनुसूचित जातियों की दशा के सम्बन्ध में पूरा पूरा ही सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। अनुसूचित जातियों पर आज तक खर्च किए गए धन, उनकी प्रगति और भविष्य में उन के विकास सम्बन्धी सभी मामलों की जांच करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की नियुक्ति की जाये।

इन शब्दों के साथ, मैं श्री बाल्मीकी के इस संकल्प का जोरदार समर्थन करता हूँ।

Shri Kamble (Latur): Sir, the Resolution deserves to be supported.

In spite of several laws framed after independence for removal of untouchability no progress has been made. We still find in villages untouchability almost in tact. The evil of untouchability still persists, especially in rural areas; the Harijans continue to suffer from social disabilities. There is no common drinking water well in villages for the Harijans and others. The economic condition of these people is so miserable that they cannot recourse to any legal action.

Untouchability is a most dangerous malaise in our country; and also a blot not to be removed. It is deeply rooted with economic life. No doubt, it is a blot on our ancient social life. It is really misfortune of the country that a glaring blot on the fair name of our social and cultural life has not been removed. It is the duty of the Government and the people to see that untouchability is totally removed from our country. The first thing necessary is to improve the economic condition of Harijans and other backward classes. They should be given adequate facilities for cultivation, and such other facilities may be extended to them which may lead to their social, economic and educational uplift and development. They should also be recruited in Government service in accordance with the reservation made for them

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : I feel sorry when I find that members sitting opposite me ask for votes in the name of Gandhiji but are not prepared to follow him in the matter of language policy.

In the Central Hall of Parliament House there should have been a portrait of Shri Ambedkar who framed our constitution. But it is not there.

I now come to the state of affairs in Rajasthan. Its population is 2 crores, one lakh and 55 thousand and the number of Scheduled Castes is more than 40 lakhs. During the five years a sum of Rs. 22 lakh was spent on their welfare, but out of it a sum of Rs. 6 lakh went into the pockets of corrupt people.

I am giving you another example. On 23rd of last month in village Phalodi, district Jaisalmer there poor Harijans were killed and it was alleged that they were killed by dacoits. Now the same persons who killed them have been entrusted with enquiring this matter. It should be remembered that this a border area where it took place.

There is much corruption in Rajasthan. The Chief Minister there, Shri Mohan Lal Sukhadia has appropriated to himself land worth Rs. 10 lakhs and has given it to his relatives also. The Scheduled Castes are being deprived of their land holdings but it is being given to his relatives and other rich people because they have given him Rs. 97 lakhs for fighting election.

[अध्पक्ष महोदय पीठसिन हुये ।
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

There are hostels for scheduled castes and scheduled tribes for 22 thousand students. But you will be surprised to know that a sum of Rs. 16-00 per month is spent on the diet of per student. Other facilities given to them are also most hopeless. If these students are treated like this, it will not be proper.

The fault lies partly with some of us also. The scheduled castes are not united and they are generally given ticket etc. so that we may not open our own mouths against the behaviour meted out to our people. If we become united the government would be forced to do something for us.

Another important point which I want to raise is that some cobblers who are scheduled castes have migrated to India from Pakistan as refugees. They constructed their houses after taking loan from government but their houses are not yet complete. They should be given loan to complete those houses, otherwise the incomplete houses will fall down during the monsoon season.

Shri Veerappa (Bidar) : It is a matter of satisfaction that problems of Harijans are under discussion here. I want to convey to the Government that the adequate work in regard to uplift of Harijans is not being done now. I know that Harijans of my district formed a housing cooperative society, but that society was not given any monetary help by the Government. I know of so many cases where the legitimate demands of Harijans are not being met. I would request the hon. Minister to look into this.

The untouchability has not been abolished. I know instances where Harijan members of village Panchayat are subjected to discrimination. They claim that untouchability has been abolished, but in fact it is only on paper. In practice it is very much there.

Government should protect the rights of Harijans. In villages their condition is all the more deplorable. They should be given liberal monetary grants for keeping poultry farms, sheep farm and piggeries etc.

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती चन्द्रा शेखर

श्री नवल प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय इस संकल्प पर विचार करने का समय बढ़ाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से ऐसे अवसर आयेंगे जब कि माननीय सदस्य इन विषयों पर बोल सकते हैं। गृह-कार्य मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): मैं केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याणार्थ चालू की गई विभिन्न योजनाओं का उल्लेख नहीं करूंगी। मैं इस संकल्प के गुणों के बारे में ही बोलूंगी। इस संकल्प में एक कमीशन की नियुक्ति की मांग की गई है कि जो हरिजनों के उत्थान में प्रगति का मूल्यांकन करे। इस संबंध में मैं कहना चाहती हूँ कि पहले देखा जाना चाहिये कि पहले ही इसका मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था है या नहीं। इस बारे में पहले ही बहुत सी समितियां हैं।

हर छः महीने के पश्चात् हमें राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में हुई प्रगति पर रिपोर्टें मिलती हैं। इस के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर भी चर्चा होती है। उसमें भी प्रगति का पता चलता है। हरिजन कल्याण समिति सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड है जिसकी साल में दो बार बैठक होती है। इस में संसद् सदस्य भी हैं।

यह बोर्ड भी हरिजन कल्याण कार्य पर सलाह देता है। और आगे की योजनाओं पर भी सलाह देता है। यह राज्य सरकारों द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन भी करता है।

राज्यों के पिछड़ी जाति विभागों के मंत्रियों का सम्मेलन भी बुलाया जाता है जिस में इन जातियों की समस्याओं और सुधारों पर विचार किया जाता है। कल्याणकारी योजनाओं पर प्राक्कलन समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी। इस सम्बन्ध में समय समय पर और भी बहुत सी समितियां नियुक्त की गई हैं। यह ठीक है कि छुआछूत के उन्मूलन में पूरी सफलता नहीं मिली परन्तु इस सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई है। इस सम्बन्ध में एक समिति गठित कर दी गई है जिसे छुआछूत उन्मूलन तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान के कार्य पर विचार करने को कहा गया है। इसके अध्यक्ष श्री इल्यापेरुमल होंगे। एक और भी समिति बनायी जा रही है जो सफाई के प्रश्न पर विचार करेगी। उस के अध्यक्ष प्रो० एन० आर० मलकानी होंगे। यह दोनों समितियां राज्यों का दौरा करेंगी और रिपोर्टें देंगी। इस प्रकार भी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन होगा। माननीय सदस्य इन समितियों को अपने सुझाव दे सकेंगे। माननीय मंत्री ने सभा को बताया था कि हम इस आशय की व्यवस्था करने वाले हैं कि देखा जा सके इन जातियों के लिये निर्धारित किया गया धन ठीक प्रकार से व्यय हो। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हो रही है। मैं माननीय सदस्य से कहूंगी कि वह अपना संकल्प वापिस ले लें।

Shri Balmiki : Almost all the members who have spoken on this resolution, have supported this resolution. Untouchability has not been removed inspite of so much talk against it. Our Harijan brothers are subjected to

humiliation on account of it. If no proper steps are taken to eradicate it, it will have very serious repercussions. The Central Government and State Governments are doing some work for them. It is considered that it is an act of kindness, but in reality Government should take it as its duty. I was listening to the speech of Deputy Minister. She has referred to some committees etc. I would like Government to realise that Harijans are mentally frustrated and if no proper care taken, their feelings will burst out in the form of an agitation.

This is the age of industrialisation. There is a feeling of change in all the countries of the world. We should also have some such thing here in our country. I have demanded the appointment of a commission, because I want that we should have a clear picture before us. There have been meetings of Ministers incharge of Harijan Welfare Departments in the past. I would like the State Chief Ministers should meet to discuss the affairs of Harijans. Our experience has shown that things are moving very slowly. If no special efforts are made their lot will not improve. Their standard of living will not improve. Uplift of Harijans is a national problem.

I am not satisfied with the reply given by the hon. Deputy Minister. I do not know why Government is against the appointment of a Commission. It indicates the weakness of Government. The Republican party had started an agitation. Though we were not a party to participate in that agitation, yet we realise the difficulties of Harijans. I would urge the Government to take urgent and effective steps for improving the lot of Harijans. With these words I ask for leave to withdraw my resolution.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा तथा अरवीकृत हुआ ।

Amendment No. 2 was put to vote and was negatived.

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The resolution of Shri Balmiki was, by leave, withdrawn.

शिक्षा के ढांचे के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE STRUCTURE OF EDUCATION

डा० लक्ष्मीमल्ल सिधवी (जोधपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“इस सभा की यह राय है कि शिक्षा में अधिक एकरूपता लाने और राष्ट्रीय एकता के हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पद्धति और शिक्षा के ढांचे को उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिये उसे नवीन रूप देकर पुनर्गठित किया जाए ।”

मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करने ही आया हूँ । इसके साथ ही मैं अपना संशोधन भी प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान): श्रीमान डा० सिंघवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अतः आप कृपया इस संकल्प पर चर्चा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये नियत आगामी दिन तक स्थगित कर दें।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यदि चर्चा स्थगित कर दी जाय तो ठीक रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदन यही चाहे तो इस सम्बन्ध में नियम निलम्बित किया जा सकता है।

श्री नि० चं० चटर्जी : मैं नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूँ :

“कि डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा प्रस्तुत संकल्प के बारे में नियम 30(1) निलम्बित किया जाय।”

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभी की यही इच्छा है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : यह नियम निलम्बित हुआ।

बंगलौर अथवा हैदराबाद में संसद-अधिवेशन के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE SESSION OF PARLIAMENT AT BANGALORE
OR HYDERABAD

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Sir, I beg to move :

“This House is of opinion that one Session of Parliament be held at Bangalore or Hyderabad every year”.

It is a long standing demand. If a session is held in South India many problems can be solved. The question of language would not have taken such serious turn. It will help in the cause of national integration. There is an impression in the mind of people in South India that as the Parliament meets in North, the problems and difficulties of South India are taken up seriously. Keeping in view all these things I have brought this resolution. Even if some minor difficulties in holding session in South India are there, we should think of the benefits that will accrue.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय पांच बजे हैं। चूंकि श्री नाथ पाई उपस्थित नहीं हैं अतः आधे घंटे की चर्चा नहीं होगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार 15 मार्च, 1965/24 फाल्गुन 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 15, 1965/Phalguna 24, 1886 (Saka).